संविधान सभा में हरयाणा

लेखक :
जगत सिंह हुड्डा

संविधान सभा में हरयाणा

संविधान सभा में हरयाणा

लेखक :
जगत सिंह हुड्डा

© प्रकाशक

संस्करण : 2012

मूल्य : 200 रूपये

प्रकाशक

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रक :

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रैस, रोहतक

समर्पित
उन संविधान निर्माताओं
को जिनके अनमोल योगदान से
हमें विधान उपलब्ध हुआ।

विषय सूची

आमुख ix
चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरयाणा

दो शब्द xi
प्रो॰ आर. पी. हुड्डा
कुलपति

प्रस्तावना xiii
ज्ञान सिंह
अध्यक्ष, चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

आभार xiv
जगत सिंह हुड्डा

पुस्तक परिचय xvii

अध्याय–1. संविधान सभा का संक्षिप्त परिचय 1

अध्याय–2. हरयाणा का प्रतिनिधित्व 21

अध्याय–3. हरयाणा का अस्तित्व 49

अध्याय–4. संविधान सभा में हरयाणा 105

अध्याय–5. संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों का निष्कर्ष 125
अध्याय–6. संविधान सभा के सदस्यों का जीवन परिचय 141

निष्कर्ष 211

फोटो गैलरी 215

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

D.O. No. CMH-2012-/ 555

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 22.5.2012

सन्देश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि चौधरी जगत सिंह हुड्डा द्वारा लिखित पुस्तक 'संविधान सभा में हरियाणा' का प्रकाशन चौधरी रणबीर सिंह शोध केन्द्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,रोहतक द्वारा किया जा रहा है।

चौधरी जगत सिंह हुड्डा द्वारा लिखित यह पुस्तक एक सामयिक प्रकाशन है। आशा है कि पुस्तक में संविधान सभा के गठन से लेकर समापन तक हरियाणा क्षेत्र के नेताओं, विशेषकर चौधरी रणबीर सिंह जी द्वारा संविधान निर्माण में निभाई गई भूमिका के सम्बंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आम जन और शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

हरियाणा क्षेत्र से पंडित ठाकुर दास भार्गव, चौधरी रणबीर सिंह, लाला देशबन्धु गुप्ता ने संविधान सभा में समय–समय पर जोरदार आवाज उठाई और भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निभाई।

चौधरी रणबीर सिंह द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषण देहात के प्रति उनकी सोच का प्रतीक हैं। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में हरियाणा के अस्तित्व के बारे में दी गई खोजपूर्ण जानकारी युवा पीढ़ी का ज्ञानवर्धन करेगी और पाठक पुस्तक को रुचिकर पाएंगे।

मैं पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

ना

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY
ROHTAK-124 001, (HARYANA) INDIA
Off. : 01262-274327, 292431
Res. : 01262-274710
Fax : 01262-274133, 274640

VICE-CHANCELLOR

दिनांक : 29.05.2012

दो शब्द

युवा लेखक श्री जगत सिंह द्वारा लिखित *'संविधान सभा में हरयाणा'* नामक पुस्तक एक उपयोगी प्रकाशन है। हरयाणा के गौरवशाली इतिहास की इसमें खोजपरक जानकारी उपलब्ध करवायी गयी है। हरयाणा गठन के पहले यह भू–भाग पूर्वी पंजाब का भाग था, जहां से संविधान सभा में 12 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें चौधरी रणबीर सिंह व पं. ठाकुरदास भार्गव प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त, लाला देशबन्धु गुप्ता, चौधरी निहाल सिंह तक्षक भी निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के वाद–विवादों में इनकी प्रभावशाली भूमिका रही। चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य थे। 6 नवम्बर, 1948 को अपने प्रथम भाषण में इन्होंने आम जनमानस, देहात को मूलभूत सुविधाएं, वर्गविहिन समाज आदि प्रश्नों पर विशेष जोर दिया था।

संविधान सभा में ठाकुरदास भार्गव एवं चौधरी रणबीर सिंह विशेष तौर पर सक्रिय थे। चौधरी रणबीर सिंह जमीन से जुड़े हुए सभासद थे, जिन्होंने इस क्षेत्र की, विशेषकर ग्रामीण आंचल की परिस्थितियों को सशक्त वाणी दी। संविधान सभा से जुड़ी अन्य जानकारियों को पुस्तक में शामिल करने से इसकी उपयोगिता बढ़ी है।

यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए व आम जनता के लिए बहुत लाभदायक होगी। शुभकामनाओं के साथ!

(आर.पी. हुड्डा)

प्रस्तावना

ब्रिटिश शासन से त्रस्त भारत उप–महाद्वीप को एक दिन उबाल पर पहुंचना ही था, वह पहुंचा। कोई जीती–जागती कौम अथवा कौमों का समूह सदा के लिए गुलामी को गले में डाल कर नहीं चल सकती। गुलामी से मुक्ति की चाह मनुष्य व मनुष्य समाज का स्वाभाविक गुण है। वह बराबरी के धरातल पर खड़ा रहकर जीना चाहता है। इसके लिए उठे संघर्ष ने यहां विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों की विविधता में एकता को खड़ा किया। संघर्ष लंबा चला। ऐसे जाबर शासन से मुक्ति पा कर जब अपना घर, अपने हाथों संवारने की वेला आई तो भारत के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी थीं। सन् 1857 से आरम्भ कर सन् 1942 में छिड़े 'भारत छोड़ो' आन्दोलन और वर्ष 1946 के नाविक विद्रोह तक चले राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन ने देश को जगा दिया था। यह नयी तरह की चेतना का उदय था। जन आकांक्षाओं को पंख मिले थे। दूसरे विश्व महायुद्ध की समाप्ति तक पूरा माहौल अन्याय–अत्याचार के विरूद्ध और नये समाज की रचना के हक में बना खड़ा था।

किसी भी बनने वाली नयी सरकार को इस माहौल पर खरा उतरना था या फिर इस उर्जा का प्रयोग करके अलग जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी ग्रहण करनी थी। देश के बंटवारे से लहुलुहान समय के भीतर से अपना भविष्य तलाशने में यहां की अन्तरिम सरकार लगी और एक नये संविधान की रचना का काम हाथ में लिया गया। यह कठिन दौर था। लेकिन, नयी उर्जा से भरपूर जन समर्थन की पक्की जमीन उसके पास थी। यहां से एक नयी यात्रा की शुरूआत थी।

ऐसी निर्णायक घड़ी में हरयाणा क्षेत्र कहां खड़ा था, उसकी क्या भूमिका रही थी, यह सब जानना, याद को ताजा रखना अनेक कारण से महत्वपूर्ण है। सन् 1857 की तपस से हरयाणा क्षेत्र त्रस्त था, उसको सजा के बतौर अनेक टुकड़ों में बांटकर छितरा दिया गया था। इस स्वाभिमानी क्षेत्र की उर्जा से भयभीत ब्रिटिश राज ने इसे ऊसर बनाकर सांस ली। यहां की स्वाभिमानी तहजीब में नौकर की जी–हजूरी को घोलकर सन्तोष पाया। ऐसी स्थिति को पलटने की आकांक्षा ने हिलोर लेना आरम्भ किया और फिर से अपने अस्तित्व को खड़ा करने की आवाज लगी। इसकी झलक संविधान सभा की कार्यवाही पर निगाह डालने से ही मिल जाती है।

हरयाणा प्रान्त, वह भी पहले से कहीं छोटा, पहली नवम्बर, 1966 को ही बन पाया। गो, यह एक अलग कथा है। सन् 1947 में हरयाणा का वह क्षेत्र जो अब अलग राज्य है, पंजाब प्रान्त का अंग था।

संविधान सभा में अनेक हितों/सवालों की टकराहट सामने आई। सभा में अपने समय के दिग्गज नेता लोग शामिल थे–बड़े व्यक्तित्व के धनी लोग। अधिकतर स्वतंत्रता आन्दोलन से तप कर निकले लोग थे, जिनके सामने एक सपना था, जिसे साकार करने की राह वे तैयार करना चाह रहे थे। प्रस्तुत प्रकाशन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उस दौर में हरयाणा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संविधान सभा में भूमिका सम्बंधी आवश्यक जानकारियों को इसमें समेटा गया है। लेखक चौधरी जगत सिंह ने इसे उपयोगी बनाने में मेहनत की है। इस बात की सराहना करता हूँ।

ज्ञान सिंह
अध्यक्ष
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

आभार

इस पुस्तक के लेखन में मुझे अनेक विद्वानों का बहुत सहयोग मिला। मैं उनका तहेदिल से आभारी हूँ। इस पुस्तक को ज्ञानवर्द्धक व रोचक बनाने के लिए मास्टर नन्दलाल के सुपुत्र श्री राजेन्द्र पाल, एच.सी.एस (न्यायिक) सेवानिवृत , माडल टाउन, अम्बाला शहर, चौधरी निहाल सिंह तक्षक के सुपौत्र चौ0 संजीव तक्षक, एडवोकेट दादरी व रमेश तक्षक गांव भागवी, जिला भिवानी, चौ0 सूरजमल के भतीजे चौ0 प्रेम सिंह सिन्धु सेवानिवृत अध्यापक प्रेम नगर, हिसार, लाला देशबन्धु गुप्ता के बारे में वरिष्ठ पत्रकार श्री नरेन्द्र कुमार 'उपमन्यु' पानीपत व डा. गोपीचन्द भार्गव के बारे में श्री शिवानंद मलिक, हिसार आदि महानुभावों ने हर तरह का सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया।

इस पुस्तक को बहुपयोगी और शोधपरक सामग्री के संकलन में चण्डीगढ़ में पंजाब एवं हरयाणा सचिवालय के पुस्तकालयों, पंजाब व हरयाणा विधानसभा के पुस्तकालयों, धरोहर संग्रहालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चटर्जी पुस्तकालय, हिसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, अभिलेखागार रोहतक व अम्बाला, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, अम्बाला छावनी, पुस्तकालय डी.ए.वी. कालेज, अम्बाला शहर आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बड़ा स्नेहिल सहयोग प्राप्त हुआ।

मैं चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और इसके लिए दुर्लभ दस्तावेज उपलब्ध करवाए और इसे ज्ञानवर्द्धक व बहुपयोगी बनाने में विशेष

सहयोग दिया। इसके साथ ही मैं पीठ के शोध सहायक राजेश कश्यप, सहायक धर्मबीर हुड्डा, स्नेह कुमार आदि का भी बेहद आभारी हूँ, जिनका मुझे सराहनीय व उल्लेखनीय सहयोग मिला।

मैं डाक्टर चाँद सिंह कादियान, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, डी.ए.वी. कालेज, अम्बाला शहर, नेत्र पाल शर्मा अम्बाला छावनी, सुरेश कुमार पाचाल, सांई कम्प्यूटर ग्राफिक्स, अम्बाला छावनी का भी अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने पुस्तक को उपयोगी बनाने में काफी सहयोग दिया।

मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता हुड्डा और मेरे बच्चों, बेटी सुनीधि व बेटे परीक्षित का हृदय की गहराईयों से विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक को लिखने के दौरान इन सबका बेहद अनुपम एवं अनुकरणीय सहयोग मिला। मैं समझता हूँ कि इनके इस अनूठे सहयोग के बिना यह पुस्तक आप तक संभवतः नहीं पहुंच पाती।

मैं पुनः पुस्तक के लेखन से लेकर सामग्री संकलन व प्रकाशन तक अत्यन्त उल्लेखनीय सहयोग करने वाले सभी महानुभवों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ।

जगत सिंह हुड्डा
लेखक।

पुस्तक परिचय

प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, जिसके अनुसार उस देश का शासन एवं प्रशासन चलता है। यह सामान्य नियमों से परे होता है, जिसमें भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है। भारत एक स्वतन्त्र प्रभुत्ता सम्पन्न गणराज्य है, जिसका अपना एक लिखित संविधान है और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान लिखित है, जो कठोर भी है तथा लचीला भी है। यह संसार के सभी देशों के संविधानों से विशाल है तथा इसमें लगभग सभी देशों के संविधानों की अच्छी बातें ली गई है। जिस तरह शहद की मक्खियाँ फूलों का रस चुन–चुनकर शहद बनाती हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने संसार के अच्छे–अच्छे संविधानों से अपने देश के अनुकूल आदर्श सिद्धातों को लेकर संविधान का निर्माण किया है। यह वह संविधान है जिसे कर्मठ नेताओं, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, संविधान विशेषज्ञों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के गहरे चिन्तन के बाद तैयार किया गया है। आज संविधान के अनुसार सब समान हैं।

प्रत्येक देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था का एक दर्पण होता है अर्थात् उस देश के संविधान से ही उसकी शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त पहलुओं का ज्ञान हो जाता है। संविधान ही वर्तमान शासन प्रणाली के अनुकूल भविष्य के लिए एक सुनियोजित योजना की व्यवस्था करता है। प्रत्येक देश का संविधान अपने विशेष परिवेश एवं परिस्थितियों में पोषित होता है। इसीलिए प्रत्येक देश के संविधान की

अलग–2 विशेषताएँ होती हैं। भारतीय संविधान की भी कुछ अपनी विशेषताएँ है, जो उसे अन्य देशों के संविधानों से केवल अलग ही नहीं करती, बल्कि एक अनुपम एवं अद्वितीय स्वरूप भी प्रदान करती हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व सबके लिए एक जैसा कानून नहीं था। भिन्न–भिन्न धर्मो के अनुसार कानून की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काल में समय–समय पर कुछ अधिनियम बनाए गए थे, जिनके अनुसार प्रशासन चलता था। स्वतन्त्रता के बाद जरूरी था कि देश का अपना एक संविधान हो, जिनके अनुसार समस्त देश का शासन व प्रशासन चलाया जा सके।

''संविधान सभा में हरयाणा'' नामक पुस्तक में पाठकों को वर्तमान हरयाणा राज्य से सम्बन्धित संविधान सभा के सदस्यों की जानकारी मिलेगी। अभी तक यह विषय अछूता था। ब्रिटिश भारत में पंजाब व विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब का हरयाणा एक अंग था। एक लम्बे समय तक चले स्वाधीनता आन्दोलन के फलस्वरुप जब देश ब्रिटिश शासन की गुलामी की जंजीरों से स्वतन्त्र होने की दहलीज पर पहुँचा तो उसे अपनी शासन–प्रणाली तय करनी थी। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। स्वतन्त्रता के बाद देश को कैसे चलाना है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसकी जिम्मेदारी ''संविधान सभा'' को सौंपी गई, जिसका गठन अगस्त, 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को नई दिल्ली के 'कान्स्टीच्युशन हाल' (संसद भवन का केन्द्रीय हाल) में हुई। अविभाजित पंजाब से इसके 28 सदस्य चुने गए। हरयाणा भी इसमें शामिल था। मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा बहिष्कार व भारत–विभाजन का निर्णय होने के बाद जुलाई, 1947 में नये सदस्यों का चयन हुआ। इसमें पूर्वी पंजाब से 12 सदस्य चुने गए और हरयाणा क्षेत्र के सदस्य भी संविधान सभा में पूर्वी पंजाब के सदस्य के तौर पर चुने गए। दो सदस्य, जो हरयाणा क्षेत्र के निवासी थे, दिल्ली व पंजाब की रियासतों से चुने गए थे। दो सदस्य भारत विभाजन के बाद शरणार्थियों के कोटे से चुने गए। इस पुस्तक में हरयाणा से सम्बंधित जिन सदस्यों ने संविधान सभा के वाद–विवादों में भाग लिया, उनकीं आवाज को मैंने इस पुस्तक में समाहित किया है और उसे *'हरयाणा की आवाज'* से सम्बोधित किया है।

सन् 1946 में संविधान सभा गठित की गई। 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने संविधान का कच्चा प्रारूप तैयार किया। इसको तैयार करने में कुल 44 बैठकें 13 फरवरी 1948 तक हुईं और 14 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा।

14 नवम्बर 1948 को संविधान सभा के सामने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसमें 315 अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं।

17 नवम्बर 1949 को संविधान के प्रारूप पर तीसरी बार विचार–विमर्श किया गया और 26 नवम्बर, 1949 को इस पर चर्चा पूरी हुई।

संविधान कें 11 सत्र हुए और काम पूरा करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। विचार–विमर्श के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 396 कर दी गई, जिसमें 8 अनुसूचियाँ रखीं गईं। संविधान बनाने के दौरान 7635 संशोधन प्रस्तावित हुए, जिनमें से सदन में कुल 2477 संशोधन पारित हुए। संविधान सभा द्वारा यह संविधान 26 नवम्बर, 1949 को पास किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर अब तक इस संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। सन् 2011 तक 110 संशोधन हो चुके हैं, जो इस संविधान के अंग बन चुके हैं। अतः ऐसी स्थिति में मूल एवं विकसित हुए संविधान की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

संविधान में केवल सरकार के ढांचे की ही व्यवस्था नहीं होती है, अपितु उसमें संविधान निर्माताओं की विचारधारा का भी समावेश होता है। भारतीय संविधान में 3 विभिन्न विचार धाराओं के सामंजस्य का प्रयास हुआ है।

पुस्तक को मुख्य रूप से निम्नलिखित छह अध्यायों में विभाजित किया गया है :

अध्याय – 1. संविधान सभा का संक्षिप्त परिचय

अध्याय – 2. हरयाणा का प्रतिनिधित्व

अध्याय – 3. हरयाणा का अस्तित्व
अध्याय – 4. संविधान सभा में हरयाणा
अध्याय – 5. संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों का निष्कर्ष
अध्याय – 6. संविधान सभा के हरयाणा क्षेत्र के सदस्यों का जीवन परिचय

संविधान सभा के 9 दिसम्बर 1946 से 26 नवम्बर 1949 तक कुल 11 अधिवेशन हुए, इसमें से पहले तीन अधिवेशन संयुक्त भारतीय विधान परिषद के अन्तर्गत हुए, बाकि सभी अधिवेशन स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद के अन्तर्गत हुए। इन अधिवेशनों में हरयाणा क्षेत्र के सदस्य पंजाब एवं पूर्वी पंजाब से चुने गए थे। लाला देशबन्धु गुप्ता जो पानीपत के रहने वाले थे व पहले यू.पी. व फिर दिल्ली से संविधान सभा में निर्वाचित हुए। लेकिन, उनका सम्बन्ध हरयाणा से था। संयुक्त भारतीय विधान परिषद में पंजाब से कुल 12 सदस्य चुने गए, जिसमें से पं. श्रीराम शर्मा एम.एल.ए., रोहतक, राव बहादुर, चौ॰ सूरजमल एम. एल.ए. एवं डॉ. गोपीचन्द भार्गव जोकि हरयाणा क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी सीट पर एम.एल.ए. चुने गए थे। वे लाहौर में रहने लगे।

स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद में जो सदस्य संविधान सभा में चुने गए उनको पूर्वी पंजाब के सदस्य कहा गया। जिनमें, हरयाणा क्षेत्र से संबंध रखने वाले पंडित ठाकुरदास भार्गव, चौधरी रणबीर सिंह, पूर्वी पंजाब राज्य समूह–III से चौधरी निहाल सिंह तक्षक व पूर्वी पंजाब के शरणार्थियों के कोटे से मास्टर नंदलाल चुने गए। उस समय हरयाणा राज्य का निर्माण नहीं हुआ था।

दोनों संविधान सभाओं में हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले जिन सदस्यों ने संविधान सभा के वाद–विवादों में भाग लिया, भाषण दिए व संशोधन पेश किए गए, उन सभी सदस्यों के योगदान को इस पुस्तक में समाहित किया गया है।

अध्याय – 1
संविधान सभा का संक्षिप्त परिचय

''संविधान सभा की संरचना''

संविधान सभा क्या थी? कैसे बनी? इसके सदस्य कैसे चुने गए? इसकी जानकारी जरूरी है। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण हेतू 'संविधान सभा' के गठन की मांग 3 मई 1934 को रांची (झारखण्ड) में स्वराज पार्टी के सम्मेलन में औपचारिक रूप से पहली बार रखी गई थी। '17–18 जून 1934 को कांग्रेस की कार्यसमिती ने भी एक संकल्प द्वारा 'संविधान सभा' के गठन की मांग उठाई', जिसे बाद में पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने ''कांग्रेस की वर्तमान नीति की आधारशिला'' की संज्ञा दी। तदन्तर कांग्रेस द्वारा यह मांग निरन्तर उठाई जाती रही।

8 अगस्त 1940 को वायसराय लार्ड लिनलिथगो के 'अगस्त प्रस्ताव' पर इंग्लैण्ड की बहुदलीय सरकार ने पहली बार इस मांग पर अपनी स्वीकृति जताई। सन् 1942 में सरकार ने भारत के लिए एक नये संविधान की रचना का दायित्व संभालने वाली एक निर्वाचित संस्था के गठन के उपाय वास्ते अपनी सहमति व्यक्त की।

संविधान सभा का गठनः–

सितम्बर, 1945 में भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत का संविधान बनाने के लिए ''संविधान सभा'' का गठन किया जाएगा। यह मामला इतना महत्वपूर्ण था कि इसने देश भर के भिन्न–भिन्न समुदायों, जातियों, वर्गो व राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा कर दी। संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अनुसार संविधान के गठन की रूपरेखा तैयार की और प्रान्तीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन किया जाना था। इस प्रकार जुलाई, 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ

कैबिनट मिशन ने जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा गठित करने के लिए लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की सिफारिश की गई।[3] उस समय भारत में 11 राज्य थे, जिनमें से 296 सदस्य चुने गए[4] और 562 रियासतें थीं। रियासतों से कुल 93 सदस्य चुने जाने थे। प्रत्येक प्रान्त में 3 सीटें प्रमुख समुदायों, मुस्लिम, सिक्ख व अन्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई थी। कुल मिलाकर, 389 सदस्यों की संविधान सभा बनी। लेकिन, मुस्लिम लीग के सदस्य बैठकों में हाजिर नहीं हुए, जिनकी संख्या 90 थी। अतः कुल सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई और संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के सदस्यों के बिना कार्य प्रारम्भ किया। इसमें तत्कालिन संयुक्त पंजाब से 28 सदस्य, 16 मुस्लिम, 7 हिन्दू, 5 सिख चुने गए थे।

पंजाब से चुने गए 16 मुस्लिम सदस्य[7] :–

1. मोहम्मद अली जिन्ना
2. सर मुजफ्फर अली किजिलवास
3. अब्दुल राव निश्वार
4. इफ्तिखार हुसैन खाँ

5. मियां मुमताज दौलताना
6. सर फिरोज खां नून
7. राजा गजनफ्फर अली खाँ
8. प्रो॰ अबुबकर हलीम
9. मियां इफ्तिखारूदीन
10. शेख करामात अली शाहनवाज
11. बेगम जहाँआरा
12. मीर गुलाम भकि नैरंग
13. नजीर अहमद खाँ
14. डॉ. उमर हयात खाँ
15. सैयद अमजद अली
16. चौ॰ मुहम्मद हुसैन

पंजाब से चुने गए 7 हिन्दू सदस्य :–

1. दीवान चमन लाल – पंजाब क्षेत्र
2. मेहरचन्द खन्ना – पंजाब क्षेत्र
3. डॉ बख्शी टेकचन्द – पहाड़ी क्षेत्र
4. चौ॰ हरभज राम
5. डॉ. गोपीचन्द भार्गव – हरयाणा क्षेत्र
6. चौ॰ सूरजमल – हरयाणा क्षेत्र
7. पं. श्रीराम शर्मा – हरयाणा क्षेत्र

पंजाब से चुने गए 5 सिख सदस्य :–

1. सरदार उज्जल सिंह
2. सरदार प्रताप सिंह कैंरो
3. सरदार करतार सिंह
4. सरदार हरनाम सिंह
5. सरदार पृथ्वी सिंह आजाद

संविधान सभा के निर्वाचन के लिए पात्रता[8] :–

सदस्य की योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास थी व आयु की सीमा 40 वर्ष से अधिक रखी गई थी। लेकिन, चौ॰ रणबीर सिंह को 32 वर्ष की आयु में ही संविधान सभा का सदस्य चुन लिया गया। संविधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्यों की आयु व योग्यता का विवरण निम्न प्रकार से हैं

संविधान सभा के सदस्यों की निर्वाचन के दौरान शिक्षा व आयु

1. डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद जी, एडवोकेट (1884–1963)	62 साल
2. पण्डित जवाहर लाल नेहरू, एडवोकेट(1889–1964)	57 साल
3. सरदार पटेल (1875–1950)	71 साल
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर, एडवोकेट (1891–1956)	56 साल
5. जे. बी. कृपलानी (1888–1982)	61 साल
6. मौलाना आजाद (1886–1958)	60 साल
7. राजकुमारी अमृतकौर (1889–1964)	57 साल
8. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1901–1953)	46 साल
9. डॉ. पंजाब राव देशमुख (1901–1953)	46 साल
10. यू.एन. ढेबर (1905–1978)	42 साल

पंजाब व पूर्वी पंजाब के (वर्तमान हरयाणा) से सम्बन्धित सदस्यों का विवरण

1. पं. ठाकुर दास भार्गव, एडवोकेट (1886–1962)	60 साल
2. मास्टर नन्दलाल, मैट्रिक (1887–1959)	60 साल
3. चौ॰ रणबीर सिंह,बी.ए. (1914–2009)	32 साल
4. लाला देशबन्धु गुप्ता,अंडर ग्रेजुऐट (1901–1951)	47 साल
5. चौ॰ निहाल सिंह तक्षक,बी.ए.बी.एड़(1911–2001)	36 साल

6. डॉ. गोपीचन्द भार्गव, डाक्टर (1889–1966)	57 साल
7. चौ॰ सूरजमल, एडवोकेट (1899–1983)	47 साल
8. पं. श्रीराम शर्मा, एडवोकेट (1899–1989)	47 साल

संविधान सभा में हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्धित सदस्यों का विवरण (1946)

क्रम	सदस्य का नाम	गोत्र/जाति	शिक्षा	गांव/जिला	पार्टी
1.	चौ. सूरजमल (1899–1983)	सिन्धु/ जाट	कानून	खांडाखेड़ी/ हिसार	यूनियनिस्ट
2.	डॉ. गोपीचन्द (1889–1966)	भार्गव/ ब्राह्मण	डाक्टर	हिसार	कांग्रेस
3.	पं. श्री राम शर्मा (1899–1989)	ब्राह्मण	एफ.ए.	झज्जर रोहतक	कांग्रेस

राज्यवार सदस्यों की संख्या[9]

क्रम	राज्य	संख्या
1.	यूनाईटिड प्रोविंस	55
2.	मद्रास	49
3.	बिहार	36
4.	बम्बई	21
5.	पश्चिम बंगाल	19
6.	सी.पी. और बेरार (मध्य प्रान्त व विदर्भ)	17
7.	ईस्ट पंजाब (पूर्वी पंजाब)	12
8.	उड़ीसा	9
9.	आसाम	8
10.	देहली	1

11.	अजमेर (मेरवाड़ा)	1
12.	कुर्ग	1
		कुल –**229**

भारतीय स्टेटों के सभी सदस्यों का विवरण[10]

1.	मैसूर	7
2.	ट्रावनकोर	6
3.	ग्वालियर	4
4.	वेस्टर्न इण्डिया स्टेटस ग्रुप	4
5.	रेजीडयूअरी स्टेट गुप्र	4
6.	इस्टर्न स्टेट –I	4
7.	इस्टर्न स्टेट ग्रुप–II	3
8.	पंजाब स्टेट ग्रुप–III	3
9.	सेन्ट्रल इण्डिया स्टेट गुप्र	3
10.	इस्टर्न राजपूताना स्टेट ग्रुप	3
11.	जयपुर	3
12.	बड़ौदा	3
13.	जोधपुर	2
14.	पटियाला	2
15.	रवा	2
16.	उदयपुर	2
17.	गुजरात स्टेट ग्रुप	2
18.	दक्कन और मद्रास स्टेट ग्रुप	2
19.	अलवर	1
20.	भोपाल	1
21.	बीकानेर	1
22.	कोचीन	1

23.	इन्दौर	1
24.	कोल्हापुर	1
25.	कोटा	1
26.	मयूरभंज	1
27.	सिक्किम और कूचविहार ग्रुप	1
28.	त्रिपुरा, मणिपुर और खांसी ग्रुप स्टेट	1
29.	यू॰ पी॰ स्टेट ग्रुप	1

कुल—**70**

नोट : इस प्रकार से इण्डियन प्रोविसिंज के 229 एवं स्टेटस (रियासतों) के 70 सदस्य मिलाकर कुल 299 सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे।

भारतीय संविधान सभा के पदाधिकारी[11]

अध्यक्ष	:	माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	:	डॉ. एच. सी. मुखर्जी
		सर वी. टी. कृष्णमाचारी
सवैधानिक सलाहकार	:	सर. बी. एन. राव सी.आई.ई.
सचिव	:	श्री एच. बी. आर आयंगर सी.आई.ई.आई. सी. एस.
सयुक्त सचिव	:	श्री आर. के. रामध्यानी, आई.सी.एस.
उप सचिव	:	श्री बी. एफ. एच. तैयव जी, आई.सी.एस.
		श्री जुगल किशोर खन्ना
अवर सचिव	:	खान बहादुर एस. जी. हस्नैन
सहायक सचिव	:	श्री के. वी. पदमनाभन
मार्शल	:	सूबेदार मेजर हरबन्स राय जैदका

भारतीय संविधान सभा अनुभवी राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, प्रसिद्ध न्यायविदों, विद्वानों एवं प्रत्येक भाग के प्रसिद्ध लोगों का संगम थी। सभा में मुख्यतः तीन विचारधाराओं का समावेश था।

विचारधारा संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महात्मा गांधी की सोच निहित हैं। अधिकतर समर्थक अस्पृश्यता उन्मूलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समान अधिकार, ग्राम पंचायत का महत्व, ग्रामीण घरेलू उद्योग जैसे गांधी जी के सूत्र शामिल हैं।

संविधान सभा में कांग्रेस की पृष्ठभूमि व स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख सदस्य :

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	बिहार : जनरल
2. सरदार पटेल	बम्बई : जनरल
3. बी.जी. खेर	बम्बई : जनरल
4. पं. गोबिन्द बल्लभ पन्त	यू.पी. : जनरल
5. आचार्य कृपलानी	यू.पी. : जनरल
6. रफी अहमद किदवई	यू.पी. : मुस्लिम
7. टी.टी. कृष्णमाचारी	मद्रास : जनरल
8. सी. राजगोपालचारी	मद्रास : जनरल
9. मौलाना आजाद	सीमा प्रांत : मुस्लिम
10. श्रीकृष्ण सिन्हा	बिहार : जनरल
11. आसफ अली	दिल्ली : जनरल
12. चौ॰ रणबीर सिंह	पूर्वी पंजाब : जनरल
13. पं. ठाकुर दास भार्गव	पूर्वी पंजाब : जनरल
14. मास्टर नन्द लाल	पूर्वी पंजाब : जनरल
15. देशबन्धु गुप्ता	पूर्वी पंजाब : जनरल

(क्रमांक 12 से 15 तक सूचीबद्ध सदस्य पूर्वी पंजाब (हरयाणा क्षेत्र) से संबंधित थे।)

संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा नामांकित सदस्य थे, जिनके समर्थन का कांग्रेस को विश्वास था। ये ब्रिटिश लोकतन्त्र के समर्थक थे[13]

1. डा. अम्बेडकर व डाक्टर जयकर (मुम्बई प्रांत)
2. सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री गोपाल स्वामी आयंगर व डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (मद्रास प्रांत)
3. डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (बिहार) आदि प्रमुख थे।

उपर्युक्त व्यक्तियों के अलावा भारतीय रियासतों के कई प्रतिनिधि भी इसी विचारधारा से संबंध रखते थे।

संविधान सभा में पं. जवाहर लाल नेहरू व मौलाना हसरत मोहानी आदि कई ऐसे सदस्य भी शामिल थे, जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे।[14]

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई। 26 जनवरी, 1950 तक उसके 11 अधिवेशन हुए, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

संविधान सभा के अधिवेशन

प्रथम अधिवेशन (9–23 दिसम्बर, 1946)
द्वितीय अधिवेशन (20–25 जनवरी, 1947)
तृतीय अधिवेशन (28 अप्रैल, से 2 मई, 1947)
चौथा अधिवेशन (14 से 31 जुलाई, 1947)
पांचवा अधिवेशन (14 से 30 जुलाई, 1947)
छठा अधिवेशन (27 जनवरी, 1948)
सांतवा अधिवेशन (4 नवम्बर, 1948 से 8 जनवरी, 1949)
आठवा अधिवेशन (16 मई ,से 16 जून, 1949)
नौंवा अधिवेशन (30 जुलाई, से 18 सितम्बर, 1949)
दसवां अधिवेशन (6 से 17 अक्तूबर, 1949)
ग्यारहवां अधिवेशन (14 से 26 नवम्बर, 1949)

संविधान सभा की प्रथम बैठकः–

संविधान सभा ने अपना ऐतिहासिक कार्य 9 दिसम्बर, 1946 को प्रारम्भ किया। इसकी पहली सभा का आयोजन ''कांस्टीच्यूशन हाल'' में हुआ जिसे अब संसद भवन का ''सैन्ट्रल हॉल'' कहा जाता है। इस अवसर पर हॉल को बहुत ही सुन्दर रूप से सजाया संवारा गया था। इसकी सजावट देखकर ऐसा लगता था कि एक बहुत ही आलीशान महल हो। उसकी छत पर सुन्दर–सुन्दर फानूस लटक रहे थे और दीवारों पर विभिन्न प्रकार की लाईटें चमक रही थी। खुशी से झूमते आदरणीय सदस्यगण राष्ट्रपति की कुर्सी के सामने अर्ध–गोलाकार पंक्तियों में बैठे थे। पहली पंक्ति में पंडित जवाहर लाल नेहरू, मोलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, श्रीमति सरोजनी नायडू, श्री हरे कृष्ण महताब, पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत, डॉ॰ बी.आर. अम्बेदकर, श्री शरत चन्द्र बोस, श्री सी. राजगोपालाचार्य और श्री एम. आसफ अली बैठे। प्रथम बैठक में कुल 207 नुमांयदों ने भाग लिया।

उद्घाटन समारोह :–

उद्घाटन समारोह का शुभारम्भ 11.00 बजे सुबह आचार्य कृपलानी द्वारा डॉ॰ सच्चिदानन्द सिन्हा की इन्ट्रोडैक्शन (परिचय) के साथ प्रारम्भ हुआ, जिन्हें सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।[15] जोरदार तालियों की घड़घड़ाहट के दौरान अध्यक्ष का पद संभालते हुए डॉ॰ सिन्हा ने अध्यक्षीय उद्घाटन भाषण पढ़ा। सभी 207 सदस्यों ने जब अपनी–अपनी जानकारी सभा को दे दी और हाजिरी लगा दी तो प्रथम दिवस की कार्यवाही का समापन हुआ।

संविधान सभा ने लगभग 3 वर्ष का समय (2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन) ऐतिहासिक संविधान के ड्राफ्ट बनाने में लगाए। इस समय के दौरान उन्होंने 11 बार सभाएं की, जिसमें कुल 165 दिन लगे। इनमें 114 दिन संविधान के ड्राफ्ट के मुद्दे पर विचार करने में लगे।

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव[16]

12/13 दिसम्बर 1946 को डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया व श्री एच॰ सी॰ मुखर्जी उपसभापति चुने गए।

संविधान सभा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 17 समितियां बनायी गई जिनके अलग–अलग 12 सभापति (चेयरमैन) बनाए गये। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद सर्वाधिक 4 कमेटियों के चेयरमैन थे, जबकि पं॰ जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटियों के चेयरमैन थे।

क्र.	समिती का नाम	सभापति (सदस्य संख्या)	राज्य
1.	प्रक्रिया नियमों सम्बन्धी समिति	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद	बिहार
2.	स्टीयरिंग (स्थायी) कमेटी	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद (3)	बिहार
3.	फायनेंस एण्ड स्टाफ कमेटी	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद (2)	बिहार
4.	राष्ट्रीय ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद	बिहार
5.	संघ अधिकार समिति	पं॰ जवाहर लाल नेहरू (9)	यू.पी.
6.	संघ विधान समिती	पं॰ जवाहार लाल नेहरू (15)	यू.पी.
7.	रियासती कमेटी	पं॰ जवाहार लाल नेहरू	यू.पी.
8.	परिचय पत्रों सम्बन्धी समिति	अल्लादि कृष्णा स्वामी (3)	मद्रास
9.	आवास समिती	वी पट्टाभि सितारमैया(3)	मद्रास
10.	कार्यक्रम निर्धारण समिति	के॰ एम॰ मुंशी (3)	बम्बई
11.	विधान परिषद कार्यवाही सम्बन्धी कमेटी	जी॰ वी॰ मांवलकर	बम्बई

12.	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, कबाइली तथा पृथक क्षेत्रों सम्बन्धी सलाहकार समिति	बल्लभ भाई पटेल (54)	बम्बई
13.	अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उपसमिति	एच॰ सी॰ मुखर्जी	प. बंगाल
14.	मौलिक अधिकारों सम्बन्धी उपसमिति	जे॰ बी॰ कृपलानी	यू.पी.
15.	पुर्वोत्तर सीमांत कबाइली क्षेत्र तथा असम पृथक तथा आंशिक रूप से पृथक क्षेत्रों सम्बन्धी उपसमिति	गोपीनाथ बारडोलोई	असम
16.	पृथक आंशिक रूप से पृथक क्षेत्रों (असम के क्षेत्रों को छोड़कर) सम्बन्धी उपसमिति	ऐ॰ वी॰ ठक्कर	असम
17.	प्रारूप समिति	डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर (7)	बम्बई

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म–निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को –

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, सम्वत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं।

सर आहवट जोनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान संसार का सबसे लम्बा तथा विस्तृत संविधान है। डॉ॰ पायली ने इसके आकार

की विशालता के कारण ही इसे 'हाथीकाय संविधान' की संज्ञा दी है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। चीन के संविधान में 738 अनुच्छेद हैं

भारत के संविधान को मुख्यतः 210 विषयों में बांटा गया है।

संघीय सूची	– 97 विषय
समवर्ती सूची	– 47 विषय
राज्य सूची	– 66 विषय
कुल	– 210 विषय

मसौदा संविधान 1948

(Draft Constitution of 1948)

भारतीय संविधान का मुख्य स्त्रोत 1948 का मसौदा संविधान है। इसे डॉ॰ अम्बेडकर की अध्यक्षता में स्थापित की गई, मसौदा समिति ने तैयार किया था। इसमें 315 अनुच्छेद एवं 8 सूचियाँ थीं, जिन पर संविधान सभा पर खूब वाद–विवाद हुआ। नए संविधान के अधिकांश अनुच्छेद इसी मसौदा संविधान से ही लिए गए है।

इस समिति के अध्यक्ष ने 4 नवम्बर 1948 को संविधान का मसौदा सभा में पेश किया।

संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार

1. समानता
2. स्वतन्त्रता
3. शोषण के विरूद्ध

4. धार्मिक स्वतन्त्रता
5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अन्तरिम सरकार का गठन[17]

24 अगस्त, 1946 को अन्तरिम सरकार का गठन हुआ। कानूनी तौर पर वे सब वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे और स्वयं वायसराय परिषद का अध्यक्ष था। पं॰ नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने व उनके 11 सहयोगियों ने 2 सितम्बर 1946 को पद की शपथ ग्रहण की। इस समूह में 3 मुसलमान थे। मुस्लिम लीग के शामिल होने के लिए द्वार खुला रखा गया। अक्तूबर के अन्त तक वायसराय मुस्लिम लीग को सरकार में लाने में सफल हो गए।

1. पं. जवाहर लाल नेहरू (यू.पी. : जनरल) प्रधानमंत्री एवं सूचना व प्रसारण मंत्री
2. सरदार वल्लभ भाई पटेल (बम्बईः जनरल) गृहमंत्री
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (बिहारःजनरल) खाद्य मंत्री
4. आसफ अली (दिल्ली : जनरल)
5. शरतचन्द्र बोस (बंगाल : जनरल)
6. डॉ. जान मथाई (ईसाई प्रतिनिधि) वित्त
7. सर शफात अहमद खाँ (मुस्लिम प्रतिनिधि)
8. जगजीवन राम (बिहारःजनरल) कृषि व श्रम
9. सरदार बलदेव सिंह (पंजाब–सिख) रक्षा
10. सैयद अली जहीर (मुस्लिम प्रतिनिधि)
11. सी. राजगोपालचारी (मद्रासः जनरल)
12. डॉ. सी.एच. भाभा

दो महीने बाद 26 अक्तूबर, 1946 को आसफ अली, शरतचन्द्र बोस, सर शफात अहमद खाँ,सैयद अली जहीर को पद से हटा दिया गया। इसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आई।

नई सरकार का स्वरूप[18]

1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (यू.पी. : जनरल)	प्रधानमंत्री एवं सूचना व प्रसारण मंत्री
2.	सरदार वल्लभ भाई पटेल (बम्बईः जनरल)	गृहमंत्री
3.	सरदार बलदेव सिंह (पंजाब–सिख)	रक्षा
4.	डॉ. जान मथाई (ईसाई प्रतिनिधि)	वित्त
5.	जगजीवन राम (बिहारःजनरल)	कृषि व श्रम
6.	जयराम दास दौलत राम (पूर्वी पंजाबः जनरल)	खाद्य
7.	रफी अहमद किदवई (यू.पी. मुस्लिम)	संचार
8.	मौलाना आजाद (सीमा प्रांत : मुस्लिम)	शिक्षा
9.	एन.वी. गाडगिल (बम्बईः जनरल)	ऊर्जा, निर्माण, खान
10.	राजकुमारी अमृत कौर (सी.पी. व बरार)	स्वास्थ्य
11.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी(बंगालः जनरल)	उद्योग व आपूर्ति
12.	एन. गोपाल स्वामी आंयगर (मद्रास : जनरल)	रेलवे
13.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई : जनरल)	विधि
14.	श्री कशिष्ट चन्द्र नेगी (यू.पी. जनरल)	वाणिज्य
15.	के. सन्तानम (मद्रास : जनरल)	रेल राज्य मंत्री
16.	श्री खुशैद लाल (यू.पी. जनरल)	उप–संचार
17.	श्री शणमुखम चेटी	

संविधान सभा का स्थगन

संविधान सभा की पहली बैठक 9–12–1946 को हुई। यह क्रम

24–1–1950 तक चलता रहा। 26–11–1949 को भारतीय संविधान को अन्तिम रूप दिया गया तथा 24–1–1950 को उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान रचना के दायित्व को पूरा कर लेने के पश्चात् संविधान सभा सदैव के लिए स्थगित कर दी गई। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के सभी सदस्यों को अन्तरिम संसद (Provisional Parliament) के रूप में मान्यता दी गई और 27 जनवरी, 1950 से अप्रैल 1952 में प्रथम लोकसभा के गठन तक इन्हीं सदस्यों ने संसद के रूप में कार्य किया।

संदर्भित व्यक्तियों का परिचय

1. **मोहम्मद अली जिन्ना** : (पंजाब : मुस्लिम) : बिट्रिश भारतीय विधान परिषद में सदस्य चुने गए थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। इसी मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कर पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान से प्रथम राष्ट्रपति बने। मूल रूप से बम्बई प्रांत (अब गुजरात) के निवासी थे। बाद में राजनीति छोड़कर इग्लैंड व फ्रांस में दिवान चमनलाल के साथ वकालत करने लगे।

2. **सर फिरोज खाँ नून** : (पंजाब : मुस्लिम) : 1937 से 1946 तक की यूनियनिस्ट सरकार में शिक्षा मंत्री थे। आप यूनियनिस्ट मुस्लिम कोटे से संविधान सभा में चुने गए।

3. **बेगम जहाँआरा** : आप का सम्बन्ध हरयाणा के झज्जर से हो सकता है। झज्जर में आज भी जहाँआरा बाग और स्टेडियम है।

4. **मियां इफ्तिखारूदीन** : (पंजाब : मुस्लिम) : बिट्रिश भारत की संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुने गए। 1907 में आपका जन्म लाहौर में हुआ। आप राय जाति से थे। पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस के 1945 में प्रधान रहे। पं. जवाहर लाल नेहरू आपके घर गए थे। चौ॰ देवीलाल,दीवान चमनलाल, पूर्णचंद आजाद के साथ जेल में रहे। कांग्रेस से कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। पाकिस्तान सरकार में केन्द्रीय मंत्री बने और बतौर केन्द्रीय मंत्री भारत यात्रा पर भी आए।

5. **माननीय श्री मेहरचन्द खन्ना** : आपका सम्बन्ध उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त से था।

6. **चौ॰ हरभजराम** : संविधान सभा के चुनाव के समय विधायक थे।

7. **सरदार पृथ्वी सिंह आजाद** : (पंजाब : सिख) कोटे से संविधान सभा में चुने गए थे व उस समय अम्बाला–शिमला डबल हल्के की आरक्षित सीट से कांग्रेस के विधायक थे। आर्य समाजी पृष्ठभूमि थी। डा. गोपीचन्द भार्गव की सरकार में हरिजन कोटे से मंत्री थे। इनका संबंध खरड़ जिला रोपड़ से था।

8. **सरदार प्रताप सिंह कैरो** : (1901–1964) पंजाब सिख कोटे से संविधान सभा में चुने गए, बाद में स्वतन्त्रता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। गांव कैरों, जिला तरनतारन से इनका सम्बन्ध है।

9. **सरदार उज्जल सिंह** : निर्वाचन के समय विधायक थे हरयाणा निर्माण से पहले पंजाब के राज्यपाल रहे।

10. **सरदार करतार सिंह** : निर्वाचन के समय विधायक थे।

11. **सरदार हरनाम सिंह** : पंजाब सिंख कोटे से संविधान सभा में चुने गए। बहुत बुद्धिमान थे कई वाद–विवादों में इन्होंने भाग लिया।

सन्दर्भ

1. कश्यप सुभाष : हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, प्रकाशक : नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (2002) पृ. 26
2. – वही – पृ. 27
   बसु दुर्गादास (डॉ.) आचार्य : भारत का संविधान : एक परिचय, VIII संस्करण (2002) प्रकाशक : वाधवा एण्ड कम्पनी, डी.डी. 13,कालका जी एक्सटेंशन, नेहरू प्लेस के सामने, नई दिल्ली–110019, पृ. 14
3. बसु दुर्गादास (डॉ.) आचार्य : –वही – पृ. 18
4. कश्यप सुभाष : – वही – पृ. 28
5. – वही – पृ. 28
6. बसु दुर्गादास (डॉ.) आचार्य : वही पृ. 16
7. सिंह सुलतान : चौ॰ रणबीर सिंह–जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व कुछ अनछुए पहलू– 2009 प्रकाशक : चौ॰ रणबीर सिंह शोध पीठ,महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक पृ. 47–48
8. साक्षात्कारः चौ॰ रणबीर सिंह हुड्डा, सदस्य संविधान सभा व चौ॰ सुल्तान सिंह पूर्व राज्यपाल त्रिपुरा श्री राजेन्द्र पाल, सेवानिवृत एच.सी.एस. (न्यायिक) एवं विशेष मैजिस्ट्रेट, अम्बाला शहर (सुपुत्र मा. नन्दलाल) श्री पूर्ण चन्द आजाद, स्वतन्त्रता सेनानी रोहतक
9. मलिक शिवानन्द एवं बूरा हरपाल : राजनीति के भूषण प्रकाशक : शिव लक्ष्मी विद्या धाम, 498/2, कृष्णा नगर, हिसार (हरियाणा) (2004) पृ. 145
10. लोकसभा सचिवालय, भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण) नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994, पुस्तक न. 2, खण्ड संख्या–से 6 अकं 14–7–1947से 31–7–1947)

11. – वही –
12. –शकधर श्यामलाल : संविधान और संसद के सन्थानम, महासचिव लोकसभा – नई दिल्ली, प्रकाशक : नैशनल पब्लिशिंग हाऊस, नईदिल्ली–11 प्रथम संस्करण (1975) पृ. 6
–कपूर अनूप चन्द : संसार की 5 प्रमुख शासन प्रणालियां प्रकाशक : एस. चन्द एवं कम्पनी–दिल्ली (1958), पृ. 2
13. कपूर अनूप चन्द : –वही–, पृ. 2
14. शकधर श्यामलाल : – वही –, पृ. 6
15. –लोकसभा सचिवालय –वही – संख्या–1, पृ. 11
–मार्तण्ड उपाध्याय : भारत के प्रथम राष्ट्रपति की कलम से – स्वतन्त्र भारत की झलक : डॉ. ज्ञानवती दरबार के नाम लिखे पत्रों में प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नयी दिल्ली (1973) पृ. 18
16. –लोकसभा सचिवालय, –वही– पुस्तक न. 1, खण्ड–1 संख्या–3, पृ. 2
–मार्तण्ड उपाध्याय –वही– पृ. 19
17. कश्यप सुभाष : – वही – पृ. 21
18. कश्यप सुभाष : – वही – पृ. 21

अध्याय – 2
हरयाणा का प्रतिनिधित्व

पंजाब से संविधान सभा का चुनाव

9 जनवरी 1945 को रहबर–ए–आजम दीनबन्धु चौ॰ छोटू राम के निधन के बाद प्रांतीय असैम्बली के चुनाव हुए जिसमें झज्जर विधानसभा से यूनियनिष्ट पार्टी, जिसको आम भाषा में जमीदार लीग के नाम से जाना जाता था, से चौ॰ छोटू राम के भतीजे चौ॰ श्रीचन्द व कांग्रेस की तरफ से राव मंगलीराम गांव खातीवास (झज्जर) ने चुनाव लड़ा। चौ॰ श्रीचन्द कांग्रेस उम्मीदवार राव मंगलीराम व निर्दलीय प्रत्याशी चौ॰ श्योनारायण जाखड एडवोकेट (गांव झांसवा) को हराकर विजयी हुए। लेकिन, थोड़े दिन बाद ही, 1946 के अन्त में, अंग्रेज सरकार ने आम चुनाव घोषित कर दिए। 12 दिसम्बर 1946 को नामांकन पत्र भरे गए और 15 दिसम्बर 1945 को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसमें चौ॰ श्रीचन्द को सैन्ट्रल एसेम्बली का टिकट दिया गया। प्रान्तीय विधानसभा के झज्जर हल्के से वायसराय की एसैम्बली के मनोनीत सदस्य कैप्टन दलपत सिंह अहलावत से त्यागपत्र दिलवाकर जमींदार लीग का टिकट दिया गया। 1–15 फरवरी को 1946 को चुनाव हुआ। लेकिन, झज्जर हल्के से प्रो॰ शेर सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थे। उन्होंने लगभग 5000 के भारी अन्तर से कैप्टन दलपत सिंह अहलावत गांव डीघल को हराया।

बाद में पंजाब विधानसभा में वर्तमान हरयाणा से यूनियनिष्ट पार्टी के मात्र तीन सदस्य चौ॰ सूरजमल, सिन्धु गौत्र, गांव खांडाखेड़ी, जिला हिसार और राव मोहर सिंह जिला गुड़गांव से श्री प्रेम सिंह जीते। दीनबन्धु चौ॰ छोटू राम के भतीजे चौ॰ श्रीचन्द किन्ही कारणों से सेन्ट्रल असेम्बली का चुनाव नहीं लड़ पाए।

कांग्रेस से 15 सदस्य जीते थे। चौ॰ लहरीसिहं मलिक जो कि रोहतक उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जीते व कैप्टन रणजीत सिंह हिसार दक्षिण से चुनाव जीते थे और पंजाब सरकार में मन्त्री बने।

इसके अतिरिक्त वर्तमान हरयाणा का जींद जिला उस समय एक रियासत थी व जिला भी था, जिसमें जींद, दादरी व संगरूर तहसील थी। इसमें से संगरूर पंजाब में चला गया। जींद जिला पेप्सु के भारत विलय के समय अस्तित्व में आया। दादरी जिले में वर्तमान महेन्द्रगढ़ जिला भी शामिल था।

भारत विभाजन से पूर्व, सन् 1946 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें पंजाब विधानसभा की दलीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

1.	मुस्लिम लीग	75 (42.857 प्रतिशत)
2.	कांग्रेस	51 (29.142 प्रतिशत)
3.	अकाली दल	22 (12.571 प्रतिशत)
4.	युनियनिस्ट पार्टी	20 (11.428 प्रतिशत)
5.	अन्य	07 (4.002 प्रतिशत)
	कुल	**175** (100.00 प्रतिशत)

लगभग 6 विधायकों द्वारा संविधान सभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना था और पंजाब से कुल 28 सदस्य संविधान सभा में चुने गए।

सर छोटूराम का निधन व पाकिस्तान के निर्माण की रूपरेखा:[1]–

पाकिस्तान से प्रकाशित 'मंसूर' उर्दू अखबार के सम्पादक श्री सादक कश्मीरा, निवासी सोनी गली, लाहौर (पाकिस्तान) का कथन था कि यदि सर छोटूराम जिन्दा रहते तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। उनके 9 जनवरी 1945 के निधन के एक वर्ष बाद ही फरवरी, 1946 में पंजाब

विधानसभा के चुनाव हुए। उस वक्त पंजाब विधानसभा की 175 सीटें होती थीं, जिसमें से मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बन का उभरी और

75 विधायक जीत कर आए। बहुमत के लिए 86 विधायकों की जरूरत थी। गवर्नर के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। यूनियनिस्ट पार्टी के कुल 20 विधायक जीते थे, जिनमें से उस समय वर्तमान हरयाणा से मात्र तीन सीटें हांसी से चौ॰ सूरजमल सिंधु गांव खाण्डाखेड़ी जिला हिसार व गुड़गांव उत्तर पश्चिम से राव मोहर सिंह व श्री प्रेम सिंह ही जीत पाए। अकाली दल के 22 विधायक चुने गए, जबकि कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी थी। इसके 51 सदस्य जीतकर आए, जिनमें से 14 सदस्य वर्तमान हरयाणा से थे। इन तीनों पार्टियों, कांग्रेस, यूनियनिष्ट व अकाली दल ने मिलकर गवर्नर को सरकार बनाने का दावा पेश किया। यूनियनिष्ट पार्टी के चौ॰ खिजर हयात खान मलिक गौत्र गांव टिवाना, जिला सरगोधा, पंजाब (अब पाकिस्तान) के रहने वाले थे, को पंजाब का प्रीमियर (मुख्यमंत्री) बनाया गया। वर्तमान हरयाणा से चौ. लहरी सिंह मलिक, विधायक रोहतक, गांव भगाण, जिला सोनीपत व कैप्टन रणजीत सिंह, विधायक हिसार दक्षिण, गांव डाबडा,जिला हिसार कांग्रेस कोटे से मंत्री बने।

गर्वनर के इस निर्णय से मुस्लिम लीग ने सरकार का जमकर विरोध किया। दंगे फसाद आरम्भ कर दिए और संविधान सभा (सैन्ट्रल असैम्बली) के लिए निर्वाचित सदस्यों ने भी संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। अन्ततः एक वर्ष बाद, अगस्त के प्रथम सप्ताह में चौ॰ खिजर हयात खान – टिवाना ने प्रीमियर (मुख्यमंत्री) पद से त्यागपत्र दे दिया। 14/15 अगस्त की मध्यरात्रि को देश आजाद हो गया।

सर छोटूराम के जीवित रहते मुस्लिम लीग की भूमिका पंजाब में नगण्य थी। कांग्रेस व अकाली दल की स्थिति भी अच्छी न थी।

1946 की संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य

सामान्य क्षेत्र – शहरी

क्रम	विधानसभा क्षेत्र	पार्टी	विधायक का नाम/गोत्र	जाति	गांव	जिला	वर्तमान
1.	रोहतक–हिसार गुडगांव दक्षिणी शहरी क्षेत्र	कांग्रेस	पं॰ श्री राम शर्मा/जाटुकरता	ब्राह्मण	झज्जर	रोहतक	झज्जर

सामान्य क्षेत्र – ग्रामीण

2.	रोहतक दक्षिण	कांग्रेस	प्रो॰ शेरसिहं /कादियान	जाट	बाघपुर (बेरी)	रोहतक	झज्जर
3.	रोहतक मध्य	कांग्रेस	चौ॰ बदलूराम/हुड्डा	जाट	सांघी	रोहतक	रोहतक
4.	रोहतक उत्तर	कांग्रेस	चौ॰ लहरीसिहं /मलिक	जाट	भगाण	रोहतक	सोनीपत
5.	हिसार दक्षिण	कांग्रेस	कैप्टन रणजीत सिहं/मोहिल	जाट	डाबडा	हिसार	हिसार
6.	हिसार उत्तर	कांग्रेस	चौ॰ साहबराम/सिहाग	जाट	चौटाला	हिसार	सिरसा
7.	हांसी	यूनियननिष्ट	चौ॰ सूरजमल/सिन्धु	जाट	खाण्डाखेड़ी	हिसार	हिसार
8.	करनाल उत्तर (सामान्य)	कांग्रेस	चौ॰ जगदीस चन्द/सांगवान	जाट	ठोल	करनाल	कुरूक्षेत्र
	करनाल उत्तर (आरक्षित)	कांग्रेस	श्री॰ सुन्दर सिंह		हरिजन		होशियारपुर पंजाब
9.	करनाल दक्षिण	कांग्रेस	चौ॰ समरसिहं/मलिक	जाट	सींक	करनाल	पानीपत
10.	गुड़गावं दक्षिण–(पूर्वद्धसा॰)	कांग्रेस	पं॰ जीवनलाल वशिष्ठ	ब्राह्मण	पलवल	गुड़गाव	पलवल
	––––––––––आरक्षित	यूनियननिष्ट	श्री॰ प्रेमसिहं	हरिजन		गुड़गांव	
11.	गुड़गावं उत्तर–पश्चिम	यूनियननिष्ट	राव मोहर सिंह	अहीर		गुड़गाव	रेवाड़ी
12.	अम्बाला शिमला (सामान्य)	कांग्रेस	चौ॰ रतन सिंह/तंवर	राजपूत	बीहटा	अम्बाला	अम्बाला
	अम्बाला शिमला (आरक्षित)	कांग्रेस	स॰ पिरथी सिंह आजाद	हरिजन	खरड़	अम्बाला	मोहाली

PUNJAB
Claims in relation to
Muslim percentage by Tahsils
Muslim Majorities
Percentage
90-100
80-90
70-80
60-70
50-60
Muslim Minorities
Percentage
30-40
20-30
10-20
0-10
Chamba State
Simla Hill States
Patiala State
Jind
Bhawalpur State
Claims
Muslim
Boundary by Award

संयुक्त पंजाब का मानचित्र 1946
(पेप्सू सहित)

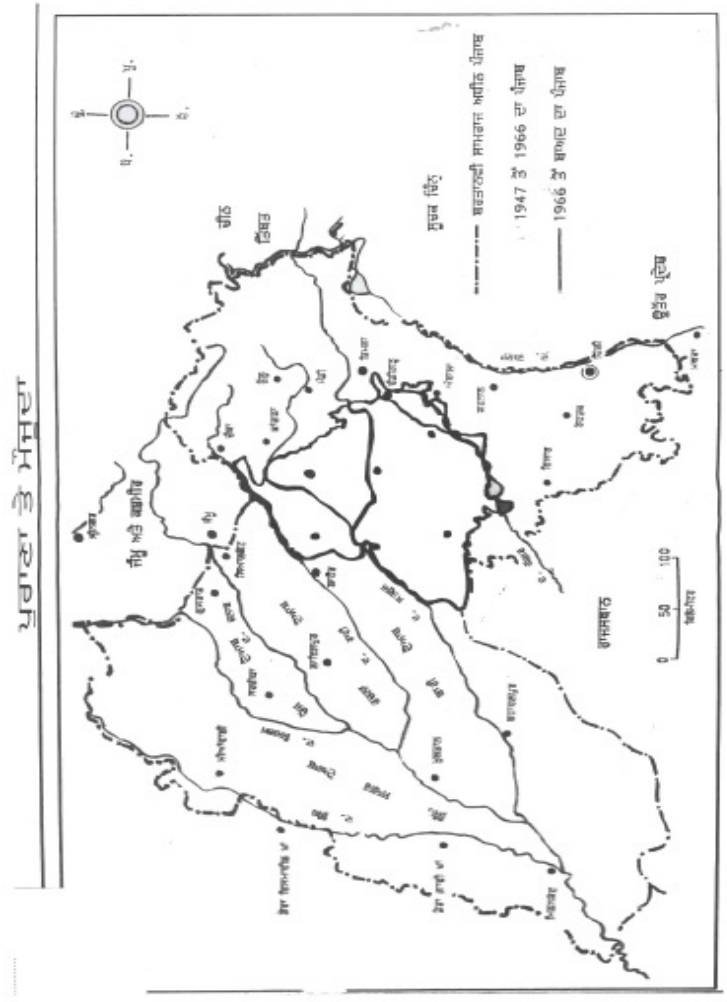

पूर्वी पंजाब का मानचित्र

हरयाणा का परिचय

⬡ संविधान सभा के हरयाणा से सम्बन्धित सदस्यों के मूल निवास स्थान

स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के गठन की भूमिका

20 फरवरी, 1947 को दूसरा कैबिनट मिशन भारत आया। **मांऊटबेटन योजना** : मार्च, 1947 में लार्ड बेवल के स्थान पर लार्ड लुई माऊंटबेटन को सत्ता के हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए नए वायसराय के रूप में भेजा गया। वे 22 मार्च, 1947 को भारत पहुंचे। 3 जून, 1947 को माउंटबेटन योजना को स्पष्ट रूप से समझाया गया। लार्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14–15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के नाम से दो डोमिनियनो का गठन हो गया। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। भारत के लिए भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और मुस्लिम सदस्यों के स्थान पर हिन्दू सदस्यों का चयन हुआ। उसने देश के बंटवारे का फैसला कर दिया और मुस्लिम बहुल प्रान्तों के सदस्यों की इच्छा जानी गयी। इन्होंने अलग संविधान सभा की मांग की।

पूर्वी पंजाब का प्रतिनिधित्व[3]

स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण हेतु पंजाब के 10 जुलाई 1947 को रिक्त पदों के लिए 12 सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें 6 हिन्दू 4 मुस्लिम व 2 सिक्ख थे। पंजाब के विभाजन के बाद, भारत में रह गए पंजाब के 13 जिलों को मिलाकर पूर्वी पंजाब नाम दिया गया, जिसमें 5 जिले हरयाणा क्षेत्र के भी शामिल थे, जो सदस्य चुने गए उनका विवरण निम्न है :

हिन्दू–6

1.	चौ॰ रणबीर सिंह–सांघी–रोहतक	हरयाणा क्षेत्र
2.	पण्डित ठाकुरदास भार्गव–हिसार	हरयाणा क्षेत्र

3.	डा. बख्शी टेकचन्द, नूरपूर (कांगड़ा)	पहाड़ी क्षेत्र
4.	श्री विक्रमलाल सोंधी, जालन्धर	पंजाब क्षेत्र
5.	प्रो॰ यशवन्त राय, लुधियाना	पंजाब क्षेत्र
6.	दीवान चमनलाल, सीमा प्रान्त	पंजाब क्षेत्र

सिख–2

1. सरदार बलदेव सिंह– गांव डूमना, जिला अम्बाला वर्तमान रोपड़
2. ज्ञानी गुरमुख सिहं मुसाफिर– गांव अढवाल (अटोक) पाकिस्तान

मुस्लिम–4

1. मौलाना दाऊद गजनवी
2. शेख महबूब इलाही
3. सूफी अब्दुल हमीद खान
4. चौ॰ मोहम्मद हुसैन

देश स्वतन्त्र होने के पश्चात मुस्लिम सदस्यों की जगह चार नए सदस्य चुने गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। इनमें से दो सिख शरणार्थी व दो हिन्दू शरणार्थी चुने गए। यह चुनाव 5 मार्च 1948 को शिमला में सम्पन्न हुआ था।[4]

सिख शरणार्थी –

1. स. भूपेन्द्र सिंह मान, गाँव मानवाला, जिला शेखुपुरा (पाकिस्तान)
2. स. हुकम सिंह– (1895–1970) जिला मिंटगुमरी (पाकिस्तान)

हिन्दू शरणार्थी–

1. मास्टर नन्दलाल (1887–1959) मघियाना, जिला झंग (पाकिस्तान)
2. लाला अचिन्तराम (1898–1961) कोट मोहम्मद खां (तरनतारन)।

29 जनवरी, 1947 के प्रस्ताव के अनुसार रियासतों को मिलाकर 29 सदस्य चुनकर भेजने को कहा गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

रियासत जींद का प्रतिनिधित्व

पंजाब स्टेट ग्रुप–।।।[6] , जिसमें 14 स्टेटस शामिल थे

1. जींद व लोहारू (हरयाणा)
2. कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, नाभा (पजांब)
3. मण्डी, बिलासपुर, साकेत, सिरमौर, चम्बा व बुशहर (हिमाचल)
4. टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
5. कलसिया (यू.पी.)

इन सभी रियासतों की तरफ से संविधान सभा के सदस्य चुनने के लिए बिलासपुर रियासत को जिम्मेवारी दी गई और कुल तीन सदस्य चुने गए। बिलासपुर के महाराजा श्री आनंद चन्द, महाराज कुमार बालेन्दुशाह व चौ॰ निहाल सिंह तक्षक गांव भागवी (दादरी) संविधान सभा में चुने गए। चौ. निहाल सिंह तक्षक का संबंध वर्तमान हरयाणा क्षेत्र से है।

वर्तमान हरयाणा के पटौदी व दुजाना रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व रेजीड्रयूअरी स्टेट ग्रुप की तरफ से हुआ था। इसमें राजस्थान व बिहार की कुछ रियासतें भी थी।

इस प्रकार से वर्तमान हरयाणा से सम्बन्ध रखने वाले 4 सदस्य स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद में थे, जिनके हस्ताक्षर संविधान पर हैं।

1. चौ॰ रणबीर सिंह–सांघी–रोहतक
2. पं॰ ठाकुर दास भार्गव–हिसार
3. मास्टर नन्दलाल–पानीपत
4. लाला देशबन्धु गुप्ता

स्वतंन्त्र भारतीय विधान परिषद के वर्तमान पंजाब से सम्बन्धित सदस्यों का विवरण

क्र	सदस्य का नाम	गोत्र/जाति	शिक्षा	गांव/जिला
1.	स. बलदेव सिंह[8]	सिबिया[9]/जाट सिख	कानून	डुमना(रोपड)
2.	स. गुरमुख सिंह मुसाफिर[10]	चड्डा/खत्री[11]	––	चढवाल (अटोक) (पाक)
3.	स. हुक्म सिंह[12]	––	कानून	मिटगुमरी (पाक)
4.	स. भूपेन्द्र सिंह[13]	मान/जाट सिख	कानून	मानपुरा (शेखुपुरा) (पाक)
5.	श्री विक्रम लाल[14]	सोंधी/खत्री	बी.एस.सी.	जालन्धर
6.	प्रो. यशवन्त राय[15]	हरिजन	ग्रेजुएट	जगरांव (लुधियाना)
7.	लाला अचिन्तराम	कोहली/खत्री[16]	ग्रेजुएट	कोट मोहम्मदखान (तरनतारन)

वर्तमान हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित सदस्य

8.	डॉ. बख्शी टेकचन्द[19]	––	कानून	नूरपुर (कांगड़ा) हिमाचल प्रदेश

(नोट : संविधान सभा के गठन के समय वर्तमान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कूल्लू व लाहौर स्फीती जिले पूर्वी पंजाब का हिस्सा थे।)

स्वतंन्त्र भारतीय विधान परिषद के हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्धित सदस्यों का विवरण

क्रम	सदस्य का नाम	गोत्र	जाति	शिक्षा	गांव	जिला	पार्टी
1.	पं. ठाकुरदास (1886–1962)	भार्गव	ब्राह्मण	कानून डिग्री	हिसार	हिसार	कांग्रेस
2.	चौ॰ रणबीर सिंह (1914–2009)	हुड्डा	जाट	स्नातक	सांघी	रोहतक	कांग्रेस
3.	मास्टर नन्दलाल (1887–1959)	मागो	खत्री	मैट्रिक	पानीपत (पुराना झंग जिला)	करनाल	कांग्रेस
4.	लाला देशबन्धु गुप्ता (1901–1951)	गर्ग	बनिया	अण्डर ग्रेजुऐट	पानीपत	पानीपत	कांग्रेस
5.	चौ॰ निहाल सिंह (1911–2001)	तक्षक	जाट	बी.ए. बी.एड.	भागवी (पुरानी जींद रियासत)	भिवानी	

संविधान सभा के हरयाणा क्षेत्र के सदस्यों का राजनीति में योगदान

भारत में प्रथम लोकसभा के चुनाव 17 अप्रैल, सन् 1952 को हुए और निम्नलिखित सदस्य प्रथम लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते। जबकि उस समय हरयाणा में 6 लोकसभा क्षेत्र अम्बाला, रोहतक, हिसार, झज्जर व करनाल थे। करनाल लोकसभा क्षेत्र से दो सदस्य चुने जाते थे। एक सामान्य श्रेणी से और एक आरक्षित श्रेणी से।

प्रथम लोकसभा

क्रम	वर्ष	उम्मीदवार	पार्टी	लोकसभा क्षेत्र	परिणाम
1	1952	चौ॰ रणबीर सिहं	कांग्रेस	रोहतक	विजयी
2.	1952	पंडित ठाकुरदास भागर्व	कांग्रेस	गुड़गांव	विजयी
3	1952	लाला अचिन्तराम	कांग्रेस	हिसार	विजयी

द्वितीय लोक सभा के चुनाव 5 अप्रैल, 1957 को हुए, जिसमें हरयाणा क्षेत्र से निम्नलिखत सदस्य विजयी हुए :

द्वितीय लोकसभा

1	1957	चौ॰ रणबीर सिहं	कांग्रेस	रोहतक	विजयी
2	1957	ठाकुरदास भार्गव	कांग्रेस	हिसार	विजयी
3	1957	मौलाना आजाद	कांग्रेस	गुडगांव	विजयी

संविधान सभा के एक सदस्य मास्टर नन्दलाल 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में करनाल से विधायक बने थे, जिन्होंने हिन्दू

महासभा के मजबूत उम्मीदवार डॉ॰ गोकल चन्द नारंग को हराया था। मास्टर जी लायलपुर (पाकिस्तान) से आने के बाद पानीपत में बस गये थे।

संविधान सभा में निर्वाचन

भारत की सैन्ट्रल असेम्बली (संविधान सभा) के चुनाव हेतू पंजाब प्रान्त में दिलचस्प तरीका अपनाया गया। उस समय पंजाब कांग्रेस कई धड़ों में बंटी थी। मुख्य रूप से दो धड़े थे। एक, डा॰ गोपीचन्द भार्गव, जो लाहौर से विधायक थे, मूलरूप से हरयाणा से सम्बन्ध रखते थे। दूसरा, लाला भीमसेन सच्चर का था, जो लाहौर पंजाब (पाकिस्तान) से थे। लाला भीमसेन सच्चर समूचे पंजाब की विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता थे। डाक्टर गोपीचन्द भार्गव वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। वर्तमान हरयाणा से तीन अन्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तीनों पुराने रोहतक जिले से सम्बन्ध रखते थे। इनमें हरयाणा केसरी प॰ श्रीराम शर्मा– विधायक दक्षिण शहरी जनरल अर्बन ने भी अपनी दावेदारी ठौंक दी थी। इसके अतिरिक्त, प॰ दुर्गा चन्द कौशिक विधायक गांव हरसाना कलां (अब सोनीपत) व चौधरी लहरी सिंह मलिक गांव–भगाण (अब सोनीपत) के नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए उछल रहे थे। चौ॰ लहरी सिंह मलिक के सुपौत्र श्री जितेन्द्र सिंह मलिक, वर्तमान में सोनीपत से लोकसभा के सांसद है।

उस समय आचार्य जे.बी. कृपलानी अखिल भारतीय कांगेंस के अध्यक्ष थे। श्री कृपलानी, पं॰ नेहरू व सरदार पटेल की देखरेख में बैठक हुई। डा॰ गोपीचन्द भार्गव, सरदार पटेल के समर्थक थे। लाला भीमसेन सच्चर, प॰ नेहरू के समर्थक थे। बैठक में डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव को पंजाब का पहला मुख्यमंत्री चुना गया।

भारतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होना था। कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया था कि 'केन्द्रीय असेम्बली के जितने भी सदस्य हैं, उनसे संविधान सभा के सदस्यों के रूप में चुन लिया। हरयाणा क्षेत्र से केन्द्रीय असैम्बली के सदस्य चौ॰ श्रीचन्द, गौत्र ओहलान, गांव गढ़ी सांपला (दीन बन्धु सर छोटूराम के भतीजे) का किन्ही कारणों से मनोनयन नहीं हो रहा था, उनकी जगह भी भरनी थी।

पंजाब में संविधान सभा के चुनाव की बहुत ही रोचक कहानी है। यह चुनाव विधानसभा द्वारा हुए। कई लोग मैदान में थे। बहुतों ने अपने सशक्त वकील भी मैदान में उतारे।

कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी, राष्ट्रीय आन्दोलन में कुर्बानी और असैम्बली के नेता के चुनाव के दौरान स्वस्थ, सन्तुलित और परिपक्व व्यवहार आदि बातें प्रमुख थी। इन्हीं गुणों से सम्पन्न होने के कारण चौ. रणबीर सिंह की साख ऐसी बन गई थी कि पंजाब तथा केन्द्रीय नेतृत्व की नजरों में वे संविधान सभा के लिए उपयुक्त समझे जाने लगे। जब इन्हें इस बात का पता चला तो इन्होंने एक–दो नेताओं के समक्ष इस पद को किसी इनसे अधिक योग्य व्यक्ति को देने की बात कह दी। वे बड़े नाराज हुए और एक ने तो इन्हें ''जरूरत से ज्यादा विनीत न होने'' की सलाह तक दे दी । ये चुप रहे।

जल्दी ही दिल्ली में कांग्रेस चयन समिति की बैठक हुई। डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव ने अपने सचिव मुलखराज द्वारा चौ. रणबीर सिंह को संदेश भिजवाया कि उनका चयन हो चुका है, कल घोषणा हो जायेगी। खुले रूप से रणबीर सिंह ने इस चयन हेतू कोई भागदौड़ नहीं की थी। चौ॰ रणबीर सिंह के चयन के कई कारण थे, जिनमें हालात उनके पक्ष में थे। इनके ताऊ डॉ॰ रामजीलाल व पिता चौ॰ मातू राम द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन में निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका व तत्कालीन कांग्रेस के उच्च स्तर के नेताओं से उनका सम्पर्क होना था। उनका उस प्रतिष्ठित व राष्ट्रभक्त जेलदार परिवार से होना व इनका

स्वयं का उत्तम राजनीतिक व्यवहार एवं पंजाब के विधायकों के पक्ष में होना 33 वर्ष की आयु में इनके चयन का आधार बना। संविधान सभा के सदस्य की आयु 40 वर्ष तय की गई थी। लेकिन, वे इसके अपवाद थे। इनके ताऊ डॉ॰ रामजीलाल के डॉ॰ भार्गव परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध थे।

डॉ॰ रामजीलाल उस समय वर्तमान हरयाणा के सबसे बड़े समाज सुधारक व आर्य समाजी थे। इनका सभी आदर करते थे। इनका 15 मार्च 1943 को देहान्त हो गया। चौ॰ मातूराम द्वारा विपरित परिस्थितियों में भी कांग्रेस का, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, जो प्रचार प्रसार किया गया, उनका फल चौधरी रणबीर सिंह को संविधान सभा के सदस्य के चयन के तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। डॉ॰ रामजीलाल के मित्र होने के कारण डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव की शुभकामनाएं भी उनके साथ थीं। डॉ॰ भार्गव उस समय तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उनकी सिफारिश इनके पक्ष में थी।

इस खबर ने इनमें उत्सुकता पैदा कर दी। इनकी इच्छा हुई कि सही स्थिति का पता लगाया जाए। सरदार प्रताप सिंह कैरों (1909–1964) कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे। वे 2 कर्जन रोड़ पर रहते थे। चौ॰ रणबीर सिंह, कप्तान रणजीत सिंह (1908–1987) गांव डाबड़ा जिला हिसार और चौ॰ साहब राम सिहाग (1911–1987) गांव चौटाला, उनकी कोठी पर गये। कप्तान रणजीत सिंह चौ॰ लालचन्द भालौट और चौ॰ साहब राम अपने छोटे भाई चौ॰ देवी लाल (1914–2001) की पैरवी कर रहे थे। वहां इन्हें पता चला कि कैरों साहब कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री सत्यनारायण सिन्हा की फिरोजशाह रोड़ स्थित कोठी पर मीटिंग में हैं। ये सब वहीं चले गए। बैठक समाप्त होते ही पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के महासचिव डॉ॰ लहना सिंह, जो पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे, बाहर निकले। इससे पहले कि वे लोग कुछ कहते, उन्होंनें पहले ही मुकारबाद दे दी। ''डॉ॰ साहब, किसे मुबारकबाद दे रहे हो,'' चौ. रणबीर सिंह ने उनको कहा। वास्तव में, वह समझ

रहे थे कि ये तीनों एक ही व्यक्ति अर्थात रणबीर सिंह के समर्थक हैं। उन्होंने तुरन्त स्थिति साफ कर दी। ''बहरहाल चौ॰ रणबीर सिंह आप ही बधाई के पात्र हैं।

कुछ ही समय में सरदार प्रताप सिंह कैरों भी बाहर आ गए। उन्होंने कहा, ''एक बजे रेडियो पर सूचना दी जाएगी। वह अन्तिम होगी। चौ. रणबीर सिंह अत्यन्त प्रसन्न थे। इनके प्रतिद्वन्द्वी चौ॰ लाल चन्द के घर सबने खाना खाया। चौ॰ लालचन्द रणबीर सिंह के पिता चौ॰ मातूराम के विरूद्ध सन् 1923 में पंजाब असैम्बली का चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन चौ॰ लालचन्द ने भी रणबीर सिंह को मुबारकबाद दी। रणबीर सिंह ने धन्यवाद तो दिया, परन्तु कुछ शंका जताते हुए। थोड़ी देर में घोषणा हो गई। रणबीर सिंह का नाम सूची में था। इनके लिए सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का शुभ अवसर इनको मिल गया था।

33 वर्षीय रणबीर सिंह के पास चारों ओर से बधाई के संदेश आने लगे। डॉ॰ भार्गव लाहौर जाते समय कह गए थे कि ''फैसला होते ही दूसरे दिन लाहौर जरूर पहुंच जाना।'' कैरों साहब ने कार्य को और भी आसान बना दिया। उनका कहना था, ''पैसे न हों तो किसी से मांग लेना, पर सुबह लाहौर पहुँच जाना।''

दूसरे दिन प्रसन्नचित्त रणबीर सिंह लाहौर पहुंच गए। निश्चित समय पर इन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जो जाँच के दौरान सही पाया गया। 10 जुलाई 1947 को चुनाव हुआ। निम्नलिखित प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 11 जुलाई को विधिवत परिपत्र भी जारी हो गया।

दीनबन्धु सर छोटूराम अक्सर अपने विरोधियों को एक बात कहा करते थे कि पंजाब में लाहौर का मुसलमान, अमृतसर का

खालसा व रोहतक का जाट मेरे साथ है। तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। इन्हीं जिलों का स्वतन्त्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है व राजनीतिक जागृति भी यहीं से आती है। उस समय 'द ट्रिब्यून' समाचार पत्र सरदार सुन्दर सिहं मजीठीया ने आरम्भ किया, जो अमृतसर जिले के थे। वर्तमान हरयाणा से दो समाचार पत्र 'जाट गजट सांपला व 'हरयाणा तिलक' दोनों का प्रकाशन रोहतक जिले से ही होता था। 'जाट गजट' उर्दू में दीनबन्धु सर छोटूराम द्वारा व 'हरयाणा तिलक' कांग्रेसियों द्वारा निकाला जाता था। इसका प्रकाशन प॰ श्रीराम शर्मा करते थे।

यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना भी रोहतक जिले के चौ॰ छोटूराम ने चौ॰ फजले हुसैन से मिलकर की थी और 1946 की कांग्रेस में भी चौ॰ लहरी सिंह मलिक मंत्री थे व हरयाणा क्षेत्र के 15 विधायकों में से 5 अकेले रोहतक जिले के थे। जिनमें से प॰ श्रीराम शर्मा, प॰ दुर्गाचन्द कौशिक व चौ॰ लहरी सिंह मलिक मुख्यमंत्री के दावेदार थे व चौ॰ श्रीचन्द थे । इनके अतिरिक्त प्रो॰ शेरसिंह व चौ॰ बदलूराम हुड्डा भी प्रभावशाली व दमदार विधायक थे। संविधान सभा में भी पं॰ श्रीराम शर्मा, दिल्ली से व चौ॰ रणबीर सिंह, पूर्वी पंजाब से चुने गए। चौ॰ लालचन्द भी उम्मीदवार थे। वर्तमान हरयाणा से प॰ भार्गव सरकार के दोनों मंत्री, चौ॰ लहरी सिंह व कप्तान रणजीत सिंह भी उनके पक्ष में थे। लेकिन, उनका चयन प्रो॰ शेरसिंह व चौ॰ बदलूराम आदि के भारी विरोध व यूनियनिष्ट पार्टी की पृष्ठभूमि के कारण नहीं हो पाया। दीनबन्धु सर छोटूराम के भतीजे चौ॰ श्रीचन्द किसी कारण से नहीं चुने गए। इनकी जगह यूनियनिष्ट पार्टी की तरफ से चौ॰ सूरजमल खाण्डाखेड़ी, जिला हिसार, विधायक हांसी चुने गए।

चौ॰ रणबीर सिंह के साथ भी इन्हीं जिलों के नेता साथ थे। लाहौर के सरदार प्रताप सिंह कैरो, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब (कैरों गांव

तहसील पट्टी, जिला लाहौर में शामिल था, जो वर्तमान में तरनतारन जिले में पड़ता है।), रोहतक से प्रो॰ शेरसिंह पूर्व केन्द्रीय मंत्री व चौ॰ बदलूराम हुड्डा, पूर्व विधायक भी उनके विरोध में नहीं थे। हांलाकि चौ॰ रणबीर सिंह के चयन में प॰ भार्गव, प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री पूर्वी पंजाब की अहम भूमिका थी, जो सरदार पटेल के ग्रुप से थे। प॰ नेहरू के पिता प॰ मोतीलाल नेहरू से इनके पिता चौ॰ मातूराम के घनिष्ठ सम्बन्ध थे। चौधरी रणबीर सिंह के नेहरू जी के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। प॰ नेहरू भी इनके समर्थन में थे। इनके पिता चौ॰ मातूराम व ताऊ डॉ॰ रामजी लाल के पंजाब कांग्रेस के आर्य समाजी नेताओं सर्वश्री लाला लाजपत राय,महात्मा हंसराज व स्वामी श्रद्वानन्द (लाला मुंशीराम)से घनिष्ठ सम्बन्ध थे। इस कारण से लाला भीमसेन सच्चर ने भी विरोध नहीं किया। इनके अतिरिक्त लाला देशबन्धु गुप्त (पानीपत) भी चौ॰ रणबीर सिंह के पक्ष में थे।

पूर्वी पंजाब के संदर्भित व्यक्तियों का परिचय

1. **माननीय सरदार बलदेव सिंह** : आप पूर्वी पंजाब : सिैख सीट से संविधान सभा में चुने गए थे। पुराने अम्बाला जिले के डुमना गांव में इन्द्र सिंह के घर में 1901 में जन्म हुआ। अब डुमना गांव, जिला रोपड़ (पंजाब) में स्थित है। इनका गोत्र सिबिया था जो कि जाट सिख से सम्बन्ध रखते थे। ये बहुत अमीर व्यक्ति थे। इनकी जमशेदपुर (झारखण्ड) व पूर्वी बंगाल (अब बंगला देश) में औद्योगिक इकाईयां थीं। 1937 में अम्बाला उत्तरी डिविजन से विधायक चुने गए व युनियनिष्ट सरकार में अकाली कोटे से कुछ समय मंत्री भी रहे। 1952 में पंजाब के नवांशहर से सांसद चुने गए। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने। इनके नाम से अम्बाला शहर में बलदेव नगर भी शरणार्थियों के लिए बसाया गया। भारत के पहले रक्षा मन्त्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। अकाली दल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर दिल्ली में 17 तुगलक रोड़ पर रहते थे।

2. **ज्ञानी गुरूमुख सिंह 'मुसाफिर'** : आप पूर्वी पंजाब : सिक्ख सीट से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। सन् 1899 ई. में गांव अढ़वाल, जिला अटोक (अब पाकिस्तान) में हुआ। आप के पिता जी चड्डा, गौत्र खत्री (खुखरैन) जाति से सम्बन्ध रखते थे, ये पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और मुसाफिर नाम से जाने जाते थे। इसलिए आप को 'चड्डा' की बजाए मुसाफिर के नाम से जाना जाता है। हिंदी राजभाषा इनके निर्णायक मत से ही बनी थी। 1949 में पूर्वी पंजाब कांग्रेस के प्रधान रहे। वर्ष 1966 में

हरयाणा निर्माण के समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर आप नई दिल्ली में 21 फिरोजशाह रोड़ पर चौ॰ रणबीर सिंह के साथ आप का निवास स्थान था। चौधरी रणबीर सिंह के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान जेल में रहे।

3. **सरदार भूपेन्द्र सिंह मान**: आप का जन्म जुलाई 1916 में बिट्रिश पंजाब के शेखुपुरा जिले के मानवाला गांव में हुआ। आप की शिक्षा लायलपुर व लॉ कालेज लाहौर में हुई। 1942 से 1945 तक भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल गए। बाद में सिख शरणार्थियों के कोटे से (मार्च, 1948) में पूर्वी पंजाब से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। आप जट सिख जाति से सम्बन्ध रखते थे।

4. **सरदार हुक्म सिंह** : पूर्वी पंजाब से सिख शरणार्थियों के कोटे से संविधान सभा के मार्च, 1948 में सदस्य चुने गए। आपका जन्म मिंटगुमरी (अब पाकिस्तान) में हुआ था आप के पिता सर श्याम सिंह थे। आप एल.एल.बी. तक शिक्षित थे व कपूरथला में जज के पद पर थे। अकाली दल के प्रधान रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पेप्सु राज्य के कपूरथला–भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से अकाली दल के टिकट पर सांसद चुने गए। सन् 1956 में लोकसभा के उपाध्यक्ष बने। सन् 1966 में हरयाणा निर्माण के समय लोकसभा के स्पीकर थे व पंजाबी सूबे की मांग के लिए गठित संसद की 21 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष थे।

5. **मौलाना दाऊद गजनवी**: स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद में पूर्वी पंजाब मुस्लिम सीट पर चुने गए। सन् 1945 में बिट्रिश पंजाब के कांग्रेस प्रधान थे। प. गोपीचन्द भार्गव व मौलाना

आजाद के समर्थक थे। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर आप नई दिल्ली में 9 इलैक्ट्रिक लेन में आप का निवास स्थान था। चौधरी रणबीर सिंह के साथ जेल में रहे। लेकिन, भारत विभाजन के बाद आप पाकिस्तान में चले गए।

6. **चौधरी मुहम्मद हुसैन**: बिट्रिश भारतीय विधान परिषद के भी सदस्य थे। आप पूर्वी पंजाब की मुस्लिम सीट से संविधान सभा के लिए चुने गए व चुनाव के समय सन् 1946 में पंजाब विधानसभा के अम्बाला–शिमला डिविजन से विधायक थे। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर आप नई दिल्ली में 5 वेस्टर्न कोर्ट में आपका निवास स्थान था। भारत विभाजन के बाद आप पाकिस्तान चले गए।

7. **सूफी अब्दुल हमीद खान** : संविधान सभा में पूर्वी पंजाब : मुस्लिम सीट से चुने गए। निर्वाचन के समय आप विधायक थे। दिल्ली में 30 वेस्टर्न कोर्ट में आपका निवास स्थान था। विभाजन के बाद आप पाकिस्तान चले गए।

8. **मिस्टर एस. एम. इलाही** : संविधान सभा में पूर्वी पंजाब की मुस्लिम सीट से चुने गए। दिल्ली में रिक्रूटिंग आफिस, 16 इलगीन रोड़ पर आप का निवास स्थान था। भारत विभाजन के बाद आप पाकिस्तान चले गए।

9. **दीवान चमन लाल** (1892–1973) : आप पूर्वी पंजाब की जनरल सीट से संविधान सभा में चुने गए थे। आप एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूर्वी पंजाब की तरफ से

संविधान सभा में पुनः निर्वाचित हुए। आप बार एट लॉ तक शिक्षित थे। रोहतक के विधायक देवराज सेठी का केस लड़ा। उस समय एक लाख फीस लेकर मुकद्मा लड़ने वाले पहले वकील बने। पं. मोतीलाल नेहरू जब सेन्ट्रल असेम्बली के नेता थे तो आप उप–नेता थे। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना के पक्के दोस्त थे। पं. मोतीलाल नेहरू, डॉ. एम. आर. जयकर व भोला भाई देसाई के समकालीन वकील थे। आप मुम्बई में रियल एस्टेट के मालिक थे। आपकी पत्नी इग्लैंड की थी। तुर्की में भारत के पहले राजदूत बने। आप के भाई रामलाल भी जज थे। बाद में आपने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर इग्लैंड व फ्रांस में वकालत की। संविधान सभा के सदस्य के तौरपर आप नई दिल्ली में 14 विडसर पेलेस में रहते थे। आप चौधरी रणबीर सिंह के साथ जेल में भी रहे।

10. **प्रो॰ यशवन्त राय**: आप पूर्वी पंजाब की जनरल सीट से संविधान सभा में चुने गए थे। आपका जन्म 16 मई 1915 में श्रीराम कृष्ण हरिजन के घर गांव जगराओं, जिला लुधियाना में हुआ। आपने शिक्षा जगराओं, मोगा, लाहौर से प्राप्त की। आप सन् 1938 में हरिजन कांफ्रेस समिति के प्रधान थे व 'दलित बन्धु' अखबार के सम्पादक थे। लाहौर में लाला लाजपतराय हाईस्कूल के संस्थापक थे। रोहतक हरिजन कांफ्रेस के प्रधान थे। 1966 में पंजाब विभाजन के बाद बनी गुरमुख सिंह 'मुसाफिर' की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आप संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से दलित प्रतिनिधि थे। दलितो के उत्थान के लिए आपने अनेक कार्य किए। संविधान सभा के सदस्य के तौरपर आप नई दिल्ली में 74, रंगपुरा,करोलबाग में रहते थे।

11. **प्रो॰ विक्रम लाल सोंधी**: आप पूर्वी पंजाब की जनरल सीट से संविधान सभा में चुने गए थे। आपका जन्म 1900 में हुआ। आप खत्री जाति से थे। जालन्धर से सम्बन्ध रखते थे। बी.एस. सी. (आर्नस) में पंजाब यूनिवर्सिटी से पास थे। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल गए। व्यापारी समुदाय से सम्बन्धित थे। कई संस्थाओं के पूंजी निवेश व वित्तीय सलाहकार थे। संविधान सभा के सदस्य के तौर पर आप नई दिल्ली में फिरोजशाह रोड़ पर रहते थे।

12. **जय राम दास दौलत राम** : आप का सम्बन्ध सिन्ध स्टेट से था। आप ने संविधान सभा के प्रारूप पर (पूर्वी पंजाब : जनरल) के सदस्य के तौर पर हस्ताक्षर किए। आप अन्तरिम सरकार में केन्द्रीय खाद्य मंत्री भी रहे। व संविधान सभा के अनेकों वाद–विवादों में भाग लिया।

13. **डॉ. बख्शी टेक चन्द** : आप का जन्म 26 अगस्त 1883 को नूरपुर जिला कांगड़ा में श्रीजैयसी राम के घर पर हुआ। आपकी शिक्षा नूरपुर, धर्मशाला व लाहौर से हुई। आपने लाहौर से लॉ की डिग्री प्राप्त की और लाहौर में वर्ष 1922 से वर्ष 1926 तक वकालत की। आप वर्ष 1922 से वर्ष 1926 तक पंजाब हाई कोर्ट बार एशोसियन लाहौर के प्रधान भी रहे। वर्ष 1926 में आप विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1927 से वर्ष 1943 तक लाहौर हाईकोर्ट में जज के पद पर कार्य किया। आप अनेक धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे। वर्ष 1946 में संयुक्त भारतीय विधान परिषद में व स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद में चुने गए। आप पूर्वी पंजाब के पर्वतीय क्षेत्र कांगड़ा–कुल्लू, (वर्तमान हिमाचल) क्षेत्र के संविधान सभा में एकमात्र सदस्य थे।

14. **लाला अंचितराम** : आपका जन्म 19 अगस्त, 1898 को जन्माष्टमी के दिन तरनतारन से 15 किलोमीटर दूर गांव कोट मुहम्मद खाँ में श्री भगवान दास कोहली के घर में श्रीमति ज्वालादेवी की कोख से हुआ। गांव में दुकान चलाते थे। 1918 में दयाल सिंह कालेज – लाहौर से एफ. ए. विज्ञान से पास की। आर्य समाज से प्रभावित थे। 1920 में डी.ए.वी. कालेज लाहौर से स्नातक पास की। 11 दिसम्बर 1925 को श्रीमती लालदेवी से विवाह हुआ। आपके पुत्र श्री कृष्णकान्त हरयाणा से दो बार राज्यसभा सांसद रहे व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक रहे व बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने। सन् 1919 से 1942 तक आपने अनेक आन्दोलनों में भाग लिया व अनेक बार जेल गए। 11 मार्च 1948 को आपने संविधान सभा के सदस्य के तौरपर अधिनियम 2–सी के अन्तर्गत शपथ ली। आप 1952 में हरयाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद बने। सन् 1957 में पटियाला से सांसद बने। आपका देहान्त 1961 में हो गया।

सन्दर्भ

1. व्यक्तिगत साक्षात्कार : पं. हीरानन्द शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हिन्दी केसरी, अम्बाला शहर
2. कश्यप सुभाष : हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि प्रकाशक : नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (2002) पृ. 21–22
3. –लोकसभा सचिवालय, भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण) नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994 पुस्तक न. 2, खण्ड–4, संख्या–1, अकं–4 (14–7–1947), पृ. 3
   –सिंह ज्ञान : संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, प्रकाशक : चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (2011),पृ. 69
4. –साक्षात्कार : श्री राजेन्द्र पाल, सेवानिवृत एच.सी.एस. (न्यायिक) एवं विशेष मैजिस्ट्रेट, अम्बाला शहर (सुपुत्र मा. नन्दलाल)
   –श्री पूर्ण चन्द आजाद, स्वतन्त्रता सेनानी रोहतक
   –अभी–अभी : हरयाणा रोहतक दिनांक 20 मई 2009
5. लोकसभा सचिवालय – वही– पुस्तक न. 1, खण्ड–2, संख्या–2, अकं–3 पृ.39
6. लोकसभा सचिवालय – वही– पुस्तक न. 1, खण्ड–2, संख्या–2, अकं–3,पृ.50
7. सिंह ज्ञान : –वही–, पृ. 314
8. The Tribune (English) Chandigarh : 22 Jan., 2000
   Singh Fauza (Dr.) : Who's Who Punjab Freedom Fighter, Deptt. of Punjabi] Punjabi University, Patiala (Punjab)] 1972, Page LX
9. व्यक्तिगत साक्षात्कार : सिंह प्रीतम, लायब्रेरी, पंजाब सरकार, चण्डीगढ

10. -The Tribune (English) Chandigarh : 22 Jan., 2000
-Singh Fauza (Dr.): --ibid -, Page -LXV
11. व्यक्तिगत साक्षात्कार : मलिक ओम प्रकाश वरिष्ठ एडवोकेट, ट्रिब्यून कालोनी, अम्बाला छावनी
12. Singh Fauza (Dr.): --ibid -,Page -LXXXI
13. The Tribune (English) Chandigarh : 22 Jan., 2000
14. The Tribune (English) Chandigarh : 22 Jan., 2000
15. The Tribune (English) Chandigarh : 22 Jan., 2000
16. यादव के.सी : पंजाब के प्रहरी – लाला अचिन्त राम
प्रकाशक : लाला बलवन्त राय तायल, मैमोरियल सोसाइटी हिसार
17. The Tribune (English) Chandigarh : 22 Jan., 2000
18. सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण) 2005
प्रकाशक : होप इंडिया पब्लिकेशंस 85, सेक्टर–23, गुड़गांव (हरयाणा)
19. –वही–

अध्याय – 3
हरयाणा का अस्तित्व

हरयाणा का अस्तित्व आदिकाल से है। समय–समय पर इसका भौगोलिक स्वरूप बदलता रहा है। सन् 1857 से पहले हरयाणा, बरेली से हांसी व हिमाचल से अलवर तक था। जब अंग्रेज इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आए तो उन्हें यहां के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे हालातों में बिट्रिश सरकार ने सन् 1857 में इस क्षेत्र को तीन भागों में बांट दिया। यमुना नदी से पूर्व के हिस्से को तत्कालिन संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) व पश्चिमी भाग को तत्कालीन पंजाब प्रान्त में मिला दिया गया और जींद, महेन्द्रगढ़ व दादरी का क्षेत्र पंजाब की पटियाला व नाभा आदि रियासतों में मिला दिया गया। इस बंटवारे के चलते हरयाणा राज्य प्रशासनिक दृष्टि से भारत के मानचित्र पर भले ही उस समय अंकित नहीं हो पाया, लेकिन उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान अखण्ड बनी रही। वर्तमान हरयाणा 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया।

भारत का दिल हरयाणा[1] :–

मनुस्मृति के रचयिता मनु ने प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है :–

सर्वेषां नु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक।
वेद शब्देभ्य एवादौ प्रथक्संस्थाश्च निर्ममे।। मनु : 21

अर्थात् सृष्टि के सारे पदार्थो, वस्तुओं, पर्वतों, नदियों, पशु–पक्षियों, मनुष्यों और सर्व संस्था समितियों के नाम वेदों से ही मनुष्यों को जनाए हैं। ये भारतवर्ष की गंगा, यमुना, सरस्वती, समुद्र विपासा आदि नदियों के नाम भी गुण देखकर वैदिक ही रखे गए है। आदि सृष्टि के अग्नि, वायु, ब्रह्म, विराट व मनु ऋषियों ने ही गुण कर्म स्वभाव अनुसार सब पदार्थो के नाम रखे थे। अन्य प्रदेशों के समान वीर हरयाणा का नाम भी ऋग्वेद में से लिखा गया है जैसे :–

ज्रमुक्षण्यायने रजते हरयाणे।
रथं युक्तमसनाय सुशामणि।।

इस मन्त्र के अर्थ में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद पं. जगदेव सिंह सिद्धान्ति जी लिखते है कि निरूक्त नैगम काण्ड में अध्याय–5, पाठ–3 ख, 15–16 की संख्या में लिखा है।

।। हरयाणः हरमाण यान :।'' गमन शील यानः।।

उपरोक्त वेद मन्त्र के भाषार्थ में पुनः लिखते हैंः–

जिस प्रकार (उक्षण्यायने) बलवान बैल या अश्व से जाने योग्य, यत् (हरयाणे) हरणशील बेगवान अश्वों या मंन्त्रों से जाने योग्य (सु–सामनि) उत्तम समभूमियुक्त मार्गो में (ऋज्रम्) ऋजु वेग से, जाने वाले (रजतम्) सुन्दर युक्तम अश्वों से जूते (रथम्) रथ को (असनाम्) उपयोग करते हैं।

भावार्थ यह है कि बहुत बलिष्ठ गऊ बैलों से परिपूर्ण, कृषि के योग्य उपजाऊ, सर्व प्रकार के रथ आदि यानों के चलने में योग्य समतल भूमि, सुख शांतिप्रद जलवायु, दुःख हरणशील, आनन्दवर्द्धक, भूमि ही यह वैदिक हरयाणा है। हम इसमें परस्पर प्रेम, मित्रता और भ्रातृभाव से निवास करें।

मनु जी ने इस सुख शांति आनन्दप्रद हरयाणे को बहर्शि देश कहा है यथा –

कुरूक्षेत्रचं मत्स्याष्च पांचालाः, शेरसेनका एश बहर्शि देशो व ब्रह्मवर्त्तादनन्तरः।।

अर्थात् आर्यावर्त्त में ब्रह्मवर्त के समीप यमुना नदी के पूर्व पश्चिम का प्रान्त कुरूक्षेत्र मत्स्य अर्थात् इसके दक्षिण में अलवर विराट और जयपुर के मध्य का क्षेत्र, पांचाल अर्थात् गंगा के पूर्व बरेली शाहजहांपुर, बदायुं का क्षेत्र और शूरसैनक अर्थात् मथुरा आगरा के पास का क्षेत्र, ये चारों मिलकर यह सब देश बह्मऋषियों का हरयाणा है। इससे अगले ही बीसवें श्लोक एतद्धेश प्रसूतस्य। अर्थात् आर्यावर्त तथा इसके मुख्य भाग बहर्शि देश हरयाणा की गंगा, यमुना सरस्वती आदि नदियों के तट पर बने आश्रमों के निवासी ऋषि महर्षियों से सारे भूगोल के लोग अपने–अपने आचार व्यवहार की शिक्षा ले जाएं।

'हर हर महादेव शिव हरयाणा'[2] –

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उपदेश मंजरी पूजा के 8वें व्याख्यान में लिखा है कि – कैलाश पर्वत के राज सिंहासन से हरद्वार अयोध्या, काशी (वाराणसी) भोपाल, उज्जैन, मुलतान (अब पाकिस्तान में) कुरूक्षेत्र व हिमाचल प्रदेश के विस्तृत आर्यावृतीय भू–भाग में अग्निस्वात के पुत्र शिव का राज्य था तब इस हरयाणा क्षेत्र सहित यह सारा विशाल भूखण्ड एक ही राजकायी में था अर्थात् एक ही राज्य था। शिवजी महाराज तथा उसके दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश ने जनगणों जनपदों, जनजटाओं और इनके संघों की स्थापना करके प्रजातन्त्रीय पंचायती राज चलाकर गंगाध्यक्ष, गणपति, गणप्रिय और गणेश प्रधान की पदवी पाई थी। शिव के बड़े सुपुत्र महासेनापति, स्कन्दस्वामी कार्तिकेय की सैन्य छावनी और निवास राजभवन रोहितकम अर्थात् रोहतक, हरयाणा में था।

महाभारत के रचयिता व्यास मुनि लिखते हैं :

ततो बहुधन रम्यं गवाढ्यं धन धान्यवत।
कार्तिकेयस्य दयितं रोहितकमुपाद्रवत्।।
तत्र युद्ध महच्चासीत् शूरैः मत्तमयूर कैः।
मरूभूमि स कात्सर्नेन तथैव बहुधान्यकम्।।

अर्थात् इस सुन्दर रमणीक धनाढ्य गवाढ्य हरयाणे के सुन्दर नगर रोहतक में कार्तिकेय की सेना तथा राजभवन का निवास था। मरूभूमि धर्मक्षेत्र, कुरूक्षेत्र, मत्तमयूरों का देश आदि कई गुण सम्पन्न नाम हरयाणा के ही थे।

हरयाणा के प्रत्येक ग्राम में शिव के ऊँची चोटी वाले शिवालय पाए जाते है। रोजाना शिव पार्वती की कथाएँ कही जाती हैं। विवाहों पर्वों तथा जन्म आदि के समय इनके गीत गाते हैं। हर वर्ष श्रावण तथा फाल्गुण मास में शिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अब से 10–12 पीढ़ी पूर्व महर्षि दयानन्द के पूर्वज हरयाणा से जाकर सौराष्ट्र (गुजरात) में बसकर भी हरयाणा के सारे पर्व तथा शिवरात्रि मनाते रहे और गुजरात राज्य के काठियावाड जिले के टंकारा ग्राम में जन्मे 14 वर्षीय बालक मूलशंकर (महर्षि दयानन्द) को भी शिवरात्रि के व्रत पर ही नया ज्ञान हुआ। पहली बार शिव पिण्डी (शिवलिंग) पर चढ़े चूहे को देखकर उनके मन में पत्थरमूर्ति की झूठी पोल खुल गई थी। अति प्राचीन काल से ही आज तक हरयाणा में 'हर हर महादेव' का जयघोश लगाया जाता है और यहां प्रमुख लीन मत वैष्णव, शिव का शैव और बुद्ध का बौद्ध प्रचलित रहे। वर्तमान में सनातनी, राधास्वामी, धन–धन सतगुरू सिख, आर्य समाज व कबीरपंथियों व जैन मत के अनुयायी भी है।

वीर यौधैयों का हरयाणा[3]

हरयाणा में 36 बिरादरी का बहुत प्रचलन है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये कोई जातियाँ नहीं थीं। जाति तो विश्व में तीन है, मुख्यतः हिन्दू (आर्य व द्रविड़), मंगोल व हब्शी। आर्य प्रमुख रूप से 56 देशों में रामलल्ला अयोध्या से रामलल्ला (इजरायल) तक द्रविड़ दक्षिण भारत में जहां तीन सागर बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर व अरब सागर मिलते हैं। हब्शी अफ्रीका के 36 देशों में व मंगोल, चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों में निवास करते हैं। हिन्दू जाति में 36 वंश है।[4]

1. सूर्य वंश से उत्पति — 10 वंश (गंगा से पूर्व का भाग)
2. चन्द्र वंश से उत्पति — 10 वंश (गंगा से पश्चिम का भाग)
3. ऋषियों से उत्पति — 12 वंश (ऋषियों के नाम पर)
4. यज्ञो (अग्नि) से उत्पति — 4 वंश (चौहान, परमार, चालुक्य व प्रतिहार)

इन्हीं 36 वंशों को 36 बिरादरी (जाति कहा जाता है) हरयाणा के यौधैय चन्द्रवंशी थे और चन्द्रवंशों के सुविख्यात राजा ययाति की कई पीढ़ी बाद में यदु पुत्र यौधेय प्रसिद्ध हुआ। (यौधेय युद्ध में रत रहने वाले शूरवीर यौद्धाओं से ही यौद्धये (यौधेय) शब्द बना। 5वीं सदी पूर्व से यौद्धय शब्द का उल्लेख मिलता है) जो यौधेय गणराज्य का संस्थापक हुआ। महाभारत काल में इन हरयाणा के यौधयों से ही पाण्डव पुत्र नकुल ने विकट युद्ध करके विजय पाई थी और सिकन्दर भी यौधेयों से ही डरकर भागा था। विक्रमी संवत् से पूर्व अर्थात् 600 वर्ष ईसा पूर्व से 400 वर्ष ईसा पूर्व अर्थात् 1000 वर्ष तक मुलतान का दुर्ग, मध्य प्रदेश का मन्दसौर, धौलपुर (राजस्थान), आगरा, बदायुं, बरेली व यू.पी. हरद्वार (उत्तराखण्ड), हिमाचल, कांगड़ा, लुधियाना, फिरोजपुर (पंजाब) तक यौधेयो का ही गणराज्य था। इनकी राजधानी

रोहतक में (रोहताश नगर) थी। हरयाणा के यौधेयो की वीरता पर गुरूकुल झज्जर के आचार्य स्वामी ओमानन्द जी ने विशेष खोज करके गुरूकुल के संग्रहालय में रखी हुई हैं। ये सिक्के वर्तमान यू.पी. के मेरठ, हापुड़, सहारनपुर तथा वर्तमान हरयाणा के हांसी, हिसार, दादरी, भिवानी, रोहतक व सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। यौधेयगण के झण्डे और रथ पर मयूर का निशान रहता था, जिसके कारण इन्हें 'मयुरक' भी कहा जाता था।

इन यौधेयों का मत्त–मयूरक भी कहते थे। इसीलिए इतिहास में आया है कि धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र और देशेमत मयूर के। वर्तमान हरयाणा में जलयुक्त 10 दुर्गों के दशार्ण भी कहलाता था, जो कि रोहतक, महम, सिरसा आदि थे।

'हरयाणा' के मूल व्याकरणिक नाम में बदलाव :

वर्तमान हरियाणा का मूल नाम 'हरयाणा' रहा है। इस सन्दर्भ में जितने भी लोक–कवियों की रचनाएं, इतिहासकारों के दृष्टिकोण और लोक कथाएं मिलती हैं, उनमें इस प्रदेश का व्याकरणिक नाम 'हरयाणा' ही मिलता है। हालांकि अलग प्रान्त बन जाने के बाद से आज इस प्रदेश का व्याकरणिक रूप 'हरियाणा' बन गया है, इसके बावजूद आज भी आर्य समाज अपने प्रकाशनों में इसके मूल नाम 'हरयाणा' ही प्रयोग करता है। अंग्रेजी में भी आज तक 'हरयाणा' (Haryana है, Hariyana नहीं) का ही लिखा जाता रहा है। हरयाणा प्रदेश के गठन के समय भी यह विषय गंभीर मुद्दा बना था और 'हरयाणा' को 'हरियाणा' लिखने का भारी विरोध हुआ था। लेकिन, तत्कालीन सरकार ने इन सब विरोधों को दरकिनार करते हुए इसे 'हरियाणा' ही रखा। सैद्धान्तिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो 'हरियाणा' का मूल और शुद्ध रूप 'हरयाणा' ही बनता है।

इसी सन्दर्भ में एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्रमाण मिलता है। दिल्ली के निकट सारवान जिले से मिले विक्रमी सम्वत् 1385 के शिलालेख पर बड़े सुनहरी अक्षरों में खुदा हुआ है–

देशोअस्ति हरण्याणाख्यः।
पृथिव्यां स्वर्गसन्निभः।।

(अर्थात्, हरयाणा नामक एक देश (प्रदेश) है, जो इस धरती पर स्वर्ग के समान है।)

ईसा पूर्व का हरयाणा[5]

ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में ऐतिहासिक काल का आरम्भ माना जाता है। उस समय आर्य सभ्यता अपने चरम पर थी। इस काल में उत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उत्तर भारत में यह काल 'महाजनपद' काल भी कहा जा सकता है। हरयाणा इस काल में 'कुरूमहाजनपद' कहलाता था। इस जनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) थी।

इस विस्तृत संस्कृति का अन्त कैसे हुआ, भारत के इतिहास की यह एक जटिल समस्या है। इस प्रदेश में हुई खोजों से यह प्रतीत होता है कि इस काल में यहाँ जीवन–वाहिनी नदियां अपने बहाव बदलने के कारण सूख रही थी। पूर्व की तरफ खिसकती यमुना, करनाल, पानीपत, सोनीपत व दिल्ली के निकटवर्ती खादर में बहने लगी और गंगा में जा मिली। यमुना के बहाव का पश्चिम से पूर्व की तरफ बदलना इस प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके किनारे स्थित पुरात्तात्विक अवशेषों से ज्ञात होता है कि यमुना लगभग एक हजार ईसा पूर्व तक पूर्वागामिनी हो चुकी थी। इन भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इस काल में हिसार जिले में प्राचीन यमुना तट स्थित बस्तियां उजड़ गईं। महाभारत में उल्लेखित कुरू जंगल व खांडव वन इन्हीं नदियों के रूख बदल जाने के परिणाम

स्वरूप उजड़ गए सूखे प्रदेश के परिचायक है। सरस्वती व दृशद्वती नदी भी अपना बहाव बदलकर छछरौली (जिला यमुनानगर) के निकट यमुना में जा मिली। परिणामस्वरूप दक्षिणी हरयाणा, उत्तर, राजस्थान और बहावलपुर रियासत (पाकिस्तान) के भू–भाग सुखाग्रस्त हो गए। सम्भवतः इसी कारण महान आर्य संस्कृति का ह्रास हुआ। परन्तु, उत्तरी हरयाणा में यह संस्कृति अपनी अवनत दशा में, किसी न किसी रूप में, आज भी विद्यमान है।

महाभारत के बाद भी यहाँ के वीरों ने सदा बाहर के आक्रमणकारियों से टक्कर ली और उन्हें खदेड़ते रहे। इन्हीं लोगों के भय से सिकन्दर को आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ और वह सतलुज के परे से ही वापिस चला गया। इसी प्रकार से सभी महत्वपूर्ण लड़ाईयों में सर्वखाप पंचायत का भारी योगदान रहा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) में 20000 मल मराठा सेना की मदद के लिए भेजे थे।[6] लेकिन, सूरजमल की बात न मानने के कारण मराठे हारे। हारने के बाद मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध में साधु वेश में रोहतक के सांघी गांव में शरण ली थी।[7]

विशाल हरयाणा की सर्वखाप पंचायतें[8]

गुप्त राजाओं ने राजतन्त्री स्वार्थी तथा राष्ट्र विरोधी पौराणिक पण्डो के जाल में फंसकर यौधयेगण को विशेष हानि पहुंचाई, जिससे संगठन तो टूट गया, परन्तु प्रत्येक खाप में लोकतान्त्रिक पंचायतें फिर भी काम करती रही। फिर इनको जोड़ने के लिए थानेसर, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने तथा बल्लभीपुर (गुजरात) के राजा ध्रुवभट्ट सेन ने कन्नौज के राज सम्मेलन विक्रमी सम्वत् 699 (सन् 642 ई॰) में चैत्र शुदी प्रतिपदा को सर्वखाप पंचायत का नामकरण व पुनर्गठन किया। तब से आज तक विक्रमी सम्वत् 2068 (सन् 2011 ई॰) तक 1369 वर्ष हो चुके है। राजा हर्षवर्धन ने सर्वखाप पंचायत की मल्ल सेना द्वारा ही

90 राजाओं को जीतकर समस्त उत्तरी भारत पर बड़े धर्मदान तथा प्रजारक्षण का पंचायती शासन किया था। तब से अब तक लगभग 200 खाप पंचायती का रिकार्ड सर्वखाप मुख्यालय गांव सौरम जिला मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) में रखा है। इन पंचायतों के अवैतनिक मल्ल सैनिकों ने बाहरी आक्रमणकारियों के विरूद्ध प्राचीन हरयाणा तथा भारतवर्ष की रक्षा की है। हर्षवर्धन के बाद हरयाणा की राजधानी राजा दिल्लू की दिल्ली रहती रही है। सन् 1365 वि. स. सन् 1308 ई. में 185 खापों के 45000 प्रतिनिधियों ने बालायण खाप को प्रधान व मन्त्री पद प्रदान किया था। गांव – सिसोली को प्रधानी व ग्राम सोरम को मंत्री पद प्रदान किया था।

हरयाणा में सदाचार तथा वीरता[9]

सृष्टि के आरम्भ से ही यहां के नर–नारी शुद्ध सात्विक भोजन दूध, घी दही तथा अन्न के आहारी रहे है। ये ग्रामों में मोर मृंशों को मारने वाले अंग्रेजों को भी किसान लठों से मार देते थे। हरयाणा के कुरूक्षेत्र, रोहतक, मथुरा, दिल्ली, हरद्वार तथा मेरठ आदि स्थान प्रसिद्ध रहे है। दिल्ली के चारों और का विशाल हरयाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग (संभवत मालवा) सहित उस समय 365 प्रमुख खाप थीं। मुगलशासकों के साथ युद्ध में सदा विजयी रहते थे। इन खाप पंचायतों ने महमूद गजनवी से लेकर अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर तक कभी अन्याय सहन नहीं किया।

हरयाणा का नाम लेना अपराध था[10]

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम में गद्दारी तथा कुछ अपनी कमजोरियों से विफलता मिली। अंग्रेजी सरकार ने यमुना नदी के आर–पार जाना व रिश्तेदारी करना और हरयाणा का नाम लेना 5 वर्ष तक अपराध घोषित कर दिया था और हरयाणा की वीरता देखकर इसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) और मध्य प्रदेश में बिखेर

दिया था । बिट्रिश सरकार ने वर्ष 1857 से 1947 तक खाप पंचायतों पर व्यावहारिक पाबन्दी लगाये रखी।

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वखाप पंचायत हरयाणा की सबसे पहली सभा 8–9 मार्च सन् 1950 को सौरम ग्राम, जिला मुजफ्फरनगर (यू.पी.) में हुई थी। उसके बाद, वर्तमान हरयाणा के बेरी, सिसाना, महम, रोहतक, व गोहाना (सभी पुराने रोहतक जिले में) व यू. पी. के गांव पिलुखवा व दिसाला (जसाला) जिला मुजफ्फरनगर में हुई है। जसाला कलश्याण गोत्र के गुर्जरों का गाँव है।

कवियों, सन्तों व महापुरूषों की नजर में हरयाणा

सन्त सदाराम योगी के हरयाणा के बारे में विचार[11]

विक्रमी सम्वतं (सन् 1683 ई॰) में यू.पी. के सम्भल (मुरादाबाद) में सर्वखाप पंचायत की सभा में सन्त सदाराम योगी ने कहा

''हे हरयाणावासियो! तुम अपनी वीरता और संगठन से ही यहां सुखी हो। यह पवित्र भूमि हरयाणा सारे भारत का दिल है''

एक प्रसिद्ध लेखक मियां शमशदीन लिखते हैं कि दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय विजयनगर (कर्नाटक) का प्रसिद्ध राजा था। इनकी सेना में सारे भारत के मल्ल यौद्धा थे '' इन पंचायती मल्लो में एक चौथाई वीरमल्ल उत्तरी भारत के दिल दादा हरयाणा के थे।

ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक के मुंशी हसन अब्बास ने हरयाणा के बारे में वि. सं. 1499 (सन् 1442 ई.) में यह कहा था ''उत्तर भारत में हरयाणा जन्नत का मुकाम है। जंगल गऊओं (गायों) से भरे पड़े हैं। बैल बड़े ही बलिष्ठ हैं।

संवत् 1476 (सन् 1419 ई.) कनार्टक में विजयनगर के राजा देवराम द्वितीय की प्रार्थना पर सर्वखाप हरयाणा, हरयाणा के पंचायती मल्ल प्रधान ने 30 मल्ल उसकी सहायता के लिए भेजे थे।

संवत् 1580 (सन् 1523 ई.) के पास रीवा (एम.पी.) के राजा वीरसिंह वफेले की सेना में भी हरयाणा के मल्ल थे, जिनका अभिनन्दन राजा ने विजयश्री के बाद किया था।

नारनौल निवासी प्रसिद्ध कवि मीरजाफर जट्ाली फरूखसीयर के समय में हरयाणा का गुणगान किया था।

मुझे मादरेवतन हरयाणा से अजहद प्यार है और हरयाणा ही मुल्के खुदा में जन्नत कहलाने का हकदार है। यहां बसने वाले सब महादेव पार्वती के बरखुदार है। यहां रहते हैं, सब शिव के सच्चे पुजारी।

यही हरयाणा हे मात्भूमि हमारी।।

हरयाणा के लोग बड़े सरल स्वभाव शान्ति प्रिय, परन्तु आततायी के विरूद्ध युद्धप्रिय भी रहते रहे है। यहां का मुख्य भोजन दाल–रोटी, साग–सब्जी, खीर–पुड़े और गुलगुले आदि हैं। हरयाणा के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है :

''देसा में देश हरयाणा, जित दूध दही का खाणा''। अस्थल बोहर (रोहतक) मठ के संस्थापक सिद्धयोगी बाबा मस्तनाथ के जीवन चरित्र के लेखक श्री शंकरनाथ जी ने हरयाणे का वर्णन

देश अनूप एक हरयाणा, दूध दही घृत का जहां खाणा
बसत कुशल जहां हरिजन गेहूं, राखत अधिक साधु पदनेहूं
दया धर्म करू भक्त रसीले, लोग अंहिसक बहुत सुरीले

हरयाणा के प्रसिद्ध सन्त गरीबदास जिनकी गद्दी गाँव छुड़ानी (झज्जर) में है। ग्राम करोथां (जिला रोहतक) निवासी बाल ब्रह्मचारी श्री जैतराम ने संवत 2011 (सन् 1954) में प्रकाशित ''ग्रन्थ साहब'' की वाणी में पृष्ठ 365 पर हरयाणा की प्रशंसा की है :–

दिल्ली मण्डल देश बखाणो, हरयाणा एक देश कहलावै।
बागड़ जमना ब्रज घाघरी, मध्य हरयाणा समझ विचारो भाई।

हरयाणा आनन्दमन भाया, जहां घी, दूध दही सुखदाई।
सन्त समागम सेवन करहिं, गंगा जमना नहाना।
ऐसा है हरयाणा दीपक कन्या हवः ने कोई।
भक्ति रीति सबहि न्यवहारा, कुटिल कर्म सब खोई।।
दूध दही मन माना होई, कोई दिन बिरला खाली।।
अति सुन्दर नीकि नर काया, सब के मुख सुन्दर लाली।।
जैतराम ऐसा हरयाणा, सब देशों में न्यारा।।

सन् 1857 के संग्राम में सर्वखाप पंचायत सौरम की ओर से अंग्रेजों के विरूद्ध क्रांन्तिकारियों का मनोबल बढ़ाने वाली श्रीमती सदाकौर भाटनी फांसी पर लटका दी गई थी। श्रीमती सदाकौर ने बीसो पद्य हरयाणा के सम्बन्ध में लिखे है जिनके पहले दो पद इस प्रकार से है :

म्हारे हरयाणा शुभ कर्मी है राजा
जहां नित ज्ञान चर्चा का बजै है बाजा,
यहां सत्यवादी लोग लुगाई,
जहां चरित्र की फिटै पुहाई।

इसी प्रकार से 17 वीं शताब्दी के अन्त में ग्राम रसूलपुर (मुजफ्फरनगर) की निवासिनी बाल ब्रह्मचारी फूलकवि साध्वी ने हरयाणा पर इस प्रकार से कविता लिखी :

हे प्रभु! फूलकाली का है साधू बाणा।
इस देश का नाम बजै हरयाणा।।
यहां गऊ का दूध और मक्खन खाणा।
अशुभ कर्म का नहीं नाम निशाना।।
सत् भाजी और गंगा जमना नहाना।
यहां के वीर बड़े बलवाना।
भजन करें और हवन रचावैं।
पहले न्हावै पीछे खावैं।।
पोर्णमासी मावस को कथा करावै।
गौ ब्राह्मण का मान बढावै।।

1857 की जन क्रांति में हरयाणा का योगदान

9 मई 1857 को सर्वप्रथम अम्बाला छावनी में विद्रोह हुआ, उसके बाद उसी दिन मेरठ में हुआ। 10 मई 1857 को 60वीं व 5वीं रेजीमैन्ट ने अम्बाला में बिट्रिश सरकार के विरूद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया।[12]

विद्रोह के शुरू होते ही पानीपत के मैजिस्ट्रेट मैकठिहरटर की हत्या कर दी गई और विद्रोहियों ने समालखा कस्बे पर कब्जा कर लिया और नौलथ जैल के 16 जाट गांवों ने राजस्व देने से इन्कार कर दिया। भालसी, कुराना जैल के 19 गांवों ने विद्रोह कर दिया। सिवाह, असन्ध, जलमाना, सालवन, बलाह, डाचर व बुअली कलन्दरशाह व पानीपत के अन्य धार्मिक स्थानों पर बगावत का खुलेआम प्रचार किया गया।

उधर अगस्त, 1857 के अन्त में कुछ समय तक रोहतक जिले की पंचायतों और खापों ने प्रशासन पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने–अपने इलाकों का राज–प्रबन्ध खाप पंचायतों द्वारा किया जाने लगा। विभिन्न खाप पंचायतों ने अपने सैनिक दस्ते बना लिए और हर गाँव की सुरक्षा का प्रबन्ध कर लिया। किसी भी हमले की पूर्व सूचना प्राप्त करने और लोगों को चेतावनी देने के लिए गाँव की चौपाल के चौबारों में चौकीदार तैनात रहते और जब भी किसी खतरे का आभास होता, पहरेदार नगाड़े बजाकर लोगों को चेतावनी देते थे। यह सच है कि रोहतक पर अधिकार होने के बहुत समय बाद तक भी ब्रिटिश प्रशासन यहां के स्वाधीनता प्रेमी पर काबू नहीं पा सका था।

रोहतक में बहादुरशाह जफर के दूत तफज्जल हुसैन के नेतृत्व में उठ खड़े हुए और सांपला में अंग्रेजों के मकानों को जला डाला।[13] महम,मदीना और माण्डोठी के कस्टम बंगलों को जला दिया। सांघी व खिड़वाली की जनता ने विशेष बहादुरी दिखाई।[14] झज्जर, दादरी व फरूखनगर के नवाबों ने विद्रोह में भाग लिया। सोनीपत के कुंडली, लिवासपुर आदि अनेक गाँव बागी हो गए।

1857 के युद्ध के समय हरयाणा के अकेले शामड़ी गांव के 23 व्यक्तियों को फांसी दी गई, जिनमें बीस जाट व तीन ब्राह्मण थे।[15] उस समय यह गांव पानीपत जिले के सोनीपत परगने का हिस्सा था। अब सोनीपत जिले में है।

रोहतक जिले के 159 व्यक्तियों को फांसी दी गई[16] जिसमें खिड़वाली गांव के 13, भालौट के 10, रोहतक, महम, झज्जर, कानौंदा, बहादुरगढ़ व पटौदी के व्यक्तियों की संख्या अच्छी खासी थी। पटौदी व रेवाड़ी रोहतक जिले में पड़ता था। गुडगांव जिले के 238 व्यक्तियों को फांसी हुई व गोली मारी गई,[17] जिसमें हसनपुर, छज्जूनगर, एयरवान, सुलतानपुर, गुडगांव, बादशाहपुर, नगली, प्रहलादपुर व नागी गांव के व्यक्तियों की अच्छी भागीदारी थी। अकेले बादशाहपुर गांव के 62 व्यक्तियों को फांसी दी गई,[18] जिनमें से 58 मेव, 4 बनिये थे। इनके अलावा नागी गांव के 35 व्यक्तियों को फांसी दी गई।

इस प्रकार से हरयाणा क्षेत्र के लोगों ने सन् 1857 की जन क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हांसी के पास रोहणात गांव खत्म कर दिया गया।[19] सोनीपत में लिबासपुर, हिसार में मंगाली, अलीपुर आदि गांव को ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत हानि पहुँचाई गई।

बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने बहादुरशाह जफर की बहुत मदद की।[20] 15000 मेवों ने कैप्टन डमंड की सेना से रूपडाका में कड़ा संघर्ष किया। रेवाड़ी के राव तुलाराम विद्रोहियों से मिल गए। नवाब झज्जर के ससुर अब्दुल समद खां के नेतृत्व में भट्टू के शहजादा मोहम्मद आजम राव किशन गोपाल के नेतृत्व में झज्जर रियासत के नसीबपुर (नारनौल के निकट) लड़े।[23] हिसार, हांसी और सिरसा में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजो का सफाया कर दिया। क्रांतिकारियों में अधिकतर मुस्लिम राजपूत थे। हांसी में लाला हुक्मचन्द जैन के नेतृत्व में 11 यूरोपियन को मार डाला। रोहणात, मंगाली, जमालपुर, हाजमपुर, ओढ़ा, भाटोल और अलीपुर के लोगों ने शानदार संघर्ष किया। उधर,

रोहतक जिले की पंचायतों व खापों ने प्रशासन पर अपना अधिकार कर लिया और अपने क्षेत्रों का राज प्रबन्ध खाप पंचायतों द्वारा किया जाने लगा।[22]

दिल्ली विजय करने में हरयाणा का सर्वाधिक योगदान रहा। हरयाणा के हर हिस्से से देशभक्त सैनिक खूब लड़े।

4 मास 7 दिन दिल्ली पर बहादुरशाह जफर का अधिकार रहा और उसके बाद देशी राजाओं पटियाला, जींद, नाभा की सैनिक सहायता व अंग्रेज परस्तों के सहयोग से अंग्रेजी सेना ने 20 सितम्बर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया।[23] सन् 1857 की जनक्रान्ति में हरयाणा की सभी जातियों व धर्मो के लोगों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया।

13 नवम्बर 1857 को नसीबपुर नारनौल (रियासत झज्जर) में भंयकर युद्ध हुआ। लगभग 100 क्रान्तिकारी मारे गए जिनमें नांगल पठानी के राव कृष्णगोपाल, राव रामलाल, किशन सिंह व नवाब झज्जर के सेनापति समद खां का बेटा व सरदार मणि सिंह, शादीराम, रामधन सिंह युद्ध में मारे गए। ब्रिटिश फौज के 70 सैनिक मारे गए, जिनमें कर्नल गैरार्ड और कैप्टन वैलेस भी मारे गए। लेकिन, राव तुलाराम राजस्थान के बीकानेर में चले गए।[24] 6 वर्ष बाद 23 सितम्बर 1863 को काबुल (अफगानिस्तान) में राव तुलाराम का निधन हुआ।

1857 के बाद हरयाणा का विभाजन[25]

फरवरी 1858 से पहले वर्तमान हरयाणा राज्य का समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रान्त के साथ सम्मिलित था। 1857 के विद्रोह के समय यहां जो कुछ हुआ, उससे ब्रिटिश शासक बहुत चिन्तित थे। उन्होंने राजनैतिक दृष्टि से दण्ड देने के लिए इस वीर भूमि को खण्डित करने की सोची। फलस्वरूप पंजाब के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर जान लारेंस ने हरयाणा प्रदेश को कई खण्डों में विभक्त कर दिया। इसके

कुछ भाग दिल्ली मण्डल की अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव व करनाल आदि पंजाब की और जींद, दादरी व महेन्द्रगढ़ के भाग को देशी रजवाड़ों को सौंप दिया गया। इन्होंने युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता की थी। इनका विवरण निम्नलिखित है :

देसी रियासत	सैनिक सहायता	इनाम	आंबटित क्षेत्र
पटियाला[26]	400 सैनिक,4 तोप	30 गांव	कोट कासिम व बहरोड नारनौल, कानौड व वधवाना
बीकानेर[27]	2975 सैनिक, 4 तोप	50 गांव	हिसार व सिरसा का दड़बा पैंतालीसा
नाभा[28]			बावल, कांटी, कनीना
जींद[29]			दादरी

यूनियनिष्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व

यूनियनिष्ट पार्टी के ब्रिटिश भारतीय विधान परिषद में तीन प्रतिनिधि थे, जिनमें सर्वश्री फिरोज खां नून (मुस्लिम) व राव बहादुर चौ॰ सूरजमल (हिन्दु जनरल) व एक अन्य सदस्य अनुसूचित जाति से सम्बन्धित था।

पंजाब में 29 जिले थे और इतने ही प्रतिनिधि संविधान सभा में थे। पंजाब के 16 मुस्लिम सदस्यों में से चौ॰ मुहम्मद हुसैन को छोड़कर सभी पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तानी पंजाब) से सम्बन्ध रखते थे। 7 हिन्दू सदस्यों में भी दीवान चमनलाल व माननीय मेहरचन्द खन्ना का सम्बन्ध पश्चिमी पंजाब से था। शेष पांचों में से तीन का सम्बन्ध वर्तमान हरयाणा क्षेत्र से था, जिनमें चौ॰ सूरजमल यूनियनिस्ट पार्टी व बाकी तीनों सर्वश्री डा. भार्गव व पं. श्रीराम शर्मा का सम्बन्ध वर्तमान हरयाणा

से था। चौ. हरभजराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। 5 सिक्ख सदस्यों में से सरदार उज्जल सिंह का सम्बंध पाकिस्तान से था, सरदार प्रताप सिंह कैरों व सरदार पृथ्वी सिंह आजाद का संबंध पंजाब राज्य से था।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 30–10–1875 को मुम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। पंजाब व लाहौर में 1878 में आर्य समाज की स्थापना हुई।[30] महर्षि दयानन्द ने पंजाब की यात्रा की थी। लेकिन, वर्तमान हरयाणा क्षेत्र में नहीं आए। वे लाहौर से सीधे जालन्धर अम्बाला के रास्ते सहारनपुर व मेरठ की तरफ चले गए। 30–10–1883 को स्वामी दयानन्द की मृत्यु के बाद, लाहौर में डी.ए.वी. कालेज खोलने का निर्णय गुरूदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज व लाला लाजपतराय ने लिया। लाला लाजपतराय रोहतक में चौधरी मातूराम आर्य व हिसार में डॉ. रामजीलाल हुड्डा आदि के पास डी.ए.वी. स्कूल हेतू चन्दा करने आते थे। भरपूर चन्दा इस क्षेत्र से डी.ए.वी. संस्थाओं को दिया गया। लेकिन, अम्बाला जिले को छोड़कर वर्तमान हरयाणा में डी.ए.वी. संस्था का शिक्षण संस्थान नहीं खोला। जबकि, चौधरी मातूराम आर्य ने सांघी, डॉ. रामजीलाल हुड्डा, चौ॰ राजमल जैलदार व चौ॰ उद्यमीराम आदि ने खांडाखेडी में जगह देने की बात कही थी।

लेकिन, पंजाब के नेताओं ने उस क्षेत्र के नेताओ का उपयोग किया। उनको दिया कुछ नहीं। जबकि, आर्य समाज का प्रभाव सबसे ज्यादा रोहतक व हिसार जिलों में ही था और वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का प्रधान कार्यालय भी रोहतक में है। पं. जगदेव सिंह सिद्धान्ती, प्रो॰ शेरसिंह, स्वामी इन्द्रवेश आदि नेताओं का सम्बन्ध भी रोहतक जिले से ही था।

सन् 1893 में आर्य समाजियों के मतभेद पैदा हुए तो मुंशी उर्फ स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरूकुल पद्धति की वकालत की और अनेक गुरूकुल उनके प्रयासों से खोले गए। पंजाब में करतारपुर (जालन्धर),

दीनानगर (गुरूदासपुर) व कनखल (हरिद्वार) में गुरूकुल खोले गए। लेकिन, वर्तमान हरयाणा में तो गुरूकलों की बाढ़ आ गई। इन्द्रप्रस्थ (फरीदाबाद), झज्जर, मटिण्डू (सोनीपत), कुरूक्षेत्र आदि अनेक स्थानों पर गुरूकुल खोले गए थे। ये सभी गुरूकुल यहां के स्थानीय व्यक्तियों के अथक प्रयासों से खोले गए थे। ये रोहतक में जाट स्कूल खुलने के बाद खोले गए थे।

भारत विभाजन के बाद डी.ए.वी. संस्था का सारा रिकार्ड जालन्धर में लाया गया। आर्य प्रतिनिधि पंजाब का मुख्य कार्यालय यहीं था।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भागीदारी

आर्य समाज की स्थापना के 10 वर्ष बाद एक अंग्रेज ए ओ ह्यूम की प्रेरणा से 28 दिसम्बर 1885 को मुम्बई में ही कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष श्री डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। इसमें कुल 72 सदस्य थे। वर्तमान हरयाणा से लाला मुरलीधर इसमें शामिल थे। सन् 1885 से 1919 के रोल्ट एक्ट तक कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, प्रस्ताव पास होते थे और जलसे होते थे। शांतिप्रिय तरीके से कांग्रेस की गतिविधियां चल रही थीं। पंजाब से लाला लाजपतराय, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, चौधरी रामभजदत्त व स्वामी सत्यदेव आदि कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। हरयाणा क्षेत्र से लाला मुरलीधर, लाला दुनीचन्द अम्बालवी अम्बाला में, चौधरी मातूराम आर्य, चौधरी पीरू सिंह, चौधरी बलदेव सिंह, लाला श्यामलाल, पं. श्रीराम शर्मा, सर छोटूराम, पं. रामफूल सिंह, दौलतराम गुप्ता, राव मंगलीराम व हाजी खैर मोहम्मद रोहतक में, लकउल्हा व सूफी इकबाल, पानीपत, पं. नेकीराम शर्मा भिवानी, लाला श्यामलाल सत्याग्रही, चौ॰ साहबराम सिंहाग, चौ॰ लाजपत सिसाय व सेठ छाजूराम हिसार के प्रमुख नेता थे। जींद व महेन्द्रगढ़ पंजाब की बजाय अलग रियासतों का हिस्सा थी।

कांग्रेस में फूट

महात्मा गांधी के भारत आने के बाद कांग्रेस में जोश आया। कांग्रेस के 1920 के कलकता अधिवेशन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हरयाणा के रोहतक में 1917 में कांग्रेस की स्थापना हुई। सर छोटूराम इसके पहले प्रधान बने। 6–11–1920 को रोहतक के रामलीला ग्राउण्ड में राजनैतिक कांफ्रेस हुई, जिसमें कलकता अधिवेशन के सभी प्रस्ताव पेश किए गए। प्रस्ताव पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेता स्वामी सत्यदेव ने पेश किए थे। सभा की प्रधानता भी पंजाब कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता चौ॰ रामभजदत्त कर रहे थे।[31] सभा में ही छोटूराम ने कुछ प्रस्तावों पर आपत्ति की, जिनमें से स्कूल कालिजों की मान्यता खत्म करना व मालिया जमीन मुख्य थे।

चौ. छोटूराम की मान्यता थी कि स्कूल कालिजों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है तो देहात के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जबकि, अमीरों के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में या विदेश में पढ़ लेगें। मालिया जमीन न देने के कारण किसान की भूमि कुर्क हो जाएगी व पूजीपंति इसको खरीद लेगें। किसान बेकार हो जाएगा। जिस जमीन को वह अपना गहना मानता है, वह इससे छिन जाएगा। उपरोक्त प्रस्तावों को देखते हुए, चौ. छोटूराम की आपत्ति पर अफरा तफरी फैल गई। प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। कांग्रेस को पूंजीपति समर्थक व किसान विरोधी बताते हुए, अगले दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया।

यह बात अलग है कि अगले दिन चौ॰ मातूराम व चौ॰ बलदेव सिंह आदि के प्रयासों से पुनः सभा हुई व प्रस्ताव पारित हुए।

16 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी रोहतक आए। जाट स्कूल रोहतक में विशाल जनसभा हुई, जिसमें 25000 लोग शामिल हुए थे। इसकी प्रधानता चौधरी मातूराम ने की थी।[32] असहयोग आन्दोलन के समर्थन में जाट एग्लों संस्कृत हाई स्कूल की प्रबन्धक समिति ने 22

अक्तूबर 1920 को असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत पंजाब सरकार व पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से सम्बन्ध विच्छेद कर लिए और मान्यता पत्र लौटा दिए थे।

गांधी जी की जनसभा में लाला श्यामलाल ने एक वर्ष वकालत छोड़ने की घोषणा की व गौड स्कूल के हैडमास्टर श्री गोपालकृष्ण ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया। बाद में चौ. छोटूराम ने अलग स्कूल खोला।

1 अगस्त 1920 को डी.ए.वी. कालेज लाहौर के छात्रों ने महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन का पुरजोर समर्थन किया तो राष्ट्रवादी व आर्य समाज के महान सन्त महात्मा हंसराज ने छात्रों को ऐसा करने से रोका।[33] ऐसा करने पर उनके खिलाफ बगावत का झण्डा बुलन्द हुआ।

हरयाणा क्षेत्र में लाला लाजपतराय को बहुत सम्मान मिलता रहा। लेकिन, बाद में उन्होंने पंजाब क्षेत्र में स्वराज पार्टी छोड़कर कांग्रेस बनायी व स्वराजियों के खिलाफ दो स्थानों, जालन्धर डिविजन व पश्चिमी पंजाब से चुनाव लड़े। लेकिन, महात्मा हंसराज व दीवान चमनलाल द्वारा उनका विरोध किया गया। हरयाणा क्षेत्र की अम्बाला डिविजन से स्वराज पार्टी के उम्मीदवार लाला श्यामलाल के खिलाफ पं. ठाकुर दास भार्गव को खड़ा किया।[34]

उधर, लाला लाजपतराय ने 'राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी' खोल दी। जो भी स्कूल व कालेज सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर लेते, उनको राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी मान्यता देती थी। शहीद–ए–आजम भगतसिंह भी डी.ए.वी. कालेज छोड़कर, उसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए थे। जाट एंग्लों संस्कृत हाई स्कूल रोहतक भी इसी से जुड़ गया था।

पंजाब कांग्रेस समिति के प्रमुख पदों पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नेताओं का कब्जा था। इसका एक कारण था कि लाहौर का पंजाब की राजधानी होना व अच्छा शिक्षा का प्रबन्ध व आर्थिक स्थिति

बेहतर होना। उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर थी और यह राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति

चौ. छोटूराम के देहान्त के बाद, सन् 1946 में चुनाव हुआ। कांग्रेस व यूनियनिष्ट पार्टी ने मिलकर सरकार बनायी तो हरयाणा से सम्बन्ध रखने वाले डॉ. गोपी चन्द भार्गव, पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वे लाहौर से एम.एल.ए. बन चुके थे व यूनिवर्सिटी सीट से चुनाव जीते थे। लाहौर ही उनकी राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र था।

उसके बाद लाला भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री बने, जिनका सम्बन्ध लाहौर व अमृतसर से था। उन्होंने हरयाणा के हिन्दी भाषी क्षेत्र में पंजाबी लागू करने का कार्य किया।[35]

लेकिन, इनका विरोध हो गया। उनके बाद सरदार प्रताप सिंह कैंरो की सरकार में हरयाणा क्षेत्र के प्रो॰ शेरसिंह उपमुख्यमंत्री बने।[36] प्रो॰ शेर सिंह, चौ॰ देवीलाल, चौ॰ बदलूराम हुड्डा व बाबू मूलचन्द जैन ने एक दबाव समूह बनाया। कुछ अन्य विधायक भी इनके साथ थे। प्रताप सिंह कैरों की 1964 में मृत्यु के बाद कामरेड रामकिशन पंजाब के मुख्यमंत्री बने।

सन् 1962 में हरयाणा क्षेत्र से कुल 10 मंत्री थे, जिनमें कुल 3 कैबिनेट मंत्री थे। नारनौल से रामशरण मित्तल, कलानौर से चौ॰ रणबीर सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खाँ, अम्बाला शहर, चौ॰ मूलतान सिंह रोड, एम.एल.ए. घरोण्डा, पं. भगवत दयाल शर्मा, एम.एल.ए, झज्जर व चौ॰ रणसिंह शेरधा, कामरेड रामकिशन की सरकार में मंत्री थे।[37]

सन् 1957 में हरयाणा निर्माण के प्रश्न पर प्रो॰ शेरसिंह ने त्यागपत्र दे दिया व हिन्दी आन्दोलन चलाया।[38]

वर्तमान हरयाणा की मांग

बिट्रिश काल में सर्वप्रथम हरयाणा निर्माण की आवाज मुल्तान जेल से लाला देशबन्धु गुप्ता द्वारा 9 दिसम्बर 1932 को उठाई और अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया कि भारत के समूचे इतिहास में अम्बाला मण्डल कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा।[39] यह हर दृष्टि से पंजाब से भिन्न है। पंजाब का अस्त व्यस्त ढंग से जो निर्माण हुआ, हरयाणा प्रान्त का विलय उसी प्रक्रिया का अंग है। हरयाणा की भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा जातिभेद तथा जीवन पद्धति पंजाब से भिन्न है। यही कारण है कि लम्बे समय के बाद भी यह क्षेत्र वास्तविक रूप से पंजाब से अलग–थलग रहा। लाला जी के इस वक्तव्य को महात्मा गांधी का आर्शीवाद मिला। सभी हरियाणवी नेताओं ने इसका हार्दिक स्वागत किया। उसके बाद यह मुद्दा जनसभाओं, पत्र–पत्रिकाओं तथा देहाती चौपालों में चर्चा का विषय बन गया। तत्कालीन पंजाब (1937) की पंजाब विधानाभा में भी लाला जी समय–2 पर इस मांग को दोहराते रहे। परन्तु बिट्रिश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यथा स्थिति बनी। सन् 1947 में देश के बंटवारे से पंजाब का जो पूर्वी भाग भारत में आया, उसे पंजाब कहा गया।

संसद में बहस

संसद में तत्कालीन सासंदो क्रमशः रोहतक के सांसद चौ॰ लहरी सिंह मलिक व करनाल के सांसद स्वामी रामेश्वरानन्द जनसंघ व हरयाणा लोक समिति के सांसदों पं. जगदेव सिंह सिद्वान्ती (झज्जर) व प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) ने हरयाणा निर्माण में विशेष रूचि दिखायी।

चौधरी रणबीर सिंह के दिल में हरयाणा के निर्माण की कसक थी। उन्होंने संविधान सभा में हरयाणा निर्माण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। भाषा और संस्कृति के आधार पर देश के प्रांतों के नक्शे को दुबारा बनवाना। उन्हें अपने राज्य हरयाणा के बनवाने की विशेष

रूचि थी, जिसे गलती से वर्ष 1858 में ऐतिहासिक दुर्घटना की वजह से पंजाब के साथ जोड़ दिया गया था। उन्होंने इस विषय पर 18 नवम्बर, 1948 को एक भाषण दिया, जिसमें यह सुझाव दिया कि अम्बाला डिवीजन को पंजाब प्रांत से अलग कर दिया जाए और इसे हरयाणा प्रांत का नाम दिया जाए और इसकी राजधानी पुरानी दिल्ली बना दी जाए। प्रस्तावित प्रांत को अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 2 अगस्त, 1949 को उत्तर प्रदेश जैसे लम्बे–चौड़े राज्य को, उसे दो भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उनका मानना था कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरयाणा के साथ मिला देना चाहिए।

पंजाब सीमा आयोग –1947

गवर्नर जनरल ने 20 जून 1947 को संदर्भ न. डी–50/7/47–आर के तहत पंजाब के विभाजन हेतू पंजाब सीमा आयोग गठित किया।

1)	सर साइरिल रेडक्लीफ (ईसाई)	चेयरमैन
2)	माननीय न्यायाधीश दीन मोहम्मद (मुस्लिम)	सदस्य
3)	माननीय न्यायाधीश मुहम्मद मुनीर (मुस्लिम)	सदस्य
4)	माननीय न्यायाधीश मेहरचन्द महाजन (हिन्दू)	सदस्य
5)	माननीय न्यायाधीश तेजा सिंह (सिक्ख)	सदस्य

पंजाब बांउडरी अवार्ड भारत में 16 अगस्त की शाम को व 17 अगस्त की सुबह पाकिस्तान के नेताओं को रिलीज किया गया जिसके अनुसार पंजाब राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया। भारत में शेष पंजाब को पूर्वी पंजाब का नाम दिया गया। उस समय पंजाब में कुल 29 जिले थे। पाकिस्तान में शामिल पंजाब को 'पश्चिमी पंजाब' का नाम दिया गया।

अविभाजित पंजाब के जिले 29 :

भारत के 11 प्रान्तों में सबसे अधिक मुसलमान (56 प्रतिशत) पंजाब में थे। दूसरे स्थान पर बंगाल में (54.8 प्रतिशत) थे। अविभाजित पंजाब में विभाजन के समय चार डिवीजन थे, जिनमें लाहौर व रावलपिण्डी (पश्चिमी पंजाब) तथा जालन्धर व दिल्ली डिवीजन (पूर्वी पंजाब) में थी। जिलों के नाम इस प्रकार से थे

1.	लाहौर	2.	गुजरावांला	3.	अटोक
4.	डेरा गाजी खां	5.	गुजरात	6.	झंग
7.	लायलपुर	8.	मियांवाली	9.	मोंटगुमरी
10.	रावलपिण्डी	11.	मुलतान	12.	शाहपुर
13.	सयालकोट	14.	मुजफ्फरगढ़	15.	सरगोधा
16.	शेखपुरा				

उपरोक्त सभी जिले मुस्लिम बहुल थे। इनमें 50 प्रतिशत से ऊपर मुस्लिम आबादी थी और 175 विधानसभा ज्ञेत्रों में से 86 मुस्लिम बहुल थे। इन्हें, पश्चिम पंजाब में शामिल किया था।

निम्नलिखित 13 जिले 'पूर्वी पंजाब' का हिस्सा बने।

जालन्धर डिविजन

जालन्धर डिवीजन सिक्ख बहुल व पंजाबी भाषी थे।

1.	गुरदासपुर	2.	अमृतसर	3.	जालन्धर
4.	होशियारपुर	5.	फिरोजपुर	6.	लुधियाना

दिल्ली डिविजन

दिल्ली डिवीजन हिन्दु बहुल व हिन्दी भाषी थी।

7.	अम्बाला	8.	हिसार	9.	रोहतक
10.	गुडगांव	11.	करनाल	12.	दिल्ली
13.	शिमला				

विभाजन के बाद निम्नानुसार बंटवारा हुआ

	पश्चिमी पंजाब	पूर्वी पंजाब
जिले	16	13
क्षेत्रफल	62 प्रतिशत (61980 वर्गमील)	38 प्रतिशत (37423 वर्गमील)
जनसंख्या	55 प्रतिशत (15लाख 40 हजार)	45 प्रतिशत (12 लाख 60 हजार)
आमदनी	62 प्रतिशत	31 प्रतिशत

पूर्वी पंजाब का जिला	पश्चिमी पंजाब के जिले के शरणार्थी[52]
1. रोहतक	झग, मुजफ्फरगढ
2. अम्बाला	शाहपुर, गुजरात
3. हिसार	मुलतान
4. करनाल	रावलपिण्डी, शेखपुरा, गुजरांवाला
5. गुडगांव	डेरागांजी खां, मियावली
6. फिरोजपुर	लाहौर, मोटंगुमरी
7. होशियारपुर, अमृतसर गुरदासपुर	सयालकोट

दस जिलों के शरणार्थी वर्तमान हरयाणा क्षेत्र में, तीन जिलों के वर्तमान पंजाब में और तीन जिलों के शरणार्थियों को दिल्ली व अन्य राज्यों में बसाया गया।

सच्चर फार्मूला[40]

1 अक्तूबर 1949 को पूर्वी पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री लाला भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला बनाया जिस पर डॉ. सच्चर व डॉ. गोपीचन्द भार्गव, स. उज्जल सिंह व स. करतार सिंह ने हस्ताक्षर किए, जिसमें पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी व हिन्दी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्ति करना था।

राज्य पुनर्गठन आयोग :

29 दिसम्बर, 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया।

1. श्री फजल अली–गवर्नर उड़ीसा – चेयरमैन
2. श्री हृदयनाथ कुजंरू – संसद सदस्य
3. श्री पाणिकर–भारत के दूतावास

जब यह कमीशन रोहतक आया, चौधरी रणबीर सिंह ने बड़े ही सशक्त ढ़ग से हरयाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही। इसके अलावा पंजाब विधान सभा में हरयाणा क्षेत्र के 22 विधायकों ने भी अलग राज्य की मांग रखी, आयोग ने सब की सुनी, लेकिन पंजाब के बंटवारे की बात को खारिज कर दिया। अकाली नेता सरदार तारासिंह पंजाबी सूबे (राज्य) की मांग कर रहे थे। इस आयोग ने 23 फरवरी 1954 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 30 सितम्बर 1955 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी।

रिजनल फार्मूला :[41]

सन् 1956 में पंजाब सरकार ने एक क्षेत्रीय फार्मूला बनाया और भारत सरकार से सिफारिश की कि पंजाब को भाषाई आधार पर दो अलग–अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए। संसद में बहस हुई। रोहतक के सांसद चौधरी रणबीर सिंह ने संसद में इसकी पैरवी की। भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके अप्रैल, 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया। इसके बाद, राष्ट्रपति की आज्ञा से 24 जुलाई 1956 को पंजाब की कैरों सरकार ने राज्य में यह प्रावधान लागू कर दिया।

24 जुलाई, 1957 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके पंजाब को दो क्षेत्रों में बांटा, एक पंजाबी क्षेत्र, दूसरा हिन्दी क्षेत्र। हिन्दी क्षेत्र के जिले– शिमला, कांगड़ा (अब हिमाचल), हिसार, रोहतक, गुडगांव, करनाल व अम्बाला जिले की अम्बाला व जगाधरी तहसील, महेन्द्रगढ़ व कोहिस्तान (पटियाला जिला) थे और हिन्दी क्षेत्र से 65 विधायक बनते थे। पंजाबी क्षेत्र–फिरोजपुर, लुधियाना, होशियारपुर, जालन्धर, गुरदासपुर। पंजाबी क्षेत्र से 87 विधायक बनते थे।

पंजाबी सूबे की मांग के लिए 22 सितम्बर, 1965 को केन्द्र सरकार ने 3 सदस्यीय समिति गठित की जिसके सदस्य निम्नलिखित थे :

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी –सूचना व प्रसारण मंत्री
2. श्री यशवन्त राय चव्हाण–रक्षा मंत्री
3. श्री महावीर त्यागी– पुर्नवास मंत्री

हरयाणा डेवल्पमैंन्ट कमेटी का गठन[42]

पंजाब के मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन ने सन् 20 मार्च, 1965 को 15 सदस्यीय हरयाणा विकास समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पं. श्रीराम शर्मा थे। इस समिति में तत्कालीन महेन्द्रगढ़ के सासंद राव गजराज सिंह, प्रो. शेरसिंह, श्री चांदराम विधायक (साल्हावास), चौ॰ हरद्वारी लाल विधायक बहादुरगढ, राव निहाल सिंह विधायक (जाटूसाना), श्रीमती ओमप्रभा जैन विधायक, कैथल व हिसार जिले के कदावर नेता चौ॰ सूरजमल, पूर्व मंत्री शामिल थे। एल.सी. गुप्ता आईएएस इसके मैम्बर सैक्रेटरी थे। जुलाई, 1966 में हरयाणा कांग्रेस प्रधान का चुनाव हुआ, जिसमें पं. भगवतदयाल शर्मा ने चौ॰ रणबीर सिंह के समर्थक चौधरी मनीराम गोदारा को कुछ वोटो से हराया।[43]

उस समय सरदार उज्जल सिंह पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया, जिसके अनुसार 3 विधानसभा, 3 केबिनेट व 3 प्रशासन पंजाब, हरयाणा व हिमाचल क्षेत्र के लिए अलग हों। लेकिन, गवर्नर, हाईकोर्ट व पब्लिक सर्विस कमीशन एक हों।

केन्द्रीय गृहमंत्री गुलजारी लाल नन्दा दो क्षेत्रीय परिषदों के समर्थक थे।[44] चौ॰ रणबीर सिंह, चौ॰ रिजकराम व चौ॰ बंसीलाल ने भी नन्दा के सुझाव से सहमति जतायी व कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान के. कामराज व श्री ढेबर भाई (जो कि सभी फार्मूलों की डिटेल देख रहे थे) वर्किंग कमेटी की अगली बैठक में ले गए। के. कामराज व ढेबरभाई को हरयाणा व कांगड़ा के हितों के बारे में बताया गया।

हरयाणा काफ्रेंस[45]

हरयाणा निर्माण के लिए पहली सभा अप्रैल 1955 में अम्बाला शहर में हुई थी। पंजाबी सूबे की मांग को लेकर मास्टर तारा सिंह की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें अलग पंजाबी सूबे की मांग की गई व हरयाणा के लोगों से अलग हरयाणा–निर्माण की मांग संयुक्त रूप से उठाने की अपील की। दूसरी कांफ्रेस अगस्त, 1955 में तत्कालीन रोहतक जिले के सोनीपत में की गई। इसमें सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला पूर्व मुख्यमंत्री पैप्सु व अकाली दल के अमृतसर से विधायक ज्ञानी करतार सिंह हुए। तीसरी कांफ्रेस सितम्बर ,1955 में गुड़गांव में हुई थी इसमें अकाली दल के सांसद सरदार हुक्म सिहं व ज्ञानी करतार सिंह मुख्य वक्ता थे।

ये सभी कांफ्रेस अकालियों द्वारा की गई थी और सिक्खों की भागीदारी ज्यादा होती थी। हरयाणा के लोगों की इसमें ज्यादा रूचि नहीं थी। सिक्ख नेता हरयाणा की जनता में भाषायी आधार पर बंटवारे पंजाबी भाषिओं के लिए पंजाबी सूबा व हिन्दी भाषियों के लिए 'हरयाणा सूबा' की संयुक्त मांग करने की अपील कर रहे थे। लेकिन हरयाणा क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी कम और सिखों ने अधिक भाग लिया।

सरदार हुक्म सिंह संसदीय समिति का गठन[46]

पंजाबी सूबे की मांग पर सरदार हुक्म सिंह की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनायी गयी। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन थे। उन्होंने कैबिनट की मिटिंग में कहा कि पंजाब का बंटवारा नहीं होना चाहिए। चौ॰ रणबीर सिंह ने मंत्रीमंण्डल के सदस्य होते हुए भी मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को नकार दिया और कहा कि हरयाणा पंजाब से अलग होना चाहिए।[47]

23 सितम्बर, 1965 को इस 21 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया,[48] जिसमें लोकसभा के 14 सांसद व राज्यसभा के 7 सांसद शामिल थे। इस संसदीय समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है[649] :–

लोकसभा के सदस्य

1. सरदार हुक्म सिंह (सांसद पंजाब क्षेत्र)
2. सरदार सुरजीत सिंह मजीठा (सांसद पंजाब क्षेत्र)
3. सरदार धन्नासिंह गुलशन (सांसद पंजाब क्षेत्र)
4. अमरनाथ विद्यालंकार (सांसद पंजाब क्षेत्र)
5. चौधरी लहरी सिंह मलिक (सांसद हरयाणा क्षेत्र)
6. श्री मनीराम बागड़ी (सांसद हरयाणा क्षेत्र)
7. चौधरी बह्मप्रकाश (दिल्ली)
8. बीकानेर के महाराजा करणी सिंह
9. डॉ. एम. एस. ऐने (तमिलनाडू)
10. सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (यू.पी.)
11. श्री कृष्ण चन्द पतं (यू.पी.)
12. एच.एन. मुखर्जी (बंगाल)
13. के. डी. मालवीय
14. साधुराम

राज्यसभा के सदस्य

1. अटल बिहारी वाजपेयी (यू.पी.)
2. चौ॰ बंसीलाल (हरयाणा क्षेत्र)
3. दयाभाई वी. पटेल (गुजरात)
4. कुमारी शान्ता वशिष्ठ
5. उत्तम सिंह दुग्गल (सांसद, पंजाब क्षेत्र)
6. जोगेन्द्र सिंह
7. सादिक अली

इस समिति में पंजाब क्षेत्र से सम्बन्धित पांच सांसद व हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्धित तीन सांसद शामिल थे। हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्धित 3 सदस्य इस समिति में चौ॰ लहरी सिंह मलिक, रोहतक से जनसंघ

के सांसद थे तो मनीराम बागड़ी व चौधरी बंसीलाल का सम्बन्ध पुराने हिसार जिले से था। अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह अकाली दल की पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखते थे और समिति के सचिव श्री एम.एल. शकधर थे

6 अक्तूबर 1965 को पंजाब विधानसभा में पंजाबी सूबे की मांग को लेकर विचार विमर्श हुआ। उस समय पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पं. भगवत दयाल शर्मा थे। इन्होंने भी अलग राज्य का विरोध ा किया। उन्होंने इस पर विचार करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें हरयाणा क्षेत्र से चौ॰ रणबीर सिंह, श्री चांदराम व पंजाब कांग्रेस समिति के उप प्रधान चौ॰ अमर सिंह आदि प्रमुख थे। चौधरी रणबीर सिंह ने खुलकर हरयाणा का समर्थन किया।[50]

संसदीय समिति के समक्ष सुझाव पेश होने वाले नेता

सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति को व्यक्तियों/संस्थाओं से 7184 ज्ञापन व सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें प्रमुख रूप से हरयाणा लोक समिति, हरयाणा आल पार्टी एक्शन कमेटी, हरयाणा आर्य सम्मेलन, पंजाब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन व पंजाब मंत्रीमण्डल के सदस्य आदि ने पंजाब के हिन्दी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की पैरवी की।

तत्कालीन पंजाब के महत्वपूर्ण नेताओं ने भी सुझाव दिए, जिनमें पंजाबी सूबे की पैरवी के लिए शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी–अमृतसर, पसमण्दा सिख कमेटी, अमृतसर, पंजाब विधानसभा के सिख सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, पंजाब राज्य शाखा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया, पंजाब शाखा, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), पंजाब हाई कोर्ट बार एसोसिएसन चण्डीगढ़, पंजाब रिजनल कमेटी, स्वतन्त्र पार्टी पंजाब शाखा, आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई. एस. परमार,

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी–शिमला जिला कांग्रेस कमेटी–कांगड़ा व जिला कांग्रेस कमेटी–कुल्लु।

अन्य राज्यों से पंजाब दिल्ली, यू.पी. राजस्थान आदि के प्रतिनिधि भी थे। हरयाणा क्षेत्र के जिन संगठनों ने ज्ञापन सौंपे उनका विवरण निम्नानुसार :–

क्रम	संगठन का नाम/वक्ता	ज्ञापन सौंपने की तिथि
1.	**हरयाणा लोक समिति,[51] रोहतक**	29–1–1966
	1) प्रो. शेरसिंह, एम.एल.सी, प्रधान	
	2) महाशय भरत सिंह महासचिव, रोहतक	
	3) श्री मेहर चन्द सदस्य, कार्यकारिणी	
	4) श्री देवी सिंह तेवतिया, बैरिस्टर–एट–ला, सदस्य कार्यकारिणी	
2.	**हरयाणा आल पार्टी एक्सन[52]–**	29–1–1966
	समिति, चण्डीगढ	5–2–1966
	1) चौ॰ देवीलाल विधायक, फतेहाबाद, चेयरमैन	
	2) श्री मूलचन्द जैन एडवोकेट, महासचिव	
	3) श्री धर्मवीर वशिष्ट, पूर्व विधायक	
	4) श्री रामशरण चन्द मित्तल, पूर्व विधायक	
3.	**हरयाणा आर्य सम्मेलन – रोहतक[53]**	
1–2–1966		
	1) प. जगदेव सिंह 'सिद्धान्ती', सांसद, झज्जर कनवीयर	
	2) आचार्य भगवान देव, चेयरमैन	
	3) श्री हरफूल सिंह आर्य, सदस्य कार्यकारिणी समिति पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा	

4. पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति–चण्डीगढ़ 3–2–1966[54]

1) प. भगवतदयाल शर्मा, विधायक, झज्जर, प्रधान
2) चौ॰ अमर सिंह एम.एल.सी, उप–प्रधान
3) सरदार गुलाब सिंह,विधायक, साढ़ौरा, महासचिव
4) सरदार दरबारा सिंह गृहमंत्री पंजाब
5) सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों, परिवहन मंत्री पंजाब
6) श्री वृषभान सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री पेप्सु व विधायक सुनाम
7) पं. मोहन लाल विधायक, पठानकोट, सदस्य कार्यकारिणी

5. पंजाब विधानसभा से हरयाणा क्षेत्र के विधायक[55]

4–2–66

1) चौ॰ हरद्वारी लाल–विधायक–बहादुरगढ़ (जिला झज्जर)

6. पंजाब हाईकोर्ट बार एसोशिएसन के सदस्य[56]

1) बाबू आनन्द सरूप, चेयरमैन, पंजाब स्टेट बार कौसिंल
2) चौ॰ प्रताप सिंह दौलता, पूर्व सांसद व सीनियर एडवोकेट
3) सरदारा दारा सिंह, सीनियर एडवोकेट
4) श्री चन्द्रभान गुप्ता एम.एल.सी, एडवोकेट (रोहतक)

7. पंजाब, यू.पी. राजस्थान, दिल्ली के प्रतिनिधि[57]

7 फरवरी 1966

1) पं. कृष्ण चन्द्र शर्मा–सांसद चेयरमैन स्पोंसरिंग कमेटी
2) राव गजराज सिंह–सांसद गुडगांव
3) शिवचरण गुप्ता–सांसद
4) श्री रामशरण चन्द मित्तल–विधायक–नारनौल
5) श्री रामचन्द्र विकल –विधायक–यू.पी
6) चौ. श्रीचन्द पूर्व विधायक बहादुरगढ़
7) श्री जगप्रवेश चन्द्र–विधायक–दिल्ली
8) श्री पी. के. जैन आदि प्रमुख थे
9) स्वामी रामेश्वरानन्द – सांसद करनाल[58]

9. **आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब एवं आर्य**[59] 7–2–66
प्रादेशिक सभा – नयी दिल्ली की संयुक्त समिति
1) श्री यश, विधायक प्रधान आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब
2) प्रो. रामसिंह गहलावत प्रधान आर्य प्रतिनिधि संभा पंजाब
3) प्रिसिपल एल. डी. दीक्षित, कन्वीनर

10. **पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री व प्रमुख मंत्री**[60] 21 व 22 फरवरी, 1966
1) कामरेड श्री रामकिशन मुख्यमंत्री
2) सरदार दरबारा सिंह, गृहमंत्री
3) सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों, परिवहन मंत्री
4) सरदार अजमेर सिंह, योजना मंत्री
5) श्री प्रबोध चन्द, शिक्षा मंत्री हरयाणा क्षेत्र
6) चौधरी रणबीर सिंह, लोक निर्माण विभाग मंत्री
7) श्रीमति ओमप्रभा जैन, स्वास्थ्य मंत्री

इनमें हरयाणा राज्य के बारे में हरयाणा विकास समिति, हरयाणा लोक समिति व चौधरी रणबीर सिंह द्वारा दिए गए प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण हैं, जोकि हरयाणा निर्माण का आधार बने और पंजाबी भाषियों के पंजाबी सुबा व हिन्दी भाषियों के लिए हरयाणा राज्य का गठन हुआ। उपरोक्त ज्ञापनों, साक्ष्यों व गवाहियों को ही संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। चौधरी रणबीर सिंह ने विकास में हो रहे भेदभाव के आधार पर क्षेत्रवार तुलनात्मक आकंड़े संसदीय समिति के सम्मुख पेश किए,[61] जो कि सरदार हुक्म सिंह समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में शामिल की गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

चौधरी रणबीर सिंह द्वारा संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत रिपोर्ट[62]

हरयाणा विकास समिति की रिपोर्ट पर आधारित सांख्यिकी आकंड़ों का क्षेत्रवार विवरण

क्रम	मद (शीर्षक)	पहाड़ी क्षेत्र	गैर हरयाणा क्षेत्र	हरयाणा क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	जनसंख्या (लाखों में)	24.29	103–51	75.27	203.07
2.	क्षेत्र (वर्ग मील में)	12437	18032	16835	47304
3.	क्षेत्र की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	89.9	75.3	82.8	
4.	शहरी जनसंख्या का %	10	24.7	17.2	
5.	क्षेत्र की कुल जनसंख्या की कार्यरत जनसंख्या का % (working population)				
	1) कृषि	29.5	17.5	26.8	
	2) सेकेण्डरी व टेरीटरी सेक्टर	11.5	14.0	10.9	
6.	कुल सिंचित क्षेत्र व कुल फसली क्षेत्र की %	17	63	30	
7.	क्षेत्र में विद्युतिकरण गांवो व कस्बों में %	19	29	18	
8.	क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग	9	46		
9.	क्षेत्र में 1 लाख की जनसंख्या पर रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या	6	36.5	14.9	
10.	क्षेत्र में जनसंख्या का साक्षरता %				
	1) कुल	27.6	26.7	19.8	
	2) महिला केवल	14.8	17.6	9.1	
11.	क्षेत्रवार विभिन्न योजनाओं में बजट आबंटन (रू० लाख में)				

	1) 1961–66	2145.6 (17.8%)	5512.72 (45.9%)	4363.33 (36.3%)	12021.65
	2) 1963–64	283.82 (13.3%)	1104.9 (51.6%)	750.23 (35.1%)	2138.96
	3) 1964–65	361.49 (15%)	1110.4 (46.1%)	936.73 (38.9%)	2408.62
12.	शुद्ध बिजाई का क्षेत्र (लाख एकड़ में)	12.33	90.05	85.65	188.03
13.	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ में)	2.21	51.80	29.89	83.90
14.	फसली क्षेत्र (लाख एकड़ में)	18.32	113.20	109.33	240.85
15.	कुल बिजाई योग्य क्षेत्र के वास्तविक बिजाई के क्षेत्र का %	89.45	90.62		
16.	द्विफसलीय क्षेत्र का कुल बिजाई योग्य क्षेत्र से %		25.70	27.65	
17.	खाद्य पदार्थो व नकदी फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (लाख एकड़ में)		15.80	91.85	98.90
	1) खाद्य पदार्थ		14.78	72.15	86.82
	2) नगद फसलें		1.02	19.70	12.08
18.	कृषि के बिजली कनैक्सनों की संख्या			18272	9936
19.	विद्युतिकरण गांव व कस्बे	767	3217	1175	5159
20	ऊर्जा की बिक्री लाख किलोवाट में (1963–64)	216.86	5046.78	3013.13	8276.77
21.	सहकारी ऋण (30–6–64 तक)				
	1) सहकारी ऋण (लाखों में)	288.75	1121.08	460.63	1870.46
	2) कृषि कार्यकर्त्ता की संख्या (लाखों में)	7.16	18.14	20.11	45.41
	3) प्रति कृषि कार्यकर्त्ता जमा	40.33	61.80	22.90	41.19

4) कुल फसली क्षेत्र (लाख एकड़ में)	18.32	113.21	109.32	240.85
5) प्रति फसल एकड़ सहकारी जमा लाखों में	15.76	9.90	4.21	7.76
22. खाद की खपत (टनों में)				
1) 1956–57	3197 (10.6%)	19994 (66.3%)	6949 (23.1%)	
2) 1963–64	12794	120245	44416	
3) 1964–65	20063 (7.1%)	186639 (66.2%)	75320 (26.7%)	
23. कृषि उपकरण (1960–61)				
1) हल	282000	1011424	657008	
2) ट्रेक्टर	170	4778	2918	
3) तेल इंजन पम्प	470	6500	1128	
4) बिजली पम्प व नलकूल	1059 (12.1%)	5980 (68.1%)	1735 (19.8%)	
24. मुख्य फसलों का खेती प्रति एकड़ (1961–62 व 1963–64)				
1) धान	1246	1456	1586	
2) गेहूं	1947	1705	1116	
3) मक्का	1244	1054	826	
4) ज्वार, बाजरा, जौ	521	1556	312	
5) चना	633	630	537	
6) कपास	134	262	253	
7) गन्ना	2076	2818	3337	
8) तिलहन	310	590	534	
25 भाखडा नहर में सीसीए का मिश्रण				
1) 1919 प्रोजैक्ट		8268	2362.1	3188.9
2) 1939–42 प्रोजैक्ट		913	2392.8	3305.8
3) 1946 प्रोजैक्ट		1423–1	1863–2	3286–3
4) 1948 प्रोजैक्ट		2207–8	2733–4	4941–2
26 विक्रेन्द्रीयत क्षेत्र में पावर लुम	9422	412	9834	
27 पक्की सड़क (मील) भवन				

	व मार्ग व स्थानीय निकायो द्वारा रखरखाव (प्रति 100 वर्ग मील में)				
	1950–51	2.8	9.5	7.0	6.8
	1963–64	5.6	19.5	17.8	15.2
28	रेल की दूरी (मील में)				
	1) ब्रोंड गेज	60.6	1175.6	433.1	
	2) मीटर गेज		100.6	348.1	
29	कुल रजिस्टर्ड फ्रैक्ट्रीयों की संख्या रजिस्टर्ड	145	3776	1124	5045
30	कार्यरत फैक्ट्रीयों की संख्या	121	3425	1032	4578
31	31 दिसम्बर 1964 को चालू फैक्ट्रीयों में कार्यरत श्रमिकों की औसत संख्या	5815	102449	57788	166097
32	31–12–1964 को लघु स्तर की रजिस्टर्ड इकाई	747 (4.2%)	12839 (72.5%)	4133 (23.3%)	17719
33	स्क्रेन कोमडीटी का आंबटन				
	1) स्टील ब्लैक सीट	64	2152	764	2980
	2) पीग आयरन का आंबटन (1964–65)	65	43584	4891	48540
	3) 1964 में हार्ड कोकंण बैगन में वार्षिक आंबटन	16	2881	725	3622
34	1961 में पालतू पशुओं के आंकड़े				
	1) ग्राम	1317	4788	3781	9886
	2) भैंस	1424	6581	4759	12764
	3) गाय प्रतिवर्ग मील	11	27	22	21
	4) भैंस प्रतिवर्ग मील	11	36	28	27
35	पशु अस्पताल (1963–64)	47	166	112	385
36	डिसपैन्सरी (1963–64)	43	187	92	322
37	साक्षरता				
	पुरूष	485006	1931926	1174245	3591177

	महिला	172804	833489	319926	1326219
38	शैक्षणिक सुविधाएँ				
	1) हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे	45467	186459	143933	
	2) हाई स्कूलों की संख्या	242	830	484	
	3) तकनीकी संस्थान				
	i) महाविद्यालय संख्या ––		3	1	4
	सीटें		810	120	930
	ii) पोलीटेक्नीक संख्या 4		8	6	18
	सीटें	390	1410	1015	2815
	iii) औद्योगिक प्रशिक्षण 7		25	17	49
	सीटें	2456	9520	7184	19160
39	सिविल अस्पताल	29	93	53	175
	डिस्पेन्सरीज़	90	245	149	483
	बिस्तरों की संख्या	2148	6852	3880	12880

रणबीर सिंह चौधरी
लोक निर्माण मंत्री
पंजाब सरकार

संसदीय समिति द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट[63]

लगभग छह महीने में अपना कार्य पूर्ण कर सरदार हुकम सिंह समिति द्वारा 18 मार्च, 1966 को संसद के समक्ष 27 पृष्ठीय रिपोर्ट प्रस्तुत की।[64] इस समिति को 7184 ज्ञापन प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञापन व विचार चौ॰ रणबीर सिंह का था। चौ॰ रणबीर सिंह ने समिति के समक्ष पेश होकर हरयाणा निर्माण के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे जो कि समिति द्वारा भी मान्य किए गए। पंजाब के पुनर्गठन को स्वीकार करते हुए सिफारिश की गई कि पुनर्गठन के लिए एक सीमा आयोग बनाया जाए जो कि दोनों प्रदेशों की सीमा तय करे।

सरदार हुक्म सिंह संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए।

कमेटी को लोगों से काफी मात्रा में पत्र प्राप्त हुए और उन्होंने हरयाणा लोक समिति, हरयाणा आल–पार्टी एक्शन कमेटी, हरयाणा आर्य सम्मेलन, पंजाब हाईकोर्ट बार एसोसियशन आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों के विचार सुने और उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों को भी देखा जो यह चाहते थे कि एक अलग राज्य ''हरयाणा'' के नाम से बनाया जाए, जिसमें वर्तमान पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्र और दूसरे साथ लगते हुए राज्यों के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को शामिल किया जाए।

कमेटी के सामने ऐसे तथ्यों को पेश किया गया कि सन् 1857 से पहले यू.पी. के मेरठ और आगरा डिविजन के कुछ हिस्से, पंजाब डिवीजन के सतलुज नदी तक के कुछ हिस्से, राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले और दिल्ली प्रदेश के कुछ हिस्से जो कि उतर–दक्षिण प्रांत में थे, जिन्हें बाद में हरयाणा प्रांत का नाम दिया गया।

सन् 1857 की बगावत में इस इलाके के लोग इस अन्दोलन के अगुआ थे, जिसे अंग्रेजो ने विद्रोह का नाम दिया परन्तु सभी देशभक्त भारतीयों द्वारा इसे आजादी की लड़ाई का नाम दिया। यह अन्दोलन सफल नहीं हुआ और अंग्रेजी हकूमत ने लोगों का हौंसला पस्त करने का और स्वराज्य के लिए दबाव की नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसका नतीजा यह निकला कि 1858 में यमुना के आगे का इलाका यानि मेरठ और आगरा डिवीजन के क्षेत्र को अलग कर दिया गया और उन्हें आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। नया प्रांत जिसमें कि जिला शिमला, अम्बाला, हिसार, करनाल रोहतक, गुड़गांव और दिल्ली शामिल थे उसको दिल्ली प्रांत का नाम दिया गया। 1912 में दिल्ली डिवीजन के एक हिस्से को अलग करके उसमें देश की नई राजधानी बनाई गई जो कि पहले कलकत्ता थी। इस 528 वर्ग मील के इलाके को कमिश्नर का प्रांत बना दिया गया।

गुलामी की जंजीरों से आजादी पाने के लिए प्रारम्भ हुए क्रांति के आन्दोलन के कारण बंगाल में भी दंगे होने लगे जिसके कारण राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाना पड़ा। सन् 1915 में यू.पी का 45 वर्ग मील का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसमें 65 गांव और शाहदरा कस्बा भी शामिल थे, दिल्ली प्रांत के साथ जोड़ दिया गया। बाकी के 6 जिलों को अम्बाला डिवीजन का हिस्सा बना दिया गया और उन्हें पंजाब में शामिल कर दिया गया।

इस क्षेत्र के अलग होते ही पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यू.पी. के लोगों में लगातार यह मांग जोर पकड़ने लगी कि हरयाणा प्रांत के नाम से एक अलग प्रांत का गठन किया जाए। हरयाणा प्रांत की मांग पंजाबी भाषी राज्य की मांग से बिल्कुल अलग थी। पंजाब में भाषा के आधार पर 2 अलग प्रकार के प्रदेश जाने जाते हैं – पंजाबी भाषा बोलने वाला और हिन्दी भाषा बोलने वाला प्रदेश। इसलिए पंजाब को एक भाषीय या अनेक भाषीय प्रदेश नहीं कहा जा सकता। लोगों ने कमेटी को यह बतलाया कि कृषि, शिक्षा, उद्योग के क्षेत्रों में और यहां तक कि सेना में भी हरयाणा को इसका पूरा हिस्सा नहीं दिया गया। इसका नतीजा यह निकला कि पंजाब के मुकाबले में यह क्षेत्र पिछड़ा रह गया। हालांकि हरयाणा के प्रदेश में बारिश बहुत कम होती थी फिर भी इसे पंजाब के मुकाबले में बहुत अधिक सिंचाई की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं जबकि यहॉ पैदा होने वाली फसलें जैसे चावल, गन्ना आदि को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और पानी अधिक मिलने से इन फसलों की पैदावार को और बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिकतर इंजीनियरिंग और मैडीकल कॉलिजों में पंजाब क्षेत्र के विद्यार्थियों का बहुमत था। उद्योग के क्षेत्र में भी पंजाब के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा हरयाणा क्षेत्र की ओर कम ध्यान दिया गया था।

कमेटी के ध्यान में यह बात भी लाई गई कि मार्च, 1965 में पंजाब सरकार ने एक कमेटी नियुक्ति की जिसमें जाने–माने विधायक, शासक, वित्तीय और योजना के मामलों में निपुण लोग शामिल थे। इसे हरयाणा डैवलपमैन्ट कमेटी का नाम दिया गया और उसे इस क्षेत्र के विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा गया। इस कमेटी ने 1966 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट में यह पाया कि–

'' वास्तविक तथ्य यह कहते हैं कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बावजूद भी हरयाणा क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में विकास के सभी मुख्य–2 मुद्दों पर काफी पिछड़ा हुआ है। दोनों क्षेत्रों के विकास के इस असुंतलंन को जल्द से जल्द दूर करना होगा।'

दोनों प्रदेशों के विकास के असुंतलन का उदाहरण देते हुए हरयाणा डैवलपमैन्ट कमेटी ने कहा कि ''1964–65 में रोहतक के 330 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 84 लाख रु का प्रावधान किया गया जबकि पटियाला के 662 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 8.14 लाख का।''

पंजाब सरकार के मंत्रीमण्डल के एक मंत्री जो कि हरयाणा प्रदेश से सम्बन्ध रखते थे, उन्होंने कमेटी के सामने पेश होकर इस बात पर जोर दिया कि दोनों प्रदेशों के सिंचित भूमि, फर्टिलाईजर का वितरण, विद्युतीकरण कार्यक्रम और विकास के अन्य मुद्दों में दिन रात का अन्तर है। इस बारे में उन्होंने कमेटी के सामने प्रदेशों के विकास मुद्दों के हिसाब से आंकडों सहित एक लिखित रिपोर्ट पेश की।

पंजाब हाईकोर्ट बार एसोसियशन के एक प्रतिनिधि ने भी हरयाणा के विकास के असंतुलन को ध्यान में रखते हुए हरयाणा के लिए अलग राज्य की मांग पर जोर दिया। उन्होंने यह मत पेश किया कि कांगड़ा और कुल्लु को छोड़कर और फरीदाबाद, बहादुरगढ़ व सोनीपत को शामिल करके वर्तमान हरयाणा का प्रदेश एक अच्छा

राज्य हो सकता है। उनके मतानुसार उस समय के हिन्दी भाषीय क्षेत्रों को शामिल करके अलग से हरयाणा प्रांत का गठन भलीभांति सही होगा। हाईकोर्ट बार एसोसियशन के एक और प्रतिनिधि ने भी कमेटी को बतलाया कि पंजाबी शहरी और व्यापारी तबके के कुछ लोग ही अपने फायदे के कारण पंजाब को भाषा के आधार पर बांटने का विरोध कर रहे हैं।

हरयाणा प्रदेश को पंजाब से अलग करने की मांग को ''स्टेटस रिआरगनिजेशन कमीशन'' के सामने भी रखा गया। उनकी रिपोर्ट के पराग्राफ 541 के अनुसार कमीशन ने यह पाया कि इस क्षेत्र के लोगों की शिकायत का कारण उस प्रदेश के लोगों का राज्य के शासन में कम प्रतिनिधित्व होना और आर्थिक पिछड़ापन है। परन्तु कमीशन ने पंजाब से हरयाणा क्षेत्र को अलग करने के कारणों के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त की।

हरयाणा प्रांत के पक्ष के कट्टरपथियों की दलीलें इस प्रकार हैं:–

1. हरयाणा प्रदेश का पिछड़ापन और पंजाबी भाषीय क्षेत्रों द्वारा इसका आर्थिक और राजनैतिक शोषण।
2. हिन्दी भाषीय क्षेत्रों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य रुप से सीखने पर अति अधिक दबाव डालना।

हरयाणा आर्य सम्मेलन के प्रतिनिधि के अनुसार हरयाणा प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि यहॉ के लोग सिर्फ लकड़हारे व पानी भरने वाले लोगों का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कमेटी का ध्यान हिन्दी रीजनल कमेटी के 4 मई, 1960 के सर्वसम्मति से पास किये गये प्रस्ताव की ओर भी दिलाया गया जिसमें मांग की गई थी कि हिन्दी भाषीय क्षेत्रों में पंजाबी को अनिवार्य रुप से सीखने पर पाबन्दी लगाई जाए। हिन्दी रीजनल कमेटी की 15 नवम्बर, 1958 की सभा में पास एक प्रस्ताव का भी यही मत था कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पंजाबी का अनिवार्य रुप से सीखना बन्द किया जाए।

कमेटी में यह बात भी उठाई गई कि जब तक हरयाणा के लोगों का उस क्षेत्र में अपना प्रशासन नहीं होता तब तक उन लोगों को न तो न्याय मिल सकता है और न ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरुप वहां विकास सम्भव है।

कमेटी के सामने जो साक्ष्य लिखित रुप में या जबानी रुप से रखे गए उनसे निम्नलिखित बातें उभर कर आईः–

1. हरयाणा प्रदेश के लोग किसी भी हालत में पंजाबी के प्रयोग के विरूद्ध थे, और
2. हरयाणा प्रदेश के क्षेत्र अपनी जगह ही रहेंगे और उनको एक राज्य या प्रांत का नाम दिया जाएगा और इनमें से कोई भी इलाका अलग नहीं किया जाएगा।

शाह आयोग का गठन[65]

31 मार्च, 1966 को गृहमंत्री गुलजारी लाल नन्दा ने सीमा आयोग के गठन की घोषणा की। भाषायी आधार पर पंजाब व हरयाणा का गठन करने के बारे 23 अप्रैल 1966 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे. सी. शाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बैठाया जिसके सदस्य श्री एस. एन. दत्ता व एन. एम. फिलिप थे।

इस आयोग को जनता से समितियों से सामाजिक संगठनों से 3414 ज्ञापन प्राप्त हुए। चौधरी रणबीर सिंह शाह आयोग के सामने पेश हुए व अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए।[66] 31 मई 1966 को आयोग ने भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी।

शाह आयोग की सिफारिश के मुताबिक भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 (नं. 31) 18 सितम्बर 1966 को पारित कर दिया।

इसके बाद पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, संख्या 31, पर 18 सितम्बर 1966 से कार्य करना आरम्भ कर दिया। 31 अक्तूबर 1966 को अर्धरात्रि तक संसद में बहस हुई। 1 नवम्बर 1966 दिन मंगलवार को पंजाब राज्य के हिन्दी भाषी क्षेत्र को काटकर भारतीय गणतंत्र का 17वां राज्य हरयाणा गठित किया गया। इससे पूर्व 1953 में आंध्र प्रदेश 12वां, 1956 में केरल 13वां, 1960 में महाराष्ट्र 14वां व गुजरात 15वां, उसके बाद 1962 में 16वें राज्य के रूप में नागालैड आदि राज्यों का उदय हो चुका था।

पंजाब का विभाजन व हरयाणा निर्माण

1 नवम्बर 1966 को विभाजन के बाद पंजाब व हरयाणा की स्थिति[67]

	पंजाब	हरयाणा क्षेत्र
तहसील	37	....
विकास खण्ड	110	.....
जनसंख्या	1,11,47,054	76,10,708
लोकसभा सांसद	10	6
राज्यसभा	7	.....
विधानसभा सदस्य	87(104)	54(81)
क्षेत्र (वर्ग मील)	19404	16951
(वर्ग कि.मी.)	50255	43903
सिख जनसंख्या	55.48 प्रतिशत	6.29ः
जिले	.....	7

पंजाब के विभाजन के समय पंजाब में दो डिवीजन थी, एक जालन्धर व दूसरी अम्बाला। जालन्धर में 7 जिले व अम्बाला में 6 जिले थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है।[68]

	जालन्धर डिवीजन	**अम्बाला डिवीजन**
1.	होशियारपुर	अम्बाला
2.	जालन्धर	हिसार
3.	लुधियाना	रोहतक
4.	फिरोजपुर	गुड़गाव
5.	अमृतसर	करनाल
6.	गुरदासपुर	शिमला (हिमाचल में गया)
7.	कांगड़ा (हिमाचल में गया)	

हरयाणा में कांग्रेस की सरकार गठन हुआ। पं. भगवत दयाल

शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। उनको राज्यपाल श्री धर्मबीर द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर निम्नलिखित मंत्रीमण्डल का गठन किया गया।[69]

1 नवम्बर 1966 को हरयाणा की सामाजिक स्थिति[70]

क्रम	शीर्षक	पंजाब	हरयाणा
1.	डिविजन	3	1 (अम्बाला)
2.	जिले	11	7
3.	तहसील	37	27
4.	विकास खण्ड	110	
5.	आबाद गांव	11933	6690
6.	गैर आबाद गांव	1950	343
7.	कस्बे/नगर	110	62
8.	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	50255	43887
	क्षेत्र (वर्ग मील)	19404	16945
9.	जनसंख्या	1,11,47,054	75,99,759
10.	शहरी जनसख्या	25,67,306	13,07,680
	ग्रामीण जनसंख्या	85,79,748	62,92,079

हरयाणा के 7 जिलो को याद रखने के लिए 'कागज अमर है' प्रयोग होता था, जिसमें सातों जिलों के नाम के पहले अक्षर आते हैं।

का – करनाल
ग – गुड़गाव
ज – जींद
अ – अम्बाला
म – महेन्द्रगढ़
र – रोहतक
है – हिसार

वर्तमान हरयाणा

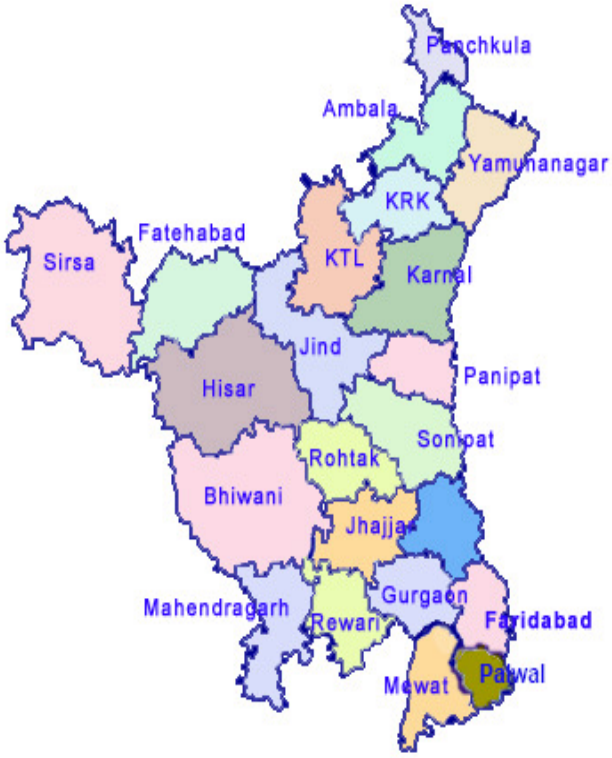

कैबिनेट मंत्री / विधानसभा क्षेत्र		विभाग
1.	पं. भगवतदयाल शर्मा झज्जर	मुख्यमंत्री, गृह, शिक्षा व उद्योग
2.	चौधरी रणबीर सिंह कलानौर (रोहतक)	स्वास्थ्य व लोक निर्माण
3.	चौधरी दल सिंह जींद	सिचांई व बिजली

4.	श्रीमति ओमप्रभा जैन कैथल	वित्त
5.	श्री देवराज आनन्द अम्बाला छावनी	स्थानीय निकाय व संसदीय कार्य
6.	श्री चांद राम साल्हावास सुरक्षित (झज्जर)	कृषि, राजस्व व समाज कल्याण
7.	सरदार गुलाब सिंह साढौरा (यमुनानगर)	परिवहन

राज्य मंत्री

1.	श्री बाबू दयाल शर्मा पटौदी (गुड़गांव)	खाद्य व आपूर्ति (चौ॰ रणबीर सिंह से सम्बद्ध)
2.	खान अब्दूल गफार खान अम्बाला शहर	वक्फ (श्री देवराज आनन्द)
3.	श्री सागरराम गुप्ता भिवानी	श्रम
4.	श्री राव निहाल सिंह जाटूसाना (रेवाड़ी)	

उप मंत्री

1.	श्री कन्हैया लाल पोसवाल सोहना (गुड़गांव)	मुख्यमंत्री से सम्बद्ध
2.	श्री केसरा राम डबवाली सुरक्षित (सिरसा)	चौ॰ दलसिंह से सम्बद्ध
3.	श्री बनारसी दास गुप्ता थानेसर (कुरूक्षेत्र)	चौ॰ रणबीर सिंह से सम्बद्ध
4.	श्री निहाल सिंह महेन्द्रगढ़	
5.	कंवर रामपाल	

हरयाणा का गठन

1 नवम्बर 1966 को हरयाणा का निर्माण हुआ, जिसका क्षेत्रफल 44212 वर्ग कि.मी व 27° 39 से 30° 55' 5" उत्तरी अक्षांश तथा 40° 27'8 से 77° 36' 5" पूर्वी देशान्तर पर स्थित क्षेत्र तय किया गया।[71] यह भारत की स्वतन्त्रता के बाद बनने वाला राज्य था। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका बीसवां स्थान है, जिसकी जनसंख्या 2011 में 2,53,53081 है।[72] पुरूषों की जनसंख्या 1 करोड़ 35 लाख, 5 हजार व महिलाओं की जनसंख्या 1 करोड़ 18 लाख 48 हजार है, जोकि भारत की जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरयाणा भारत के 28 राज्यों में 20वें स्थान पर है।

उस समय सात जिले अम्बाला, करनाल, गुडगांव, रोहतक, हिसार, जींद व महेन्द्रगढ़ थे। केवल एक अम्बाला डिवीजन थी जो आज बढ़कर 4 हो गई है जोकि क्रमशः अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुड़गांव हैं। उस समय 6 सांसद व 54 विधायक बनते थे व छह लोकसभा क्षेत्र अम्बाला, करनाल (डबल), रोहतक, झज्जर व हिसार थे। अब दोगुने अर्थात् 10 लोकसभा क्षेत्र, अम्बाला व सिरसा (आरक्षित)। करनाल, कुरूक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी गुड़गाव व फरीदाबाद सामान्य क्षेत्र हैं व 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 18 आरक्षित हैं।

प्रशासकीय स्थिति

मण्डल–4	जिले–21	उपमण्डल–54,
उपतहसील–44	तहसील–75,	खण्ड– 119
गांव–6764		

राज्यसभा के लिए 5 सांसद बनते हैं। राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय खेल–कुश्ती है। मुख्य भाषा हिन्दी व हरियाणवी है। वर्तमान दर पर प्रतिव्यक्ति आय रू. 92327 है। पशु अस्पताल 922, शुगर मिल 11, प्रतिदिन दूध का उपयोग 680 ग्राम प्रति व्यक्ति, विश्वविद्यालय 23, कॉलेज 680, पोलटेक्निक 187, इंजीनियरिंग कॉलेज 164, मैडीकल शिक्षण संस्थान 5, बस स्टैण्ड 93, बसें 3469 और पर्यटल 43 हैं। सभी गाँव विद्युतीयकरण से जुड़े हुए हैं। प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी थे। प्रथम मुख्यमंत्री पं. भगवतदयाल बने। इस समय भूपेन्द्र सिं हुड्डा प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। प्रथम स्पीकर श्रीमती शन्नो देवी (विधायक यमुनानगर) थी। वर्तमान स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा विधायक गन्नौर हैं।

प्रथम एडवोकेट जनरल बाबू आनन्दस्वरूप थे, अब श्री हवासिंह हुड्डा है।

राज्य में लगभग 18 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं। रेलमार्ग की लम्बाई 1623 किलोमीटर हैं 6 हवाई पट्टियाँ है। प्रमुख नहरे – भाखड़ा, यमुना, गुड़गावा नहर है।

वर्ष 2011 में हरयाणा की शहरी आबादी 88,21588 है जोकि कुल जनसख्या का 34.79 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी लगभग दो तिहाई 65.21 प्रतिशत है। लिंगानुपात 877 प्रतिशत है। ग्रामीण साक्षरता 72.74 प्रतिशत व शहरी साक्षरता 83 प्रतिशत है। ग्रामीण व शहरी को मिलाकर कुल 76.67 प्रतिशत बनती है। भारत की साक्षरता से 74.04 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत अधिक है। जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है।

हरयाणा की जनसंख्या धर्म अनुसार निम्न प्रकार से है।[73]

हिन्दू	89 प्रतिशत
सिख	6.5 प्रतिशत
मुस्लिम	4 प्रतिशत
अन्य	0.5 प्रतिशत

हरयाणा में हिन्दुओं का जाति अनुसार निम्न प्रकार से है।[74]

जाट	35 प्रतिशत
ब्राह्मण	12 प्रतिशत
अहीर	8 प्रतिशत
गुजर	8 प्रतिशत
बनिया	8 प्रतिशत
राजपूत	5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	19.75 प्रतिशत
अन्य	5.25 प्रतिशत

सन्दर्भ

1. आर्य निहाल सिंह : सर्वखाप पंचायत का राष्ट्रीय पराक्रम (प्राचीन विशाल हरयाणा) – 1991,प्रकाशक : सर्वखाप पंचायत इतिहास प्रकाशक आर्यमण्डल, बी–11, ओ३म भवन, यादव पार्क, नांगलोई, दिल्ली–41,पृ. 24
2. –वही – पृ. 26
3. –वही – पृ. 27
4. रोड रामदास : रोड वंश का पांच हजार वर्ष का इतिहास प्रकाशक : रामदास रोड, कुरूक्षेत्र (हरयाणा), पृ. 38–39, आर्य निहाल, –वही – पृ. 27
5. दहिया सुरजभान : दहिया स्मृति, 2010, पृ. 19
6. आर्य निहाल सिंह : –वही – पृ. 295
7. आर्य निहाल सिंह : –वही – पृ. 29, 297
8. आर्य निहाल सिंह : –वही – पृ. 28
9. आर्य निहाल सिंह : –वही – पृ. 29
10. आर्य निहाल सिंह : –वही – पृ. 29
11. आर्य निहाल सिंह : –वही – पृ. 29–32
12. जाखड रामसिंह –1857 की जनक्रान्ति में हरयाणा का योगदान प्रकाशक : अभिलेखागार विभाग – हरयाणा–1999, पृ. XVIII और पृष्ठ 2
13. –वही– पृ. XVIII

–हुड्डा जगत सिंह : देहातरत्न चौधरी मातूराम आर्य जीवनवृत्त (1865–1942), प्रकाशक : अनिता हुड्डा, 655/5, न्यू प्रकाश

नगर,तहसील टाऊन, पानीपत, –2009 पृ. 85

14. Gazetter Rohtak Distt.

15. जाखड रामसिंह –वही–पृ. 127 व 133

16. –वही– पृ. 128 से 133

17. –वही– पृ. 134 से 139

18. –वही– पृ. 134, 136 व 138

19. –वही– XIV, पृ. 60 व 61

20. –वही– पृ. 22

21. –वही– पृ. 109

22. –वही– पृ. 37

23. –वही– XVIII, पृ. 22

24. –वही– पृ. 109

24. –वही– पृ. 113

–कपूर मदनलाल : वही, पृ. 112–113

25. –वही– पृ. 125

26. Alakh Dhari (Ex- Minister, Bikaner/Alwar): Case for United Punjab, Published by : English Book Depot, Ambala Cantt. (1956) Page. 57–58

27. जाखड रामसिंह –वही– पृ. 54 व 120

28. –वही– पृ. 95

29. –वही– पृ. 103

Alakh Dhari : –वही– पृ. 56

30. हुड्डा जगत सिंह : –वही– पृ. 158

31. –वही– पृ. 86

32. –वही– पृ. 91

33. यादव के.सी : पंजाब के प्रहरी – लाला अचिन्त राम
प्रकाशक : लाला बलवन्त राय तायल, मैमोरियल सोसाइटी हिसार, पृ. 16

34. –वही–, पृ. 27

35. सिंह रणजीत : प्रो. शेरसिंह –एक प्रेरक व्यक्तित्व–1991
प्रकाशक : प्रो. शेरसिंह अभिनन्दन समारोह समिति आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानन्द मठ, रोहतक

36. –वही–

37. –वही–

38. –वही–

39. उपमन्यु कुमार नरेन्द्र (प्रो.)– समाजसेवा स्मारिका, स्वतन्त्रता संग्राम के महानायक लाला श्री देशबन्धु गुप्ता जी, प्रकाशक युवा नेतृत्व ज्योति साहित्य एवं समाजसेवी संस्थान, पानीपत, पृ. 61।
–सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण), पृ0. 163

40. Lok Sabha Secretariet : Sardar Hukam Singh Parliamentry Committee on the Demand for Punjabi Suba (1966)
Appendix-VI Page. 79–81
Pt. Mohan Lal (Ex- Minister of Punjab) : Disintegration of Punjab, Page. 69–70

41. सिंह सुल्तान : –वही– पृ. 74
Pt. Mohan Lal (Ex- Minister of Punjab) : Disintegration of Punjab, Page. 58

42. Lok Sabha Secretariet : –वही–पृ. 16

–सिंह रणजीत : प्रो. शेरसिंह –वही–पृ.

-Gazzeteer of India (Haryana State) Harayana State Gazzetteer, Vol. 2004, page.

43. Mohan Lal Pt. (Ex- Minister of Punjab) : Disintegration of Punjab, Published by Jagdish Mehandirata, for smeer prakshasn, SCO 57-59, Sec-17 C, Chandigarh, 1984.

P.. 50

44. –वही– पृ. 303

45. Alakh Dhari : –वही–, पृ. 57–58

46. –वही– पृ. 293

47. सिंह सुलतान : चौ॰ रणबीर सिंह––वही– पृ. 74

48. Pt. Mohan Lal –वही–पृ. 293

49. Lok Sabha Secretariet : –वही–पृ. (III)

50. सिंह सुलतान : चौ॰ रणबीर सिंह––वही– पृ. 75

51. Lok Sabha Secretariet : –वही– App.II पृ. 56–57

52. –वही– पृ. 57

53. –वही– पृ. 57

54. –वही– पृ. 58

55. –वही– पृ. 59

56. –वही– पृ. 59–60

57. –वही– पृ. 60

58. –वही– पृ. 60

59. –वही– पृ. 61

60. –वही– पृ. 61

61. –वही– Chapter.IV, पृ. 16

62. –वही– App.VIII] पृ. 83–87

63. –वही– Chapter.IV] पृ.15–18

64. Lok Sabha Secretariet : –वही

65. –वही–

66. सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण) 2005
प्रकाशक : होप इंडिया पब्लिकेशंस 85, सेक्टर–23, गुड़गांव (हरयाणा), पृ. 169

67. दैनिक वीर प्रताप, जालन्धर दिनांक 1–11–1966
Mohan Lal Pt. –वही–पृ. 323

68. Mohan Lal Pt. –वही–पृ. 323

69. दैनिक वीर प्रताप, जालन्धर दिनांक 1–11–1966

70. Haryana at a Glance : ibid.

71. दैनिक वीर प्रताप, जालन्धर, दिनांक 1–11–1966

72. Haryana at a Glance : Pumphlet Produced by Director Genral, Information Public Relation and Cultural Affaires, Haryana, Dec. 2011.

73. Chahar SS : Dynamic Electroal Politics in Haryana Vol-I
Published by : Somenath Dhall for sanjay prakashan, 4378/4 B, 208, JMD House, Ansari House, Dariyaganj New Delhi, page. 62.

74. ibid

अध्याय – 4
संविधान सभा में हरयाणा

प्रथम अधिवेशन (9–23 दिसम्बर 1946)

9 दिसम्बर 1946 को ब्रिट्रिश भारत (अविभाजित भारत) की संविधान सभा अस्तित्व में आयी और इसमें 207 सदस्यों ने परिचय पत्र को पेश किया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर सदस्यता ग्रहण की। इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं थे, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था। इसमें संयुक्त भारत के सभी 14 राज्यों के प्रतिनिधि थे। सबसे अधिक मद्रास प्रान्त से 43 सदस्य थे। यू.पी. से 42, बिहार से 30, बंगाल से 25, बम्बई से 19, मध्यप्रान्त और बरार से 14, पंजाब से 12, उड़ीसा से 9, आसाम से 7, सीमाप्रान्त से 2, सिंघ, दिल्ली, अजमेर–मेरवाड़ा एवं कुर्ग से 1–1 सदस्य थे।

पंजाब के 12 सदस्यों का विवरण

1.	दीवान चमन लाल, (1892–1973) एम.एल.ए (केन्द्रीय)	पंजाब : जनरल
2.	माननीय श्री मेहर चन्द खन्ना	पंजाब : जनरल
3.	चौ॰ हरभजराम एम.एल.ए.	पंजाब : जनरल
4.	सरदार पृथ्वी सिंह आजाद एम.एल.ए.	पंजाब : सिख
5.	सरदार प्रताप सिंह एम.एल.ए. (1901–64)	पंजाब : सिख
6.	सरदार उज्जवल सिह एम.एल.ए.	पंजाब : सिख

7. सरदार करतार सिंह एम.एल.ए. पंजाब : सिख
8. सरदार हरनाम सिंह एम.एल.ए. पंजाब : सिख
9. डॉ. बख्शी टेकचन्द पंजाब : जनरल
10. पं. श्रीराम शर्मा एम.एल.ए. (1899–1989) पंजाब : जनरल
11. राव बहादुर चौ॰ सूरजमल एम.एल.ए. (1899–1983) पंजाब : जनरल
12. डा. गोपी चन्द भार्गव एम.एल.ए. (1889:1966) पंजाब : जनरल

सोमवार, 9 दिसम्बर 1946 को उद्घाटन भाषण डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने दिया। 11 दिसम्बर 1946 बुधवार को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सभापति चुना गया।[1] 11 दिसम्बर 1946 को सबसे पहले कार्य संचालन के लिए नियम–निर्मात्री–समिति का निर्वाचन किया गया, जिसमें 15 सदस्य चुने गए।[2] डॉ. गोपीचन्द भार्गव को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया। (पं. जवाहर लाल नेहरू (संयुक्त प्रान्त : जनरल) ने लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव 13–12–1946 को पेश किया था ।)

द्वितीय अधिवेशन (20–25 जनवरी 1947)

20 जनवरी को डॉ॰ एस. राधाकृष्णन ने लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला। 21 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा की स्टीयरिंग कमेटी (स्थायी समिति) का चुनाव हुआ, जिसके कुल 11 सदस्य थे। पंजाब से 2 सदस्य सर्वश्री दीवान चमनलाल व सरदार उज्जल सिंह शामिल थे। 21 जनवरी 1947 को मंगलवार का दिन था। हरयाणा क्षेत्र के ऐतिहासिक नगर पानीपत के मूल निवासी लाला देशबन्धु गुप्ता[4] जो कि भारतीय संविधान सभा में (बिहार : जनरल) से चुने गए थे। पहली बार लक्ष्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद–विवाद में भाग लिया। हरयाणा की आवाज सर्वप्रथम संविधान सभा में सुनायी दी।

24 जनवरी 1947 को शुक्रवार का दिन था। इस दिन एक सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी)[5] बनाने का निर्णय हुआ, इसमें

50 सदस्य 7 विभिन्न श्रेणियों से शामिल किये गये। इसके लिए संविधान सभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं था। 10 सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामजद किए गए।

श्रेणी विभाजन

बंगाल, पंजाब, सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, सिन्ध से प्रतिनिधिः 7

1. जयरामदास दौलतराम, सिन्ध
2. माननीय मेहरचन्द खन्ना, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त
3. डा. गोपीचन्द भार्गव, पंजाब
4. डा. बख्शी टेकचन्द, पंजाब
5. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल
6. श्री प्रफुल्ल चन्द घोश, बंगाल
7. श्री सुरेन्द्र मोहन घोश, बंगाल

दलित जाति व तालिकाबद्ध जातियों के प्रतिनिधि : 7

1. डॉ. भीमराम अम्बेडकर – बंगाल
2. श्री बाबू जगजीवन राम – बिहार
3. डॉ. धर्मप्रकाश – यू.पी. जनरल
4. श्री एच. जे. खांडेकर – मध्य प्रान्त व बरार
5. श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई–मद्रास : जनरल
6. श्री पी. आर. ठाकुर – पश्चिम बंगाल
7. सरदार पृथ्वी सिंह आजाद – पंजाब

सिखों के प्रतिनिधि : 6

1. स. जोगिन्द्र सिंह–यू.पी. जनरल
2. श्री माननीय बलदेव सिंह
3. स. प्रताप सिंह

4. स. हरनाम सिंह
5. स. उज्जल सिंह
6. स. करतार सिंह

हिन्दुस्तानी ईसाइयों के प्रतिनिधि : 4

1. डा. एच. सी. मुखर्जी– बंगाल–जनरल
2. डा. जोसफ आलवन डी सौजा–मुम्बई–जनरल
3. श्री साल्वे
4. श्री रोचे विक्टोरिया

एंग्लों इडियन : 3

1. फ्रेंक एन्थोनी – सी.पी. व बरार
2. एस.एस. प्रेटर
3. एम.बी. एच. कालिन्स

पारसियों के प्रतिनिधि: 3

1. आर. के. सिधवा – सी.पी. व बरार
2. एम. आर. मसानी–बम्बई
3. सर होमी मोदी

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा मनोनित 10 सदस्य थे।

तृतीय अधिवेशन (28 अप्रैल से 2 मई 1947)

इस अधिवेशन में दीनबन्धु सर छोटूराम की विचारधारा का प्रभाव था। दीनबन्धु सर छोटूराम की 9 जनवरी 1945 को मृत्यु के बाद उनकी पार्टी का नेतृत्व चौ॰ टीकाराम व चौ॰ सूरजमल के कंधों पर था। 1946 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में हरयाणा क्षेत्र से निर्वाचित कुल 17 सदस्यों में से तीन सदस्य सर छोटूराम द्वारा स्थापित यूनियननिस्ट

पार्टी से सम्बन्धित थे और इनमें हरयाणा क्षेत्र के चौ॰ सूरजमल (हिन्दू) व सर फिरोजखान नून (मुस्लिम) व एक दलित प्रतिनिधि सहित यूनियनिस्ट पार्टी के कुल तीन सदस्य भारतीय संविधान सभा के लिए चुने, जिन्होंने अपने दल की नीति के अनुसार कृषि व कृषक हितों पर वीरवार 30 अप्रैल, 1947 को अपने विचार व्यक्त किए। यह भाषण एडवाजरी कमेटी (सलाहकार समिति)[6] की रिपोर्ट पर दिया गया। उनके द्वारा दिए गए भाषण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है–

चौ॰ सूरजमल ने वाद–विवाद में भाग लेते हुए कहा कि इकाई (यूनिट) को इस प्रकार के अख्तियार (अधिकार) दिए जाएं, जिससे काश्तकारों के फायदे के लिए और छोटे–छोटे जमीदारों और बिस्वेदारों को बड़े–बड़े जमीदारों, पूंजीपतियों और मालदारों में जो खुद खेती नहीं करते हैं, उनको बचा सकें, मेरे ख्याल से इस किस्म की पाबन्दियां लगाना तमाम मुल्क के फायदे के लिए बहुत जरूरी है।

जो लोग फौज से सम्बन्ध रखते हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें और उनको कमजोर न करें। क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। भविष्य में जो विधान बन रहा है, उसको चलाने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरी दरखास्त (प्रार्थना) है कि इस तरह की पाबन्दियाँ होनी चाहिए, जिससे मालदार आदमी कमजोरों की जमीन न खरीद सके, मेरी सरदार पटेल से अर्ज है, क्योंकि वे जमीदारों के हमदर्द हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इस किस्म का ख्याल रखेंगे और जो कानून इस वक्त मौजूद है, उससे बचाने के लिए इस व्यवस्था को इस संविधान के अन्दर करेंगे।

एक बार जब किसान जब नष्ट हो जाते हैं तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होता, जैसा कि किसी अंग्रेजी शायर ने कहा है कि किसान को एक दफा नष्ट करने के बाद फिर उनको बनाना बहुत कठिन होता है इन शब्दों के साथ यह संशोधन आपके सामने पेश करता हूँ।

हांलाकि पंजाब से दलित जाति के सदस्य व प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता सरदार पृथ्वी सिंह आजाद ने वाद–विवाद में भाग लेते हुए इसका विरोध किया था।

पंजाब से सरदार हरनाम सिंह व दीवान चमनलाल ने भी अनेक वाद विवादों में भाग लिया। लेकिन, पंजाब से निर्वाचित 12 सदस्यों में से 3 हरयाणा क्षेत्र से थे। प. श्रीराम शर्मा, प. गोपीचन्द भार्गव जैसे विद्वान इस सभा के सदस्य थे।

चौथा अधिवेशन (14 से 31 जुलाई 1947)

स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ। कुछ सदस्य पुराने रहे, कुछ नए निर्वाचित होकर आए। विशेषकर बंगाल और पंजाब के विभाजन के कारण इन राज्यों से नए प्रतिनिधि संविधान सभा में चुन कर आए। अधिवेशन के समय 298 सदस्य उपस्थित थे। नव निवार्चित सदस्यों में से 80 सदस्यों ने 14 जुलाई 1947 सोमवार को प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये।[7] इस दिन प. बंगाल के 15, पूर्वी पंजाब के 12, संयुक्त प्रांत–5, मद्रास–4, बिहार–4, बम्बई–3, मध्य प्रांत–1, आसाम–1 कुल 43 व 37 सदस्य देशी रियासतों से थे।

इस संविधान में भारतीय पंजाब से निर्वाचित सदस्यों को पूर्वी पंजाब के सदस्य कहा गया उनका विवरण इस प्रकार से है

क्रम	हस्त॰ क्र॰	सदस्य का नाम	चुनाव क्षेत्र
1.	28	माननीय सरदार बलदेव सिंह	(पूर्वी पंजाबः सिंख)
2.	29	दीवान चमन लाल	(पूर्वी पंजाब : जनरल)
3.	30	मौलाना दाऊद गजनवी	(पूर्वी पंजाब : मुस्लिम)
4.	31	ज्ञानी गुरूमुख सिंह मुसाफिर	(पूर्वी पंजाब : सिख)
5.	32	शेख महबूब इलाही	(पूर्वी पंजाब : मुस्लिम)
6.	33	सूफी अब्दुल हमीद खाँ,विधायक	(पूर्वी पंजाब : मुस्लिम)

7.	34	चौधरी रणबीर सिंह	(पूर्वी पंजाब : जनरल)
8.	35	चौधरी मुहम्मद हुसैन,विधायक	(पूर्वी पंजाब : मुस्लिम)
9.	36	श्री विक्रम लाल सौंधी	(पूर्वी पंजाब : जनरल)
10.	37	प्रो. यशवन्त राय	(पूर्वी पंजाब : जनरल)

14 जुलाई 1947 को संविधान सभा के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हरयाणा क्षेत्र से चौ॰ रणबीर सिंह एकमात्र सदस्य थे।

14 जुलाई 1947 की सभा के प्रस्तावानुसार निम्नलिखित कमेटियाँ बनाई गयीं।

कमेटी का नाम

1. क्रेडेशियल्य कमेटी
2. हाऊस कमेटी
3. स्टीयरिंग कमेटी
4. स्टाफ एण्ड फायनान्स कमेटी

15 जुलाई 1947 को 5 सदस्यों[8] ने संविधान सभा के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक पं. ठाकुरदास भार्गव हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्ध रखते थे।

15 जुलाई 1947 को दिल्ली से निर्वाचित व हरयाणा के मूल निवासी लाला देशबन्धु गुप्त ने अनुकरणीय प्रान्तीय विधान के सिद्धातों के सम्बन्ध में रिपोर्ट पर वाद–विवाद में भाग लिया।[9]

22–07–1947 को पं. नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया व डॉ॰ राधाकृष्णन न राष्ट्रीय ध्वज के महत्व पर प्रकाश डाला।

28–07–1947 को प. ठाकुर दास भार्गव ने संघ विधान समिति की रिपोर्ट पर हुए वाद–विवाद में प्रजातान्त्रिक सरकार के गठन बारे संशोधन प्रस्ताव में भाग।

30–07–1947 संघ विधान समिति की रिपोर्ट पर हुए वाद–विवाद में लाला देशबन्धु गुप्त व प. ठाकुरदास भार्गव ने भाग लिया। लाला देशबन्धु गुप्त दिल्ली को स्वतन्त्र राज्य (गवर्नर का राज्य) बनाए जाने के पक्ष में बोले। वहीं पं. भार्गव ने दिल्ली को पंजाब का ही हिस्सा बने रहने की वकालत की।

31–7–1947 नियमों में संशोधन पर वाद–विवाद हो रहा था इसमें लाला देशबन्धु गुप्त दिल्ली राज्य के पक्ष में बोले। इसी दिन चीफ कमीशनरी के राज्यों के विधान का मसौदा तैयार करवाने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनायी गयी।[13]

1.	लाला देशबन्धु गुप्त	दिल्ली : जनरल
2.	गोपाल स्वामी आयंगर	मद्रास : जनरल
3.	पट्टाभि सितारमैया	मद्रास : जनरल
4.	के. सन्तानम	मद्रास : जनरल
5.	मुकुट बिहारी लाल भार्गव	अजमेर : मेरवाडा
6.	श्री सी. एम. पून्या	कुर्ग : जनरल
7.	श्री हुसैन इमाम	बिहार : मुस्लिम

पांचवां अधिवेशन (14–30 अगस्त 1947)

यह अधिवेशन भारतीय संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो कि स्वतन्त्रता का गवाह बना और इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत, प्रतिज्ञा व राष्ट्रगान आदि का समावेश हुआ। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रभक्तों व शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की व विश्व के देशों से मित्रता को आश्वासन दिया। डॉ॰ राधाकृष्णन ने शांति व संयम बनाए रखने की अपील की।

वन्दे मात्रम का गायन

गुरूवार, 14 अगस्त को मध्य रात्रि को सबसे पहले श्रीमती सुचेता कृपलानी (यू.पी. : जनरल) द्वारा वन्दे मात्रम का गान संविधान सभा में गाया गया।[14] मध्यरात्रि 12 बजते ही संविधान सभा के अध्यक्ष तथा सदस्यगण खड़े हो गए[15] और प्रतिज्ञा ग्रहण की। अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा का एक–एक वाक्य पहले हिन्दुस्तानी भाषा में और फिर अंग्रेजी भाषा में पढ़ा और सदस्यों ने इसे दोहराया।

प्रतिज्ञा[16]

''अब जब कि हिन्दवासियों ने त्याग (कुर्बानी) और तप से स्वतन्त्रता हासिल कर ली है, मैं–––––––––––––––––––– (अपना नाम) जो इस विधान परिषद (आइनेसाज मजलिस) का एक सदस्य (मैम्बर) हूँ, अपने को बड़ी नम्रता (निहायत इन किसारी) से हिन्द और हिन्दवासियों की सेवा (खिदमत) के लिए अर्पण (वक्फ) करता हूँ, ताकि यह प्राचीन (कदीम) देश (मूल्क) संसार में अपना उचित और गौरवपूर्ण (बाइज्जत) जगह लेवे और संसार में शांति स्थापना (अमन कायम) करते और मानव जाति (इन्सान) के कल्याण (बहबूदी) में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी–खुशी हाथ बटा सके।''

सत्ता हस्तारन्तरण व राष्ट्रीय पताका को उपस्थित किया जाना[17]

विधान परिषद द्वारा सत्ता ग्रहण की तथा लार्ड मांउट बेटन के गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने की वायसराय को सूचना डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लार्ड मांऊटबेटन को यह संदेश पहुंचाया व राष्ट्रीय पताका को उपस्थित किया गया। श्रीमती सरोजनी नायडू की अनुपस्थिति में श्रीमती हंसा मेहता (मुम्बई : जनरल) ने भारतीय महिलाओं को और राष्ट्र को अपनी मार्फत यह

पताका भेंट देती हूँ। भारतीय महिलाओं की एक समिति थी, जिसको राष्ट्रीय पताका की जिम्मेवारी दी गई थी। उसमें श्रीमति सरोजनी नायडू (बिहार : जनरल), हंसा मेहता, एमएलसी (मुम्बई : जनरल), इन्दिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकौर, सुचेता कृपलानी (यू.पी. : जनरल), डी. दुर्गाबाई (मद्रास : जनरल), शन्नोदेवी (पूर्वी पंजाब से थी व पंजाब विधानसभा की सदस्य भी रही और हरयाणा निर्माण के बाद हरयाणा विधानसभा की पहली स्पीकर रही), लज्जादेवी, कमला चौधरी (यू.पी. : जनरल) व मालती चौधरी (उड़ीसा : जनरल) आदि प्रमुख थी।

राष्ट्रीय गीतों का गायन[18] : राष्ट्रीय पताका भेंट करने के बाद रात्रि में ही राष्ट्रीय गीतों का गायन हुआ। ''सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'' तथा ''जन गण मन अधिनायक जय हे'' शीर्षक कविताओं की चन्द प्रथम पक्तियों का गायन किया गया। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने इन दोनों कविताओं की प्रथम पक्तियों का गायन किया। सभा स्थगित हुई व 15 अगस्त को सुबह 10 बजे पुनः शुरू हुई।

हरयाणा क्षेत्र से सम्बन्धित 3 सदस्य सर्वश्री चौधरी रणबीर सिंह, डॉ. ठाकुरदास भार्गव व लाला देशबन्धु गुप्ता इस गौरवपूर्ण व ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने।

15 अगस्त 1947 को अध्यक्ष का भाषण

शुक्रवार, 15 अगस्त 1947 ई॰ का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक था। डा॰ राजेन्द्र प्रसाद स्वतन्त्र भारत के गर्वनर जनरल श्री मान लार्ड माउण्टबेटन तथा श्रीमती मांउटबेटन के साथ परिषद भवन में प्रविष्ट[19] हुए तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया व गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबेटन के भाषण हुए व ध्वजारोहण किया व 20 अगस्त 1947 तक सभा स्थगित की।

बुधवार 20 अगस्त, 1947 को 5 नए सदस्यों ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें हरयाणा क्षेत्र से चौधरी निहाल सिंह तक्षक[20] शामिल थे। चौ. निहाल सिंह तक्षक का निर्वाचन पंजाब राज्य ग्रुप–।।। की तरफ से हुआ था। मंगलवार, 26 अगस्त 1947 को संविधान सभा में संघीय अधिकार समिति की रिपोर्ट पर वाद–विवाद हुआ। इसमें श्री हिम्मत सिंह के महेश्वरी (सिक्कम और कूचविहार) के प्रस्ताव पर चौ॰ निहाल सिंह तक्षक ने संशोधन प्रस्ताव रखा[21] जो कि देसी रियासतों में डाक समस्या से सम्बन्धित था।

बुधवार, 27 अगस्त 1947 को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट पर वाद–विवाद हो रहा था तो पं. ठाकुरदास भार्गव ने संशोधन प्रस्ताव रखा[22] और हरयाणा के इस वरिष्ठ नेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी।

शुक्रवार, 29 अगस्त, 1947 को विधान मसौदे की जांच समिति का गठन हुआ, जिसका कार्य भारत के विधान के मस्विदे की जांच करने तथा उसमें आवश्यक संशोधनों का सुझाव रखने का था।

इस कमेटी में निम्न सदस्य थे[23]

1.	श्री कृष्णास्वामी अय्यर	(मद्रास : जनरल)
2.	श्री गोपालस्वामी आंयगर	(मद्रास : जनरल)
3.	डा. भीमराव आर. अम्बेडकर	(मुम्बई : जनरल)
4.	श्री के. एम. मुंशी	(मुम्बई : जनरल)
5.	श्री सैयद मुहम्मद सादुल्ला	(आसाम–मुस्लिम)
6.	श्री देवी प्रसाद खेतान	(पं. बंगाल–जनरल)
7.	सर. बी. एल. मित्तर	(बड़ौदा राज्य)

इन सदस्यों की समिति गठित की गई। लेकिन स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद में सर. बी.एल. मित्तर की सदस्यता समाप्त हो

गई थी। अतः कुछ समय पश्चात ही इनके स्थान पर श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रासः जनरल) नये सदस्य नियुक्त किए गए।

छठा अधिवेशन (27 जनवरी 1948)

27 जनवरी 1948 को सरदार गुरूमुख सिंह मुसाफिर (पूर्वी पंजाब सिख) पूर्वी पंजाब को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व पर वाद–विवाद में हिस्सा लिया[24] और पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में विस्थापितों (माइग्रेटिड) लोगों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग रखते हुए कहा कि आबादी के हिसाब से 2 हिन्दू व 2 सिख सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए क्योंकि 45 लाख हिन्दू व सिख पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब में माइग्रेट होकर आए थे।[25]

विभाजन से पूर्व पंजाब की जनसंख्या 1 करोड़ 12 लाख 60 हजार थी और दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। 12 सदस्य पंजाब से चुने गए थे।

तत्कालीन पंजाब की आबादी[26]

मुसलमान	40 लाख	40 हजार
सिख	20 लाख	30 हजार
हिन्दू	50 लाख	90 हजार
	111 लाख	60 हजार
मुसलमान गए	40 लाख	40 हजार
	71 लाख	20 हजार
हिन्दू व सिख आए	40 लाख	92 हजार
	112 लाख	12 हजार

नोट : इसमें से लगभग 48 लाख जनसंख्या हरयाणा क्षेत्र की थी।

दीवान चमनलाल (पूर्वी पंजाब : जनरल) , पं. ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाब : जनरल) ने भी वाद–विवाद में हिस्सा लिया व मुसाफिर जी का समर्थन किया व शरणार्थियों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया।[27]

उसके बाद नियमों में संशोधन तथा परिवर्तन पर पं. भार्गव बोले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इण्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947 पर पं. भार्गव ने वाद–विवाद में भाग लिया।[28] इसमें भारत की प्रभुसत्ता पर वाद–विवाद चल रहा था।

1948 में पूर्वी पंजाब के मुस्लिम सदस्यों के स्थान पर 4 नए सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें दो सिख थे सरदार भूपेन्द्र सिंह मान, कांग्रेस से थे। सरदार हुक्म सिंह (1895–1970) अकाली दल के कोटे से व हिन्दू सदस्यों में लाला अंचितराम व मास्टर नन्दलाल हिन्दू सदस्य कांग्रेस की तरफ से विजयी हुए थे।

सांतवा अधिवेशन (4 नवम्बर 1948 से 8 जनवरी 1949)

संविधान सभा का यह सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इसमें फरवरी 1948 को प्रकाशित प्रारूप के उपबन्धों पर खण्डवार विचार करने के लिए संविधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया। हरयाणा क्षेत्र के पं. ठाकुरदास भार्गव ने कार्यक्रम पर वाद–विवाद में भाग लिया।[29] संविधान का प्रारूप डॉ. अम्बेडकर (मुम्बई : जनरल) द्वारा संविधान सभा के समक्ष वीरवार 4 नवम्बर 1948 को विधान के मसौदे का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा गया। यह संविधान सभा का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था।[30] शरणार्थियों के कोटे से 5 मार्च 1948 को निर्वाचित मास्टर नन्दलाल, लाला अचिन्तराम, सरदार भूपेन्द्र सिंह मान व सरदार हुक्म सिंह ने पहली बार अधिवेशन में भाग लिया।

शनिवार 6 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में विधान के मसौदे से सम्बन्धित प्रस्ताव पर वाद–विवाद चल रहा था। हरयाणा क्षेत्र को दो महत्वपूर्ण सदस्यों ने इसमें भाग लिया। पं. भार्गव व चौ॰ रणबीर

सिंह ने इसमें जोरदार व प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही। पं. भार्गव[31] ने पहले सत्र में व चौधरी रणबीर सिंह[32] ने सायंकाल के सत्र में लगभग 4 बजे अपने–अपने भाषण दिए। चौ॰ रणबीर सिंह द्वारा दिया गया यह प्रथम भाषण था जिसको ऐतिहासिक भाषण भी कहा जा सकता है। इसी प्रस्ताव में सोमवार 8–11–1948 को लाला देशबन्धु गुप्ता ने भी वाद–विवाद में अपना भाषण दिया।[33]

बुधवार 17–11–1948 को विधान के मसौदे पर पं. भार्गव[34] व चौ॰ रणबीर सिंह[35] ने अपने भाषण दिए व चौ॰ रणबीर सिहं ने बड़े बेबाक ढंग से आरक्षण सम्बंधी वाद–विवाद में हिस्सा लिया 18 नवम्बर को चौधरी रणबीर सिंह ने हरयाणा निर्माण की आवाज उठाई।[36]

22–11–1948[37] व 24–11–1948 को पं. भार्गव[38] ने विधान के मसौदे पर हुए वाद–विवाद में भाग लिया।

संविधान सभा के इस अधिवेशन में बुधवार 1 दिसम्बर 1948 को विधान के मसौदे पर हुए वाद–विवाद में मोहम्मद इस्माईल और गौ वध पर पं. भार्गव ने अपना भाषण दिया[39] व गौवध के खिलाफ बोले। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर भी पं. भार्गव ने अपने विचार व्यक्त किए।[40]

वीरवार 2 दिसम्बर, 1948 को विधान के मसौदे पर हुए वाद–विवाद में चौ॰ रणबीर सिंह[41] ने कृषि हित पर जोर दिया व अपने भाषण में कृषि व कृषक बारे विचार प्रकट किए। दूसरी तरफ जमीन की खरीद बिक्री हेतू भाषण लाला देशबन्धु गुप्ता[42] व पं. भार्गव[43] ने दिए। पं. भार्गव 3–12–1948,[44] 8–12–1948[45] व 28–12–1948[46] व 29–12–1948[47] को भी बोले।

4 जनवरी 1949 को विधान का मसौदा (शरणार्थियों के निर्वाचन सम्बन्धी वाद–विवाद में पं. भार्गव[48] लाला देशबन्धु गुप्ता[49] ने वाद–विवाद में हिस्सा लिया। दिनांक 6 जनवरी, 1949 को विधान के मसौदे पर वाद–विवाद में मास्टर नन्दलाल ने संशोधन संख्या 2227

पेश करना था लेकिन नहीं किया।[50] शुक्रवार, 7 जनवरी, 1949 को निर्वाचन सम्बंधी प्रस्ताव पर पं. भार्गव[51] व लाला देशबन्धु गुप्ता[52] ने अपने विचार प्रकट किए।

शनिवार 8 जनवरी 1949 को मतदाता सूचियाँ तैयार करने के प्रस्ताव पर पं. भार्गव[53] व लाला देशबन्धु गुप्ता[54] ने वाद–विवाद में हिस्सा लिया।

आठवां अधिवेशन (16 मई से 16 जून 1949)

संविधान सभा का 8वाँ अधिवेशन दिनांक 16–5–1949 से 31–5–1949 तक हुआ। इस अधिवेशन में राज्य–संघ सदस्यता पर वाद–विवाद हुआ।[55] लेकिन इसमें न्यायालयों सम्बन्धी वाद–विवाद पर दिनांक 24.05.1949 को पं. भार्गव ने भाग लिया।[56] 25 मई को अल्पसंख्यकों पर रिपोर्ट के वाद–विवाद में पं. भार्गव ने भाग लिया।[57] 27 मई, 1949 को न्यायालयों के धाराओं सम्बन्धी वाद–विवाद में पं. भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट पर हुए वाद–विवाद में हिस्सा लिया।[58]

डॉ. भार्गव ने संविधान के प्रारूप पर दिनांक 1 जून 1949,[59] 3 जून 1949,[60] 8 जून 1949,[61] 13[62] व 14 जून 1949[63] को हुए वाद–विवाद में भाग लिया। 16 जून, 1949 को संविधान के प्रारूप पर अनुच्छेद 297–98 के संशोधन प्रस्ताव पर वाद–विवाद में हिस्सा लिया।[64]

नौंवां अधिवेशन (30 जुलाई से 18 सितम्बर 1949)

संविधान सभा के 31–7–1949 से प्रारम्भ नौंवे अधिवेशन में सोमवार 1 अगस्त, 1949 को संविधान के प्रारूप पर हुए वाद–विवाद में चौ॰ रणबीर सिंह[65] ने हरयाणा व दिल्ली की स्थिति बारे में भाषण दिया व देशबन्धु गुप्ता[66] ने दिल्ली पर अपने विचार व्यक्त किये।

मंगलवार 2 अगस्त 1949 को संविधान के प्रारूप पर हुए वाद–विवाद में चौधरी रणबीर सिंह[67] ने हरयाणा व दिल्ली सम्बन्धी

भाषण दिया व पं. भार्गव[68] व लाला देशबन्धु गुप्ता[69] ने भी इसी दिन वाद–विवाद में हिस्सा लिया था। पं. भार्गव 4–8–1949 को भी बोले।[70]

सोमवार दिनांक 8 अगस्त 1949 को संविधान के प्रारूप पर हुए वाद–विवाद में पं. भार्गव[71] व चौ॰ रणबीर सिंह[72] ने अपने भाषण दिए। पं. भार्गव[73] ने 10 अगस्त को हुए वाद–विवाद में भी भाग लिया।

वीरवार 18 अगस्त 1949 को डॉ. पंजाब राव देशमुख (मध्य प्रान्त व बरार) ने एक प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार भारत शासन अधिनियम में और संशोधन करने हेतू रखे गए विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा गया। इस समिति में 16 सदस्य थे। पूर्वी पंजाब के दो सदस्य थे, जिनमें, पं. ठाकुरदास भार्गव भी शामिल थे।[74] 20 अगस्त को पं. भार्गव ने वाद–विवाद में हिस्सा लिया।[75]

सोमवार, 22 अगस्त 1949 को संविधान के प्रारूप पर हुए वाद–विवाद में चौ॰ रणबीर सिंह[76] ने अपना भाषण दिया व 24[77] एवं 25 अगस्त[78] को पं. भार्गव ने वाद–विवाद में भाग लिया और भाषण दिया।

वीरवार 1 सितम्बर, 1949 को संविधान के मसौदे पर हुए वाद–विवाद में लाला देशबन्धु गुप्ता[79] व पं. भार्गव[80] ने भाषण दिए। शुक्रवार 2 सितम्बर, 1949 को चौ॰ रणबीर सिंह[81] व पं. भार्गव[82] ने अपने भाषण दिये[83]। शनिवार 3 सितम्बर, 1949 को चौ॰ रणबीर सिंह ने शिक्षा पर अपना भाषण दिया। लाला देशबन्धु गुप्ता[84] ने भी वाद–विवाद में हिस्सा लिया। 8 सितम्बर 1949 को पं. भार्गव[85] ने व 9 सितम्बर को लाला देशबन्धु गुप्ता[86,] 10.09.1949 को पं. भार्गव[87] ने और 12 सितम्बर, 1949 को लाला देशबन्धु गुप्ता[88] ने वाद–विवाद में भाग लिया।

मंगलवार 13 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में संविधान के मसौदे में भाषा सम्बन्धी वाद–विवाद हुआ। लाला देशबन्धु गुप्ता[89] ने इसमें भाग लिया लेकिन 14 सितम्बर 1949 को हरयाणा क्षेत्र के दूसरे सदस्य मास्टर नन्दलाल ने राजभाषा सम्बन्धी संशोधन विधेयक वापिस ले लिया।[90]

15[91] व 16[92] सितम्बर को संविधान के मसौदे में कानून सम्बन्धी वाद–विवाद हुआ। पं. भार्गव ने इसमें भाग लिया। 17 सितम्बर को कानून बारे व कोर्ट सम्बन्धी वाद–विवाद में पं. भार्गव[93] ने भाग लिया।

दसवां अधिवेशन (6 से 17 अक्तूबर 1949)

भारतीय संविधान सभा के दसवें अधिवेशन जो कि 6 से 17 अक्तूबर, 1949 तक हुये थे। सोमवार 10 अक्तूबर, 1949 कानून सम्बन्धी व जजो के वेतन बारे वाद–विवाद में पं. भार्गव ने भाग लिया।[94] इस अधिवेशन में भारतीय राज्यों सम्बन्धी भाषण हुए। 11 अक्तूबर, 1949 को भी पं. भार्गव ने वाद–विवादों में भाग लिया।[95] 12 अक्तूबर 1949 को सरदार पटेल भरतीय राज्यों की एकता सम्बन्धी भाषण दिया। इसके अतिरिक्त पं. भार्गव[96] ने 16 अक्तूबर को भी कानून सम्बन्धी वाद–विवाद में हिस्सा लिया व 17 अक्तूबर को भी पं. भार्गव[97] जी व लाला देशबन्धु गुप्ता[98] ने भाग लिया।

ग्यारहवां अधिवेशन (14 से 26 नवम्बर 1949)

सोमवार 15 नवम्बर, 1949[99] व 18 नवम्बर 1949[100] को संविधान सभा के मसौदे में वाद–विवाद पर पं. भार्गव ने भाग लिया।

वीरवार 24 नवम्बर 1949 को संविधान के मसौदा में चौ॰ रणबीर सिंह[101] व लाला देशबन्धु गुप्ता[102] ने अपने विचार प्रकट किए और जोरदार ढ़ंग से वाद–विवाद में भाग लिया।

संदर्भ

भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली – पुनः मुद्रण 1994

1. पुस्तक न.1 खण्ड –1 अंक–1 संख्या –3, पुष्ठ 2, (11.12.46)
2. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–1 अंक–1 संख्या–10 (21.12.46), पृष्ठ 33–34
3. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–1 अंक–1 संख्या–11 (13.12.46)

4. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–2 अंक–2 संख्या–2 (21.1.47), पृष्ठ 20
5. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–2 अंक–2 संख्या–4 (24.1.47), पृष्ठ 5
6. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–2 अंक–3 संख्या–3, पृष्ठ 5–6, 30.04.1947
7. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–4 अंक–4 संख्या–1 (14.7.47), पृष्ठ 2–3
8. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–4 अंक–4 संख्या–2 (15.7.47), पृष्ठ 1
9. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–4 अंक–4 संख्या–2 (15.7.47), पृष्ठ 26
10. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–4 अंक–4 संख्या–7 (22.7.47), पृष्ठ 28
11. वही – पुस्तक न.1 खण्ड–4 अंक–4 संख्या–11 (28.7.47), पृष्ठ 6
12. वही – पुस्तक न. 1, खण्ड–4 (30–7–47), पृष्ठ 31
13. वही – खण्ड–4, अकं 4 , संख्या –14, पृ. 54 (31.07.47)
14. वही – पुस्तक न. 2, अंक–5, खण्ड–5, संख्या–1, (14–8–47), पृष्ठ 1–3
15. वही – पुस्तक न. 2, अंक–5, खण्ड–5, संख्या–1, (14–8–47), पृष्ठ 13
16. वही, पृष्ठ 14
17. वही, पृष्ठ 15–16
18. वही, पृष्ठ 17
19. वही – पुस्तक न. 2, अंक–5, खण्ड–5, संख्या–2, (15–8–47), पृष्ठ 1
20. वही – पुस्तक न. 2, अंक–5, खण्ड–5, संख्या–3, (20–8–47), पृष्ठ 1
21. पुस्तक न. 2, खण्ड–5, अंक–5, संख्या–7, पृ. 28, (26–8–47)
22. वही– खण्ड–5, अंक–5, संख्या–8, पृ. 60, (27–8–47)
23. वही– खण्ड–5, अंक–5, संख्या–10, पृ. 2,(29–8–47)
24. वही– खण्ड–6, अंक–1, संख्या–1, पृ. 7, (27–1–48)
25. वही– खण्ड–6, अंक–1, संख्या–1, पृ. 7–9, (27–1–48)
26. वही– खण्ड–6, अंक–1, संख्या–1, पृ. 12, (27–1–48)
27. वही– खण्ड–6, अंक–1, संख्या–1, पृ. 15, (27–1–48)
28. वही– खण्ड–6, अंक–1, संख्या–1, पृ. 34, (27–1–48)
29. वही–पुस्तक 3, खण्ड–7क, अकं–7, संख्या–1, पृ. 57, (4–11–48)
30. वही–पुस्तक 3, खण्ड–3क, अकं–7, संख्या–3, पृ. 59–88, (4–11–48)
31. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–3 पृ. 221–228, (6–11–48)
32. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–3 पृ. 246–250, (6–11–48)
33. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–3 पृ. 292–298, (8–11–48)
34. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–7 पृ. 544–548, (17–11–48)
35. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–7 पृ. 559, (17–11–48)
36. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–7 पृ. 562–564, (18–11–48)
37. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–10 पृ. 685–687, (22–11–48)
38. वही–पुस्तक 3,खण्ड–3क,अकं–7,संख्या–12 पृ. 782–786, (24–11–48)
39. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–17 पृ. 1107–08, (18–11–48)
40. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–17 पृ. 1140–41, (18–11–48)
41. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–18 पृ. 1175–76, (2–12–48)
42. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–18 पृ. 1207–08, (2–12–48)
43. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–18 पृ. 1233, (2–12–48)

44. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–19 पृ. 1347–52, (3–12–48)
45. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–22 पृ. 1457–59, (8–12–48)
46. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–27 पृ. 1815–18 व 1849–50, (28–12–48)
47. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–28 पृ. 1899, (29–12–48)
48. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–28 पृ. 2170–73, (4–01–49)
49. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–28 पृ. 2174, (4–01–49)
50. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–34 पृ. 2288, (6–01–49)
51. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–35 पृ. 2365, (7–01–49)
52. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–35 पृ. 2365, (7–01–49)
53. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–36 पृ. 2390–91 व 2431–34, (8–01–49)
54. वही–पुस्तक 4,खण्ड–7(ख),अकं–7,संख्या–36 पृ. 2412 व 2444, (8–01–49)
55. वही–पुस्तक 5,खण्ड–8(क),अकं–8,संख्या–2 पृ. 64–68, (17–05–49)
56. वही–पुस्तक 5,खण्ड–8(क),अकं–8,संख्या–7 पृ. 395, (24–05–49)
57. वही–पुस्तक 5,खण्ड–8(क),अकं–8,संख्या–8 पृ. 427–428, (25–05–49)
58. वही–पुस्तक 5,खण्ड–8(क),अकं–8,संख्या–10 पृ. 585 व 603–05, (27–05–49)
59. वही–पुस्तक 6,खण्ड–8(ख),अकं–8,संख्या–13 पृ. 749 व 775–77, (1–06–49)
60. वही–पुस्तक 6,खण्ड–8(ख),अकं–8,संख्या–13 व 15 पृ. 889 व 914–16, (3–06–49)
61. वही–पुस्तक 6,खण्ड–8(ख),अकं–8,संख्या–18 पृ. 1074–76, (8–06–49)
62. वही–पुस्तक 6,खण्ड–8(ख),अकं–8,संख्या–20 पृ. 1237–43, (13–06–49)
63. वही–पुस्तक 6,खण्ड–8(ख),अकं–8,संख्या–21 पृ. 1276–79 व 1315, 1326–27, (14–06–49)
64. वही–पुस्तक 6,खण्ड–8(ख),अकं–8,संख्या–23 पृ. 1417–18 व 1428, (16–06–49)
65. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–2 पृ. 109–110, (1–08–49)
66. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–2 पृ. 116–124, (1–08–49)
67. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–3 पृ. 127–132, (2–08–49)
68. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–3 पृ. 137–139, (2–08–49)
69. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–3 पृ. 149, (2–08–49)
70. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–5 पृ. 250–254, (4–08–49)
71. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–7 पृ. 439–441, (8–08–49)
72. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–7 पृ. 450–451, (8–08–49)
73. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–10 पृ. 481–482 व 571–84, (10–08–49)
74. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–12 पृ. 662, (18–08–49)
75. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–14 पृ. 783–90, (20–08–49)
76. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–15 पृ. 842–44, (22–08–49)
77. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–17 पृ. 980–83, (24–08–49)
78. वही–पुस्तक 7,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–18 पृ. 1042–44, (25–08–49)
79. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–23 पृ. 1286–87, (1–09–49)
80. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–23 पृ. 1288–89, (1–09–49)
81. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–24 पृ. 1358 व 1401–02, (2–09–49)
82. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–24 पृ. 1361–62 व 1393–94, (2–09–49)

83. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–25 पृ. 1442, (3–09–49)
84. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–25 पृ. 1472–73, (3–09–49)
85. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–29 पृ. 1706–08, 1744–52 व 1773–79, (8–09–49)
86. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–30 पृ. 1821–26, (9–09–49)
87. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–31 पृ. 1915–21, (10–09–49)
88. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–32 पृ. 2059 व 2074, (12–09–49)
89. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–33 पृ. 2137, (13–09–49)
90. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–34 पृ. 2310, (14–09–49)
91. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–35 पृ. 2334 व 2343–64, (15–09–49)
92. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–36 पृ. 2423 व 2474–76, (16–09–49)
93. वही–पुस्तक 8,खण्ड–9(ख),अकं–9,संख्या–36 पृ. 2508–10, 2512–15, 2522–23, 2531–35, व 2550–51, (17–09–49)
94. वही–पुस्तक 8,खण्ड–10, अकं–9,संख्या–37 पृ. 2748–54, (10–10–49)
95. वही–पुस्तक 9,खण्ड–10,अकं–9,संख्या–4 पृ. 2860–61, (11–10–49)
96. वही–पुस्तक 9,खण्ड–10,अकं–9,संख्या–9 पृ. 3276–77, 3286 व 3323, (16–10–49)
97. वही–पुस्तक 9,खण्ड–10,अकं–9,संख्या–10 पृ. 3349–53, (17–10–49)
98. वही–पुस्तक 9,खण्ड–10,अकं–9,संख्या–10 पृ. 3409, (17–10–49)
99. वही–पुस्तक 10,खण्ड–10,अकं–11,संख्या–1 पृ. 3454, 3467–70, 3500–02, 3507–09 व 3530–36, (15–11–49)
100. वही–पुस्तक 10,खण्ड–10,अकं–11,संख्या–5 पृ. 3806–14, (18–11–49)
101. वही–पुस्तक 10,खण्ड–10,अकं–11,संख्या–10 पृ. 4064–66, (24–11–49)
102. वही–पुस्तक 10,खण्ड–10,अकं–11,संख्या–10 पृ. 4207–08, (24–11–49)

अध्याय – 5
संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों का निष्कर्ष

भाग – 1

स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस पर संविधान सभा में पहले अधिवेशनों में संविधान सभा का प्रारूप तैयार हुआ। संविधान सभा का सातवां अधिवेशन 4 नवम्बर, 1948, वीरवार के दिन शुरू हुआ। इस अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट संविधान सभा के समक्ष रखा गया।

चौधरी रणबीर सिंह ने संविधान सभा में पहली बार बोलते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि, ''मैं एक देहाती हूँ, किसान के घर पला हूँ और परवरिश पाया हूँ। कुदरती तौरपर उसका संस्कार मेरे ऊपर है और उसका मोह, उसकी सारी समस्याएं आज मेरे दिमाग में हैं।''[1]

उन्होंने संविधान के मसौदे से सम्बन्धित विवाद में अपने विचार प्रकट करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए[2] :

1. देश के निर्माण में गाँव को उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए।
2. देश की एक राष्ट्र भाषा होनी चाहिए।
3. गाँव और शहर का अंतर मिटना चाहिए।
4. देहात व शहरी निर्वाचन क्षेत्र अलग–अलग होने चाहिएं।
5. पिछड़े वर्ग की सीटों को सुरक्षित रख दिया जाना चाहिए।
6. पंजाब को विशेष रियायत दी जाए।

7. राज्यों को वित्तीय रूप से मजबूत किया जाए।
8. कमेरे वर्ग को संरक्षण मिलना चाहिए।
9. गौ–रक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
10. किसान आयकर मुक्त होना चाहिए।
11. वर्गविहिन समाज के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए।
12. अच्छे नस्ल के पशुओं का संरक्षण व संवृद्धन किया जाना चाहिए।
13. दुधारू व लाभदायक पशुओं के वध को रोका जाए।
14. सिंचाई की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
15. बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नदियों पर बांध बनाए जाएं।
16. खाद्यान्न व पशुचारे का उत्पादन बढ़ाया जाए।
17. शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिए।
18. धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होनी चाहिए।
19. देश के किसानों व मजदूरों को पिछड़ा माना जाना चाहिए।

चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा में भी ब्रिटिश वेशभूषा के बजाय शुद्ध भारतीय वेशभूषा, जो मुख्यतः भारत के देहात में पहनी जाती है, सफेद खादी का धोती–कुर्ता[3], नेहरू जाकेट और सिर पर सफेद पगड़ी पहनते थे और सबसे अलग भारत के देहात के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ते थे।

चौधरी रणबीर सिंह ने अपना भाषण मंजे हुए वक्ता की तरह दिया। हालांकि यह उनका वरिष्ठ नेताओं, प्रमुख विधि वेताओं आदि के समक्ष बोलने का पहला अवसर था, जो बहुत प्रभावशाली रहा। भाषण देते समय चौधरी रणबीर सिंह ने न केवल कोई हिचकिचाहट, न कोई नर्वसनेस, न आवाज में कंपन, न बॉडी लैंग्वेज में परेशानी थी, भाषण शुरू किया और दनादन बोलते चले गए[4]। जब भाषण खत्म हुआ तो अनेक लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी।

चौधरी रणबीर सिंह के अन्य प्रमुख भाषणों के प्रमुख बिन्दुओं का तिथिवार विवरण निम्नलिखित है :

17 नवम्बर, 1948[5]

1. धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना।
2. प्राईवेट बिल लाने का सुझााव।
3. जाति आधारित निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति।

18 नवम्बर, 1948[6]

1. हरयाणा निर्माण की वकालत।
2. धर्मनिरपेक्षता।
3. अल्पसंख्यकों का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा जाए।
4. राज्य की सीमाओं में बदलाव का फैसला जनता की इच्छानुसार हो।

23 नवम्बर, 1948[7]

1. अनाज का न्यूनतम सरकारी मूल्य निर्धारित होना चाहिए।
2. उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मिलाकर राष्ट्रीय सहकारी संगठन बनाया जाए।
3. कृषि बीमा लागू होना चाहिए।
4. किसान हितों की सुरक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।
5. हर प्रकार की सूदखोरी प्रतिबन्धित हो।

2 दिसम्बर, 1948[8]

1. भूमि हस्तांतरण कानून बनाने पर जोर।
2. जमींदारी प्रथा समाप्ति की वकालत।
3. किसान व मजदूरों की हितों की सुरक्षा पर जोर।
4. खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के हितों की सुरक्षा बारे।

5. कम से कम जमीन रखने का अधिकार।
6. हरिजनों को जमीन खरीदने बारे विचार।

1 अगस्त, 1949[9]

1. दिल्ली के पंजाब में विलय पर जोर।
2. पुरानी दिल्ली को राजधानी बनाने का सुझाव।
3. दिल्ली को यू.पी. में मिलाने का विरोध।
4. छोटी रियासतों का समर्थन

2 अगस्त, 1949[10]

1. हरयाणा निर्माण की वकालत।
2. दिल्ली व हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने का सुझाव।
3. दिल्ली के देहात को पंजाब में विलय का निर्णय संसद की बजाय संविधान सभा के विवेक पर छोड़ने पर जोर।

9 अगस्त, 1949[11]

1. किसानों और पिछड़ी जातियों पर टैक्सों का बोझ न डालने पर जोर।
2. अमीरों पर 'कर' लगाने की वकालत।
3. हरिजनों पर 'व्यापार कर' लगाने का विरोध।

22 अगस्त, 1949[12]

1. लोकसेवा आयोग की नौकरियों में देहातियों के आरक्षण पर जोर।
2. सैन्य सेवा के अधिकारी ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात अनुसार।

2 सितम्बर, 1949

1. पेस्ट को समवर्ती सूची में डलवाने की वकालत।[13]
2. कृषि पर भूमिकर का पैमाना आयकर के पैट्रन पर हो।[14]

3 सितम्बर, 1949[15]

1. देहाती क्षेत्रों में स्कूल व अस्पताल खुलवाने पर जोर।

24 नवम्बर, 1949[16]

संविधान निर्माण के उपरांत प्रतिज्ञा ग्रहण व रजिस्टर पर हस्ताक्षर

कुल मिलाकर चौधरी रणबीर सिंह ने संविधान सभा में देहात व देहात से जुड़े लोगों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, हरिजनों आदि के हितों की जोरदार पैरवी करने के साथ–साथ राष्ट्र के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर अचूक सुझाव भी दिए। उनकीं इन विशिष्टताओं को हरयाणा प्रदेश के प्रसिद्ध लोककवि पं. जगन्नाथ भारद्वाज ने अपनी एक रचना 'किस्सा युगपुरूष चौधरी रणबीर सिंह' में एक रागनी[17] के जरिए बखूबी प्रस्तुत किया है, जोकि इस प्रकार है :

टेकः इतणा भारी भेदभाव ना म्हारी समझ मैं आया।
संविधान सभा में रणबीर सिंह ने ऊचाँ बोल सुणाया।

(1) किसान और अनुसुचित जाति ये दोनों वर्ग कमावैं।
जितणे पूंजीपति देश मैं सारे मौज उड़ावैं।
बेमतलब के गरीबों पै नये नये टैक्स लावैं।
गरीब और किसान नै ये सारे खाणां चाहवैं।
आज देश मैं सब से ज्यादा जा सै गरीब सताया।।

(2) पूंजीपति के आय.कर में दो हजार तक छूट।
एक बिघा भूमि आले किसान नै रहे लूट।
मनै सही हकीकत बतलादी नहीं जरा भी झूठ।
इस विरोध की आवाज देश मै पहूँची चारों खूँट।
भरी सभा के स्यामीं आपणा सारा दर्द बताया।।

(3) गरीब की गेल्याँ कोन्या ठीक व्यवहार हो र्‌हा।
किसान बेचारा सब तरियाँ लाचार हो र्‌हा।
ये जो कुछ हो रहा मेरी समझ से बाहर हो र्‌हा।
ये सरासरी अन्याय और अत्याचार हो र्‌हा।
किसै तरहाँ भी गरीब आज तक संभल नहीं पाया।।

(4) कहणे लायक बात नै मैं जरुर कहूँगा।
इस अन्याय की पीड़ा नै मैं कैसै सहूँगा।
जगन्नाथ बात मैं सब के मन की लहूँगा।
गरीब के हक की लड़ाई लड़ता रहूँगा।
गरीब का तै प्यार मेरे ह्रदय बीच समाया।।

संदर्भ

1. संविधान सभा के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय पुस्तक सं. 3 खण्ड 3 (क), अंक 7, संख्या 3, 4 नवम्बर 1948 से 30 नवम्बर 1948, पृ॰ सं. 246–250
   –सिंह ज्ञान : *संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह*, प्रकाशक : चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (2011),पृ. 71
2. सिंह ज्ञान – वही, पृ. 70–74
   –संविधान के वाद विवाद –वही – पृ॰ सं. 246–250
3. सिंह सुलतान : चौ॰ रणबीर सिंह–जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व कुछ अनछुए पहलू, प्रकाशक : चौ॰ रणबीर सिंह शोध पीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, –2009, पृ॰ 49
4. वही – पृ॰ 50
5. संविधान सभा के वाद विवाद / लोकसभा सचिवालय पुस्तक सं. 3 खण्ड 3 (क), अंक 7, संख्या 7, 17 नवम्बर 1948, पृ॰ सं. 559
6. संविधान सभा के वाद विवाद – वही – 18 नवम्बर 1948, पृ॰ सं. 562–64
7. संविधान सभा के वाद विवाद – वही – संख्या 10, 23 नवम्बर 1948, पृ॰ सं. 722–24
8. – वही –पुस्तक सं. 4, खण्ड 7 (ख), अंक 7, संख्या 18, 2 दिसम्बर 1948, पृ॰ सं. 1175–76
9. – वही –पुस्तक सं. 7, खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 2, 1 अगस्त, 1949, पृ॰ सं. 109–10
10. – वही – खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 3, 2 अगस्त 1949, पृ॰ सं. 137–39
11. – वही – खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 7, 9 अगस्त 1949, पृ॰ सं. 450–51
12. – वही – खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 15, 31 अगस्त 1949, पृ॰ सं. 842–44
13. – वही –पुस्तक सं. 8, खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 24, 2 सितम्बर 1949, पृ॰ सं. 1358

14. – वही –पुस्तक सं. 8, खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 24, 2 सितम्बर 1949, पृ॰ सं. 1401–02
15. – वही –पुस्तक सं. 8, खण्ड 9 (ख), अंक 9, संख्या 25, 3 सितम्बर 1949, पृ॰ सं. 1442
16. – वही –पुस्तक सं. 10, खण्ड 10 (ख), अंक 11, संख्या 10, 3 सितम्बर 1949, 24 नवम्बर 1949, पृ॰ सं. 4064–66
17. *भारद्वाज जगन्नाथ पंडित : किस्सा युगपुरूष चौधरी रणबीर सिंह*, प्रकाशक : चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (2010), पृ॰ सं. 53–54

भाग – 2

संविधान सभा (विधायिका) में चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों के प्रमुख विषय

चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा के अतिरिक्त संविधान सभा (विधायिका) के भी सदस्य थे, जिसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना था। चौधरी रणबीर सिंह की संविधान सभा (विधायिका) में भी प्रभावशाली भूमिका थी। उन द्वारा इस सभा में जो मुद्दे उठाए गए, उनके मुख्य विषय इस प्रकार थे :–

1. सूती कपड़े पर टैक्स बिल, 1948 के बारे में[1]
2. भाखड़ा पर यमुना घाटी निगम की स्थापना पर बहस[2]
   (भाखड़ा बांध पूरा करने बारे)
3. आम बजट 1948 के बारे में[3]
4. आम बजट 1948 के बारे में[4]
5. रेल बजट 1949 के बारे में[5]
6. कृषि मंत्रालय की ''स्थायी कमेटी'' का चुनाव[6]
7. सहायता और पुर्नवास मंत्रालय की '' स्थायी कमेटी'' का चुनाव [7]
8. बिजली की सप्लाई, 1948 के बिल के बारे में [8]
9. भारतीय रेल विधेयक 1948 पर बहस [9]
10. रिजर्व बैंक की मालकियत जनता को सौंपने के बारे बिल, 1948 के बारे में [10]
11. जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण बारे[11]
12. विस्थापित लोगों को दुबारा बसाने के बारे में[12]
13. ''ज्यादा अनाज उपजाओ'' के अभियान की असफलता के बारे में [13]
14. हिन्दू विवाह मान्यता बिल के बारे में [14]
15. 1949 के आम बजट के बारे में [15]
16. भारतीय वित्त बिल, 1949 के बारे में [16]

17. ''नियन्त्रण'' समय की सीमा बढ़ाने के बारे में [17]
18. ''भारत के लिए चाय की कमेटी के 1949''
के बिल के बारे में [18]
19. ''बाल विवाह रोकने के लिए सन् 1949''
के बिल के बारे में [19]
20. 1949 के आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में[20]

उल्लेखनीय है कि चौधरी रणबीर सिंह का संबंध देहात से था और किसान के घर में उनका जन्म हुआ था। उनकीं कृषक पृष्ठभूमि होने के कारण उनको कृषि मंत्रालय की 'स्थायी कमेटी' का सदस्य चुना गया। इसके अतिरिक्त उन्हें 'सहायता एवं पुनर्वास' कमेटी का सदस्य भी मनोनीत किया गया। इस कमेटी का मुख्य कार्य पाकिस्तान से काफी तादाद में आने वाले शरणार्थियों की सहायता करना एवं उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना था।

सन्दर्भ

1. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 2, 16 फरवरी 1948 पृ॰ सं–293
2. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 18 फरवरी 1948 पृ॰ सं–909–10
3. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 24 फरवरी 1948 पृ॰ सं–1163–64
4. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 10 मार्च 1948 पृ॰ सं–1861–62
5. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 16 मार्च 1948 पृ॰ सं–2221–23
6. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 26 मार्च 1948 पृ॰ सं–1996
7. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 1, 26 मार्च 1948 पृ॰ सं–1996
8. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 6, प. 2, 10 अगस्त 1948 पृ॰ सं–338–39
9. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 6, प. 2, 17 अगस्त 1948 पृ॰ सं–397
10. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 2 सितम्बर 1948 पृ॰ सं–912–13
11. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 3 सितम्बर 1948 पृ॰ सं–962–63
12. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर 1948 पृ॰ सं–1062–63
13. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 1, 3 फरवरी 1949 पृ॰ सं–148–52
14. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 1, प. 1, 11 फरवरी 1949 पृ॰ सं–427
15. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 2, प. 2, 10 मार्च 1949 पृ॰ सं–1335–38
16. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 21 मार्च 1949 पृ॰ सं–1680–83
17. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 23 मार्च 1949 पृ॰ सं–1800–01
18. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 25 मार्च 1949 पृ॰ सं–1903–04
19. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 3, प. 2, 14 अप्रैल 1949 पृ॰ सं–2306–07
20. संविधान सभा (विधायी), बहस, पुस्तक सं. 6, प. 2, 2 दिसम्बर 1949 पृ॰ सं–217–19

भाग — 3

संविधान सभा (विधायिका) में चौधरी रणबीर सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विषय

चौधरी रणबीर सिंह ने संविधान सभा (विधायिका) में अन्तरिम सरकार के मंत्रियों से अनेक जनहितैषी प्रश्न पूछे, जिनका पूरा विवरण मंत्रालयवार निम्नलिखित है :

प्रधानमंत्री से पूछे गये प्रश्न

1. विदेश मंत्रालय में नियुक्तियाँ[1]
2. मज़दूरी कितनी निश्चित की जायें[2]

स्वास्थ्य मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. 'लावारिस शवों का इरविन अस्पताल, दिल्ली से निपटारा'[3]
2. जनाना तिबिया कॉलेज़ दिल्ली के परिसर में होटल[4]
3. तिबिया कॉलेज ट्रस्ट द्वारा सरकार को कॉलेज अधिग्रहण के लिए अनुरोध[5]
4. नजफगढ़ रोड, दिल्ली पर भूमि का अधिग्रहण[6]
5. स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव और उप सचिव[7]
6. स्वास्थ्य मंत्रालय में रिक्तियों[8]
7. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का प्रबंधन[9]
8. लेडी आर्डिंग्ज मैडीकल कॉलेज के श्रम पर्यवेक्षक[10]

कृषि मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. कुंओं के गिरते जल स्तर के लिए पूर्वी पंजाब को अनुदान[11]
2. कृषि उत्पादकों के उत्पादन का लागत मूल्य[12]
3. कृषक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति[13]
3. किसानों को अध्ययन हेतु अमेरिका तथा जापान भेजना[14]
5. कृषक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति[15]
6. बीजों का संग्रहण तथा उपलब्धता[16]
7. अनुसंधान के लिए फसलों पर संगठन[17]
8. भारतीय कृषि का विस्तार अनुसंधान संस्थान[18]
9. आईएआरआई कृषि विभाग में अधिकारियों की संख्या[19]
10. पशुओं की नस्ल सुधार[20]

गृहमंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. निमराणा के स्वामित्व का पूर्वी पंजाब में विलय[21]
2. फरीदकोट तथा नाभा प्रान्तों की जनता की समानान्तर सरकार[22]
3. पटियाला में राष्ट्रीय ध्वज का फाड़ा जाना तथा जलाया जाना[23]
4. भरतपुर राज्य के जाट किसानों द्वारा विरोध[24]
5. जींद राज्य का पूर्वी पंजाब में विलय[25]
6. भरतपुर के सीमावर्ती गांवों पर गुड़गांव की सीमाओं से धावा[26]
7. जींद में प्रजा की सरकार[27]
8. सचिवालय में राजपत्रित पद–वितरण[28]
9. दिल्ली प्रान्त में पुलिस की भर्ती[29]
10. पाकिस्तान द्वारा जोधपुर राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में आक्रमण/धावा[30]
11. पूर्वी पंजाब के साथ पंजाब का विलय[31]

खाद्यमंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. पाकिस्तान के साथ गुड़ का व्यापार[32]
2. गुड़ के गिरते भाव तथा कृषि व्यवस्था पर इसका प्रभाव[33]
3. देहली प्रान्त तथा अम्बाला उपखण्ड में गुड़ के न्यूनतम भाव का निर्धारण[34]
4. रोहतक तथा दिल्ली में चने के भाव में अन्तर[35]
5. खाद्यान्नों का केंद्रीय भण्डारण[36]

रेलमंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. 'रोहतक और दिल्ली के बीच शटल गाड़ी'[37]
2. गुड़ के लिए यातायात सुविधा[38]
3. रेलवे कर्मचारियों हेतु मिल निर्मित कपड़े की वर्दी के स्थान पर खादी के कपड़े से बनी वर्दी का योग[39]
4. पानीपत–रोहतक रेलवे लाइन का जीर्णोद्धार[40]
5. रेलवे बोर्ड के कार्यालय का स्थायी ताकत बल[41]
6. सातरोड़ से डाबड़ा तक कच्चा रोड पर समतल रेलवे क्रासिंग[42]
7. दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर स्थित कुंए से पीने के पानी हेतु हरिजनों पर प्रतिबन्ध[43]

रक्षामंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. असहयोग आंदोलन में प्रतिभागी रक्षा सेनानियों का पेंशन का अधिकार[44]
2. जबलपुर में भारतीय सिग्नल कोर के कर्मचारियों को दण्ड[45]

संचार मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. पूर्वी पंजाब मण्डल के डाक तार विभाग में क्लर्कों की भर्ती[46]
2. रोहतक जिले के गाँवों के लिए डाकघर[47]

सूचना व प्रसारण मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. आकाशवाणी दिल्ली से भद्दे एवं अश्लील गीतों के प्रसारण पर प्रतिबंध[48]
2. महाराजा फरीदकोट द्वारा प्रसारण केन्द्र स्थापित करना[49]

पुनर्वास मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. विस्थापितों को बसाने हेतु ग्रामीण (नगरीकरण) भूमि का पुनः अधिग्रहण[50]

शिक्षा मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. दिल्ली के पास नयी शिक्षण संस्थाओं हेतु भूमि – अधिग्रहण/अर्जन[51]

श्रम मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. मजदूरी अधिनियम, 1939 के अधीन किए गए भुगतानों की संख्या[52]
2. औद्योगिक नियोजन अधिनियम, 1946 के आवेदन[53]

उर्जा कार्य व खाद्यान्न मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. एम.सी.ए. बंगलों में गौशाला का निर्माण[54]
2. भाखडा बांध तथा नांगल परियोजना के लिए निगम[55]
3. भाखडा बाँध परियोजना के माध्यम से सिंचाई[56]

उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री से पूछे गए प्रश्न

1. प्रजा में वितरण हेतु पूर्वी पंजाब को सीमेन्ट आपूर्ति[57]
2. पूर्वी पंजाब के लिए कोयला–चूरा[58]

सन्दर्भ

1. सिंह ज्ञान : *संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह,* प्रकाशक : चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (2011) ,पृष्ठ. 200
2. वही – पृष्ठ. 218
3. वही – पृष्ठ. 175
4. वही – पृष्ठ. 202
5. वही – पृष्ठ. 203
6. वही – पृष्ठ. 236
7. वही – पृष्ठ. 248
8. वही – पृष्ठ. 249
9. वही – पृष्ठ. 255
10. वही – पृष्ठ. 256
11. वही – पृष्ठ. 193
12. वही – पृष्ठ. 212
13. वही – पृष्ठ. 215
14. वही – पृष्ठ. 216
15. वही – पृष्ठ. 217
16. वही – पृष्ठ. 227
17. वही – पृष्ठ. 230
18. वही – पृष्ठ. 231
18. वही – पृष्ठ. 233
20. वही – पृष्ठ. 234
21. वही – पृष्ठ. 183
22. वही – पृष्ठ. 186
23. वही – पृष्ठ. 188
24. वही – पृष्ठ. 189
25. वही – पृष्ठ. 195
26. वही – पृष्ठ. 196
27. वही – पृष्ठ. 197
28. वही – पृष्ठ. 208
29. वही – पृष्ठ. 209

30. वही – पृष्ठ. 222
31. वही – पृष्ठ. 229
32. वही – पृष्ठ. 184
33. वही – पृष्ठ. 190
34. वही – पृष्ठ. 206
35. वही – पृष्ठ. 224
36. वही – पृष्ठ. 240
37. वही – पृष्ठ. 176
38. वही – पृष्ठ. 177
39. वही – पृष्ठ. 181
40. वही – पृष्ठ. 219
41. वही – पृष्ठ. 238
42. वही – पृष्ठ. 257
43. वही – पृष्ठ. 261
44. वही – पृष्ठ. 192
45. वही – पृष्ठ. 204
46. वही – पृष्ठ. 179
47. वही – पृष्ठ. 225
48. वही – पृष्ठ. 182
49. वही – पृष्ठ. 211
50. वही – पृष्ठ. 199
51. वही – पृष्ठ. 221
52. वही – पृष्ठ. 250
53. वही – पृष्ठ. 252
54. वही – पृष्ठ. 259
55. वही – पृष्ठ. 265
56. वही – पृष्ठ. 266
57. वही – पृष्ठ. 262
58. वही – पृष्ठ. 264

अध्याय – 6
संविधान सभा के सदस्यों का जीवन
परिचय

चौ॰ रणबीर सिंह
(1914–2009)

चौ॰ रणबीर सिंह
(1914–2009)

प्रतिष्ठित परिवार में जन्मः – चौ॰ रणबीर सिंह के प्रदादा चौ॰ हरदन सिंह का स्थानीय किसानों में कृषि एवं सिंचाई की कला विकसित करने में विशेष स्थान था। सिंचाई के लिए पानी के सदुपयोग में चौ॰ हरदन सिंह ने रोहतक राजबाहा से व सोनीपत जिले के गांव मिर्जापुर खेड़ी व सांघी की सीमा पर से एक दहाना (माईनर) बनवाया जो कि सांघी के उत्तरी व पश्चिमी सीमा को सिंचित करता था। उसकी लगान वसूली भी चौ॰ हरदन करते थे। यह माईनर 'हरदन वाला दहाना के नाम से प्रसिद्ध थी।

योग्य दादा

चौ॰ रणबीर सिंह के दादा चौ॰ बखतावर सिंह हुड्डा खाप में बहुत प्रसिद्ध थे और हमेशा समाज सेवा में लीन व्यक्ति थे। आपके दादा चौ॰ बख्तावर सिंह बहुत ही योग्य एवं चतुर व्यक्ति थे। सरकार ने भी उन के गुणों तथा व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पहले गांव का नम्बरदार–1–12–1891, सात मास बाद ही आला नम्बरदार 16–6–1892 और फिर 6 नवम्बर 1894 को जैलदार बना दिया। जैलदार का पद उन दिनों बहुत अहम होता था। समाज में चौ॰ बख्तावर सिंह काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव–गोहांड के चन्द बड़े परिवारों में इनकी गिनती होने लगी। 1895 में इनका देहांत हो गया।

सम्मानित पिताः– आपके दादा चौ॰ बख्तावर सिंह के निधन के बाद आपके पिता चौ॰ मातूराम को 30 साल की आयु में ही सांघी जैल का जैलदार बना दिया गया। आप उस समय के सबसे युवा जैलदार बने

आपने अपनी जैल में अनेक सुधार कार्य करवाए। आपको स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण काले पानी (अण्डमान–निकोबार जेल) भेजने के आदेश हुए थे। वे इस इलाके के प्रथम पीढ़ी के आर्य समाजी थे। आर्य समाज के प्रचार–प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कई गांवो में आर्य समाज की शाखाएँ खुलवायी व शास्त्रार्थों में भाग लिया आपकी उस समय आर्य समाज के प्रमुख व्यक्तियों में गिनती होती थी हुड्डा खाप की पंचायत ने जब आपको जनेऊ उतारने को कहा तो आपने कहा, ''गर्दन कट सकती है जनेऊ नहीं उतरेगा''। चौ॰ मातूराम जी की इस इलाके के देहात को कांग्रेस से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही कारण था कि पंजाब में सबसे ज्यादा स्वतन्त्रता आन्दोलन में यहाँ की देहाती जनता ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। अक्तूबर 1888 में कांग्रेस की पहली मीटिंग रोहतक में हुई। उसमें चौ॰ मातूराम जी की सक्रिय हिस्सेदारी थी। पूरे देश में जाटों की सबसे पहली शिक्षण संस्था रोहतक में खोली गई। आप उसके प्रधान बनाए गए। इसलिए आपको 'देहात रत्न' कहा गया। इस शिक्षण संस्था के खुलने के बाद यहाँ की ग्रामीण जनता पढ़ी और आगे बढ़ी। चौ॰ मातूराम जी पंचायती आदमी थे। उनकी हर पंचायत स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सर्वजातिय सर्वखाप पंचायतों में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। चौ॰ मातूराम रोहतक जिला कांग्रेस के 1924 में प्रधान रहे व जिला बोर्ड के सदस्य भी रहे जिला बोर्ड के पास उस समय काफी शक्तियाँ थीं। आपने कूढ़ी–कमीनी व बेगार प्रथा को हटवाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

पिता जी के संस्कारों का चौ॰ रणबीर सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा। पिता जी के स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान को देखते हुए व उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए रणबीर सिंह में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। चौ॰ मातूराम के वृद्ध होने के कारण रणबीर सिंह ने पिता जी से स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने का अनुरोध किया और सरकारी

नौकरी से त्यागपत्र देकर 1941 में 26 वर्ष की युवावस्था में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े।

जन्मः— 26 नवम्बर,1914 को रोहतक जिले के ऐतिहासिक गांव सांघी में 'देहात रत्न चौ॰ मातूराम आर्य' के घर में श्रीमती मामकौर की कोख से रणबीर सिंह का जन्म हुआ। उनके पिताजी चौधरी मातू राम एक सीमित साधनों वाले परन्तु समाज में बड़ी हैसियत रखने वाले किसान थे।

शिक्षाः— ग्राम सांघी के गर्वनमैंट प्राईमरी स्कूल, गुरूकुल भैंसवाल कलाँ, और वैश्य हाई स्कूल रोहतक आदि और उच्च शिक्षा के लिए गर्वनमैंट कॉलिज, रोहतक और रामजस कालेज, दिल्ली से प्राप्त की। चौधरी साहब ने 1937 में अच्छे अंक प्राप्त कर बी. ए. की डिग्री हासिल की।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भागः— पिता जी के संस्कारों का आप पर गहरा प्रभाव था। आपने जब देखा कि पिता जी 75 वर्ष के वृद्ध हो चूके हैं। स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते तो 1941 में पिता जी से भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्यग्रह में भाग लेने का अनुरोध किया, जिसे महान पिता का चेहरा भी खिल गया और चेहरे पर रौनक आ गई। उन्होंने कहा, ''मुझे नाज है अपने पुत्र पर, बेटा निःस्वार्थ देश की सेवा करना और किसी कुर्बानी से पीछे मत हटना।'' लेकिन एक सलाह दी कि आप स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग जरूर ले रहे हो। लेकिन, ज्यादातार शिक्षित जाट तो चौ॰ छोटू राम के साथ है। वहाँ जाटों की कद्र है। लेकिन, कांग्रेस में जाटों को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जाती। कांग्रेस में पूंजीपतियों का वर्चस्व है और किसानों को ऊपर नहीं आने देगें। ऐसा न हो आप इधर के रहे ना उधर के रहे और बहुत सम्भल कर चलना होगा।' व्यक्तिगत सत्याग्रह में जब चौधरी रणबीर सिंह पहली बार िगरफ्तारी का पत्र जिला रोहतक के प्रधान

पं॰ श्रीराम शर्मा को देने गए तो पं. श्रीराम शर्मा ने कहा कि जाट तो सिर्फ चौधर करने आते हैं। इसलिए उनको गिरफ्तारी से क्या सम्बन्ध हैं? चौ॰ रणबीर सिंह ने अपने पिता की बात को मन में रखते हुए पं. श्रीराम शर्मा से कहा कि मैं चौ॰ मातू राम का बेटा हूँ और देशभक्ति का जज्बा मेरे मन में है। मैं यहां चौधर करने नहीं बल्कि नौकरी छोड़कर देश पर जीवन न्यौछावर करने आया हूँ। ऊपर से शील स्वभाव व नाजुक चेहरे जैसे दिखने वाले रणबीर सिंह दिल के बहुत मजबूत थे। वे अपने जीवन काल में 8 बार जेल गए व 2 वर्ष नजरबंद रहे।

चौ॰ रणबीर सिंह की जेल यात्रा का विवरण

क्रम	आन्दोलंन	गिरफ्तारी की तारीख	स्थल	जेल	रिहाई तारीख
1	व्यक्तिगत सत्याग्रह	5.4.1941	सांघी	रोहतक	25.5.41
2	युद्ध विरोधी नारे	23.7.1941	रोहतक	लाहौर (बोर्स्टल)	24.12.41
3	युद्ध विरोधी नारे	फरवरी 42	सरसोद	हिसार	मार्च 42
4	भारत छोड़ो	24.9.42	भापरौदा	रोहतक/मुल्तान स्यालकोट/ लाहौर (सेंट्रल)	24.7.44
5	झण्डा फहराने व नजरबन्दी का उल्लघन	10.4.44	रोहतक	रोहतक/ अम्बाला	14.2.45
6	नजरबन्दी का उल्लघन	9.3.45	सिलाना	,,	9.4.45
7	,,	18.6.45		,,	18.12.45

कुल जेल अवधि : 3 वर्ष 6 महीने 21 दिन

जेल यात्रा के दौरान प्रमुख सहयोगी

1. चौ॰ देवी लाल — पूर्व उप–प्रधान मंत्री

2.	डॉ॰ गोपी चन्द भार्गव	पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब
3.	कामरेड राम किशन	पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब
4.	सरदार दरबारा सिंह	पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब
5.	बाबू वृशाभान	पूर्व मुख्यमंत्री, पैप्सू
6.	दीवान चमन लाल	सदस्य संविधान सभा
7.	मा॰ नन्दलाल	सदस्य संविधान सभा
8.	सरदार भूपिन्द्र सिंह मान	सदस्य संविधान सभा
9.	मौलाना दाऊद गजनवी	सदस्य संविधान सभा
10.	लाला देशबन्धु गुप्ता	सदस्य संविधान सभा
11.	सरदार कुलबीर सिंह	शहीद भगत सिंह के भाई
12.	सरदार कुलतार सिंह	शहीद भगत सिंह के भाई
13.	श्री राजेन्द्र नाथ	महात्मा गांधी के आश्रम निवासी

व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होकर बोस्टल जेल लाहौर में आप पूर्वी पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचन्द भार्गव व पंजाब के पहले सिंख मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के साथ रहे। भारत छोड़ो आन्दोलन के तहत मुलतान जेल में चौ॰ देवी लाल, पूर्व उप–प्रधानमंत्री भारत सरकार व पूर्व मुख्यमंत्री हरयाणा, कामरेड रामकिशन, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्वी पंजाब, सरदारा दरबारा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब व बाबू वृषभान पूर्व मुख्यमंत्री पैप्सू व सरदार भूपेन्द्र सिंह मान, मास्टर नन्दलाल, दीवान चमन लाल व मौलाना दाऊद गजनवी सभी संविधान सभा सदस्यों के साथ जेल में रहे।

शहीद–ए–आजम भगतसिंह के परिवार से सम्बन्ध

शहीद–ए–आजम भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह व क्रांतिकारी चाचा अजीत सिंह दोनों से चौ॰ मातूराम के पारिवारिक सम्बन्ध थे। एक दूसरे के घर भी आना जाना था। ब्याह शादी में भी

आना जाना था, जोकि अब भी कायम है। एक बार भगत सिंह की माता श्रीमती विद्यावती बीमार हुई तो उसकी देखभाल चौ॰ रणबीर सिंह ने ही की। शहीद भगतसिंह के चाचा सरदार अजित सिंह महान आर्यसमाजी थे। ये सिक्ख धर्म की बजाए आर्यसमाज का प्रचार–प्रसार करते थे। चौ॰ मातूराम जी भी कटट्र आर्यसमाजी थे, इसी नाते इनके सम्बन्ध थे।

राष्ट्रभक्ति का वातावरणः– उनके परिवार में समाजसेवा और राष्ट्रीय राजनीति के वातावरण को श्रेय दिया जाना चाहिए जिसकी वजह से वे 1941 में स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। 5 अप्रैल को उन्हें अपने जेल–जीवन का प्रथम स्वाद चखा। जेल में उन्होंने कैसा अनुभव किया?'' इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब दिया कि ''उन्होंने इसका आनन्द लिया।'' अगले 6 वर्षों में यानि 1941–1947 तक जबकि स्वतन्त्रता संग्राम की गतिविधियों में काफी तेजी आ गई। उन्होंने खुली हवा में सिर्फ 6 महीने ही सांस लिया। उन्हें 8 भिन्न–भिन्न जेलों में साढ़े तीन वर्ष की कड़ी सजा भुगतनी पड़ी जिसमें से 4 पाकिस्तान में व 4 भारत में है। 2 वर्ष तक उन्हें अपने ही गांव में कैद (नजरबंद) रहना पड़ा।

महात्मा गांधी से प्रभावितः– चौधरी साहब के व्यक्तित्व पर गांधी जी का प्रभाव पड़ा। यह एक रूचिकर किस्सा है। अपने कई साथियों की अपेक्षा चौधरी साहब महान नेताओं के सम्पर्क में सीधे कभी नहीं आए और न ही वे कभी उनके विचारों और आदर्शो का अनुसरण करने के लिए उनके आश्रमों में गए। गांधी जी का जादू उन पर परोक्ष रूप में पड़ा। वे भागवत् गीता को रोजाना श्रद्धा–भाव से पढ़ते थे वैसे ही वे ''हिन्द स्वराज'' को रोजाना पढ़ा करते थे। चौ॰ साहब उनके भाषणों और दूसरे लेखों को ऐसे पढ़ते थे जैसे किसी धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन कर रहे हों। वे उनके कार्यो को बहुत गौर से जाँच–परख करते थे।

संविधान सभा में चयन :– 10 जुलाई, 1947 को बची सीटों के लिए स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद का निर्वाचन हुआ और पंजाब के विधान सभा ने 12 सदस्य संविधान सभा के लिए चुन कर भेजे। चौधरी रणबीर सिंह उन 12 चुने हुए सदस्यों में से एक थे।

चौधरी साहब ने संविधान सभा के अध्यक्ष को पंजाब के अपने अन्य साथियों के साथ अपनी जान पहचान के पत्र 14 जुलाई, 1947 को सौंपे और चौथे सैशन के दौरान उन्होंने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। उन दिनों संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती थी। पहला संविधान बनाना और दूसरा कानून बनाना (क्योंकि भारत के स्वतन्त्रता कानून 1947 के अर्न्तगत केन्द्रीय विधान सभा और प्रांतीय सभाओं का 14 अगस्त, 1947 को विलय कर दिया गया और दोनों सदनों के कार्य संविधान सभा द्वारा ही किए जाने लगे)।

संविधान सभा के युवा सदस्य:– आप संविधान सभा के युवा सदस्यों में से थे और 15 अगस्त को शपथ लेने वाले और संविधान सभा के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने वाले भी एक मात्र हिन्दू जाट सदस्य थे। उनके लिए इस माननीय सभा का सदस्य बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने इस आनन्ददायक क्षण का रूचिकर वृतांत लिखा है कि उसे ''उस क्षण'' कैसा अनुभव हुआ और उन्होंने इस महान कार्य को बिना किसी साधनों और बिना किसी प्रशिक्षण के कैसे किया? वे बताते हैं कि प्रारम्भ में उस समय की आदरणीय और सम्मानजनक सभा, ''भारतीय विधान परिषद'' में बैठे हुए वे काफी परेशान हुए। क्योंकि कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं उनके दिमाग में हुई जैसे ऊँची–नीची, छोटा–बड़ा। देश के चुने हुए कुछ ही गणमान्य लोग उस सभा में उपस्थित थे। सैंकड़ों बड़े पदवियों वाले लोग, जिनके बीच में मुझे बैठते हुए घबराहट हुई। मेरी घबराहट स्वभाविक थी। क्योंकि,

मैं अभी कुल 32–33 वर्ष का युवक था। केन्द्रीय या राज्य विधान सभा के सदस्य की तो बात ही कुछ और है मैं तो किसी ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बना था। कॉलिज और स्कूल की पढ़ाई–लिखाई के अलावा मेरे पास सिर्फ ''जेल के जीवन'' का ही अनुभव था। मेरे दिलो दिमाग पर हीनता की भावना छाई हुई थी। परन्तु जैसे–जैसे मैं सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने लगा ऐसे लगा कि मेरे आन्तरिक मन की आँखें खुल गई हों और कानों में एक आवाज मुझे प्रोत्साहित कर रही हो और प्ररेणा दे रही हो कि उठो और कुछ न कुछ कहो। यह मोहन दास कर्मचन्द गांधी की आवाज थी। मुझमें कुछ विश्वास जागा। मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए।' संविधान सभा के सदस्य के तौर पर दिल्ली में आप कोठी न॰ 21, फिरोजशाह रोड़ व बाद में 14 विंडसर प्लेस पर रहते थे।

संविधान सभा में किसानों की आवाज उठाईः– ''संविधान का पहला मसौदा जिसे आम जनता की राय जानने के लिए छापा गया था उसमें कहीं भी किसी ग्राम का या पंचायत का या किसानों का जिक्र नहीं किया गया था। लोगों को बहुत आघात पहुँचा और उन्होंने सदस्यों को इससे अवगत कराया। परन्तु इस सब का कोई लाभ नहीं हुआ। संशोधित मसौदे में भी वही सब मौजूद था। अर्थात्, उसमें भी न किसी ग्राम का और न ही किसी किसान का वर्णन था। ऐसी स्थिति में गांधी जी क्या कर सकते थे? मैंने अपने आप से प्रश्न किया, उत्तर था, मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसे ही किया।

उनका प्रथम भाषण जो उन्होंने संसद में 6 नवम्बर 1948 को दिया। वह बहुत सराहनीय और बढ़िया था। इसमें उन्होंने मुद्दों को संक्षेप परन्तु प्रभावशाली ढंग से उठाया।

'' मैं एक देहाती हूं, किसान के घर में पला हूं और परवरिश पाया हूं। कुदरती तौर पर उसका संस्कार मेरे ऊपर है और उसका मोह एवं उसकी सारी समस्यायें आज मेरे दिमाग में हैं''।

हरयाणा निर्माण की आवाज :– एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो चौधरी साहब ने उठाया था वह यह था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर देश के प्रांतों के नक्शे को दुबारा बनवाना। उन्हें अपने राज्य हरयाणा के बनवाने की विशेष रूचि थी, जिसे गलती से 1858 में ऐतिहासिक दुर्घटना की वजह से पंजाब के साथ जोड़ दिया गया था। उन्होंने इस विषय पर 18 नवम्बर, 1948 को एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि अम्बाला डिवीजन को पंजाब प्रांत से अलग कर दिया जाए और इसे हरयाणा प्रांत का नाम दिया जाए और जिसकी राजधानी पुरानी दिल्ली बना दी जाए। प्रस्तावित प्रांत को अधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 2 अगस्त, 1949 को यह प्रस्ताव भी रखा कि उत्तर प्रदेश जैसे लम्बे–चौड़े राज्य को, जिसका प्रबन्धन बहुत मुश्किल है, उसे दो भागों में बांट देना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। समाजिक और सांस्कृतिक आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरयाणा के साथ मिला देना चाहिए।

ग्रामीणों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध :– उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने और जो बच्चे ग्रामीण इलाकों मे ठीक से रहने योग्य स्थानों पर नहीं रह रहे है, उनके स्वस्थ्य सुधार के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी सरकार पर दबाव डाला। जब उनसे यह पूछा गया कि इन सबके के लिए सरकार के पास धन कहाँ से आएगा तो उनका जवाब था '' अगर हम गरीबों की भलाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे–अच्छे हस्पताल और दूसरे संस्थान खुलवाना चाहते हैं तो हमें अमीर आदमियों पर टैंक्स तो लगाना ही पड़ेगा।''

अगर हम संविधान सभा की वाद–विवादों पर एक सरसरी नजर भी डालें तो हमें अन्दाजा हो जाएगा कि चौधरी साहब का हमारे संविधान के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे ग्राम, किसान और हमारे समाज के कमजोर वर्ग उनके काफी ऋणी है

क्योंकि बिना उनकी शक्तिशाली और प्यार भरी वकालत के उस ऊँची सभा में उनके लिए स्थान पाना बहुत मुश्किल काम था। जो कुछ उन्हें मिला हैं यह सब चौधरी साहब की सख्त मेहनत और परिश्रम का फल है। वे लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे।

केन्द्र की राजनीति में योगदान :– आप 1950 से 1952 तक भारत की अस्थाई संसद के सदस्य रहे और अनेक जन हितैषी मुद्दे लोकसभा में उठाए। स्वतन्त्र भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव अप्रैल, 1952 में हुए तो आप हरयाणा की राजनैतिक राजधानी कहे जाने वाले रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े व विजयश्री हासिल की। 1952 में हरयाणा के कुल पांच सांसदों में से आप अकेले जाट सांसद थे व ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए भी अकेले सांसद थे। 1957 में लोकसभा के दुसरे चुनाव में आप पुनः विजयी हुए और 27 जनवरी, 1950 से 31 मार्च, 1962 तक 12 साल सांसद रहे और अनेक जनकल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने देहात की आवाज को संसद में पहुँचाया। आप 1972 में हरयाणा से चौ॰ देवी लाल को हराकर राज्य सभा के सांसद बने और 1976–77 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपनेता रहे। 1978–80 में आप कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी सी. डब्लयू.सी. के सदस्य रहे।

पंजाब की राजनीति में योगदान :– 1962 में आप रोहतक जिले के कलानौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने और पंजाब की प्रताप सिंह कैरों सरकार में 17 फरवरी, 1962 को सिंचाई व बिजली विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मन्त्री रहे। संविधान सभा व अन्तरिम संसद में भाखड़ा बांध को क्षेत्र की जीवन रेखा मानकर इसे जल्दी पूरा करने पर जोर देने का प्रश्न अब उनके कार्यक्षेत्र का अंग बन गया था। दिन–रात इसे पूरा कराने पर लगे और 30 अक्तूबर, 1963 को भारत के प्रधानमंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू के हाथों से भाखड़ा बांध को पंजाब की जनता को समर्पित करवाया। जिसके

कारण आज पंजाब, हरयाणा व राजस्थान में कृषि योग्य पानी की सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही जमना पर किशाऊ बांध योजना और बाद में नियन्त्रण के काम पर जुट गए। कैरों के देहांत के बाद कामरेड श्री रामकिशन की सरकार में 6 जून 1965 को लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने।

हरयाणा की राजनीति में योगदान :– 1 नवम्बर 1966 को पं. भगवत दयाल शर्मा हरयाणा के मुख्यमंत्री बने। आपको स्वास्थ्य व लोकनिर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया। आप 1967 का विधानसभा चुनाव किलोई हल्के से हार गए। लेकिन, 1968 में पुनः किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते।

आपात काल के समय आप 5 जुलाई 1977 से 1 जनवरी 1978 तक हरयाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे।

विशेषताएँ :– आप भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं, जिनको सात सभाओं का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम	संविधान सभा सभा	अवधि
1.	भारतीय संविधान सभा	14–7–47 से 26–1–50
2.	भारतीय विधान परिषद (विधायिका)	14–7–47 से 26–1–50
3.	अन्तरिम संसद	27–1–50 से 16–4–52
4.	लोकसभा	17–4–52 से 31–3–62
5.	राज्यसभा	10–4–72 से 9–4–78
6.	पंजाब विधानसभा	17–2–62 से 1–11–66
7.	हरयाणा विधानसभा	1–11–66 से 14–2–67 एवं 1968 से 1972

आप अनेक सामाजिक संगठनों, कृषि संगठनों, हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन व शिक्षण संस्थाओं से जुडे रहे। आपने अनेक संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया और विदेश यात्राएं भी की।

देहान्त :– आप का देहान्त 1 फरवरी 2009 को हुआ।

स्मारक :– आपका स्मारक रोहतक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग न॰ 10 पर गांव खेड़ी साध में स्थित है और आपके नाम से रोहतक में आई. एम.टी भी है। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में आपके नाम से एक शोध केन्द्र है।

संदर्भ

1. हुड्डा जगत सिंह : देहातरत्न चौधरी मातूराम आर्य जीवन वृत्त (1865–1942)
   प्रकाशक : अनिता हुड्डा, 655/5, न्यू प्रकाश नगर, तहसील टाऊन, पानीपत – 2009
2. सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण)
   प्रकाशक : होप इंडिया पब्लिकेशंस 85, सेक्टर–23, गुड़गांव (हरयाणा), 2005
3. सिंह सुलतान : चौ॰ रणबीर सिंह–जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व कुछ अनछुए पहलू, प्रकाशक : चौ॰ रणबीर सिंह शोध पीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, 2009
4. सिंह ज्ञान : संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह (2011)
   प्रकाशक : चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
5. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
   लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
6. साक्षात्कार : चौ॰ रणबीर सिंह हुड्डा, सदस्य संविधान सभा
7. दैनिक वीर प्रताप, जालन्धर, दिनांक 1–11–1966, 7–11–1966
8. The Tribne, Chandigarh 22 Jan 2000
9. जाट लहर – 2002, प्रकाशक : जाट सभा, जाट भवन, 2 बी, सैक्टर–27 ए, चण्डीगढ़
10. Who's who (1962-1967) Punjab Vidhan Sabha, Printed by. Controller, Printing & Stationary, Chandigarh (1964)
11. जाखड़ राम सिंह, स्वतंत्रता संग्राम में जिला रोहतक का योगदान, प्रकाशक जाखड़ निवास, 26/215, सुभाष नगर, रोहतक।

पंड़ित ठाकुरदास भार्गव

(1886–1962)

पंड़ित ठाकुरदास भार्गव
(1886–1962)

जन्म : डॉ. गोपीचन्द भार्गव के ज्येष्ठ भ्राता पंडित ठाकुरदास भार्गव का जन्म रेवाड़ी में उच्च मध्यम ब्राह्मण परिवार में 15 नवम्बर 1886 को मुंशी बद्रीप्रसाद के घर में हुआ। आपके पूर्वज मूलरूप से जिला कैथल के शिमला गांव के निवासी थे। आपके जन्म के कुछ समय पश्चात् आपका परिवार हिसार में बस गया।

शिक्षा :– आपने मैट्रिक राजकीय उच्च विद्यालय हिसार से पास की। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाहौर गए। डी.ए.वी. कालेज लाहौर से इण्टरमीडिएट, फोरमेन क्रिश्चियन कालेज से बी.ए. एवं एम.ए. (संस्कृत) और यूनिवर्सिटी लॉ कालेज से एल.एल. बी. की परीक्षाएँ पास की। आप एल.एल.बी. की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे और एम.ए.एल. एल.बी. की परिक्षाएँ साथ–साथ पास की लाहौर से कलकता गए और प्रसीडैन्सी कालेज कलकता से इतिहास में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की।

विवाह :– ठाकुरदास जी के तीन विवाह हुए, पहली दो पत्नियों का तो जवानी की दहलीज पर पांव रखने से पहले ही देहान्त हो गया। आपका तीसरा विवाह सन् 1907 में यू. पी. के सिविल अधिकारी की सुपुत्री रूपरानी के साथ सम्पन्न हुआ। इस युगल जोड़ी के घर में 5 पुत्र और 3 लड़कियों ने जन्म लिया।

वकालत (व्यवसाय) :– ठाकुरदास ने 1909 में हिसार में एक वकील के रूप में जीवन शुरू किया। जब 1911 में दिल्ली को भारत की

राजधानी बना दिया गया तो वे दिल्ली चले गए, लेकिन वकालत की दृष्टि से दिल्ली में भी एक ही डिस्ट्रिक्टि एवं सैशन कोर्ट था। अतः वापिस हिसार चले गए और अपने को अपराधिक मामलों के वकील के रूप में स्थापित कर लिया। आपके 1940–41, 1941–42 एवं 1952–53 में 3 बार हिसार बार का प्रधान चुना गया।

राजनीतिक जीवन :– सन् 1923 के चुनाव में आप अम्बाला डिवीजन से केन्द्रीय असैम्बली का चुनाव लाला दुनीचन्द अम्बालवी से हारे। सन् 1926 में ठाकुरदास को वर्तमान हरयाणा के गैर–मुस्लिम अम्बाला क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर केन्द्रीय असैम्बली (सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव कॉऊसिल) का सदस्य चुना गया और 1928 में उन्हें ऐंज ऑफ कानसेंट कमेटी का सदस्य बना दिया गया। इस कमेटी ने आने वाले शारदा एक्ट की रूप रेखा तैयार की। ठाकुरदास ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 8 अप्रैल, 1929 को दो क्रांन्तिकारियों भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असैम्बली हाल में बम गिराये तो ठाकुरदास भी वहाँ उपस्थित थे। सन् 1934 में ठाकुरदास ने कांग्रेस नैशनलिस्ट पार्टी की टिकट पर रोहतक के लाला श्यामलाल एडवोकेट के विरूद्ध चुनाव लडा। लेकिन, जीत नहीं पाये। इस पार्टी की स्थापना पं. मदनलाल मालवीय जी ने की थी। 1952 में गुड़गांव से व 1957 में हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुने गए। ठाकुरदास जी एक निर्भीक सांसद थे। सरकार जब भी गलत रास्ते पर जाती तो वे अपनी ही सरकार की निन्दा करने में हिचकिचाते नहीं थे। यही कारण था कि 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ–इन–लाइ से इनका परिचय करवाते हुए भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अपने पद की बदौलत विरोधी दल के नेता हैं। सांसद रहते हुए इनको पंजाब सरकार का रिहैब्लिटेशन एडवाईजर, जेल इन्क्वायरी कमेटी का चेयरमैन, प्रथम व द्वितीय लोकसभा के सभापति के सर्वश्रेष्ठ पैनल में

ससंद की सबसे महत्वपूर्ण समितियों, लोक लेखा समिति व अनुमान समिति के सदस्य रहे व रक्षा समिति के भी सदस्य रहे। आपको कांग्रेस संसदीय पार्टी सचिव भी मनोनीत किया गया। पं॰ जी कभी जेल तो नहीं गए, लेकिन राजनैतिक रूप से काफी सक्रिय थे।

संविधान सभा में योगदान :– सन् 1946 में कांग्रेस की टिकट पर सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए लड़े व चुने गए। आप 1946 में संविधान सभा सदस्य चुने गए। 15 जुलाई 1947 को संविधान सभा के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर सदस्यता ग्रहण की। पहली बार 28 जुलाई, फिर 30 जुलाई व 4 नवम्बर को संविधान सभा के बाद विवादों में भाग लिया।

26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपना संविधान लागू किया तो उसकी अस्थाई संसद के सदस्य बन गए। आपके व डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अथक प्रयासों से ही गो–रक्षा कानून को भारतीय संविधान में डाला गया है।

शिक्षा प्रसारक :– हिसार जिले में शिक्षा के प्रचार–प्रसार में ठाकुरदास जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1923 ''विद्या प्रचारिणी सभा'' का गठन प. नेकीराम शर्मा व लाला हरदेव सहाय के साथ मिलकर किया व इसके प्रधान बने और इस सभा के अन्तर्गत 65 प्राईमरी स्कूल हिसार जिले में स्थापित किए, जहाँ भारतीय संस्कृति की शिक्षा हिन्दी माध्यम द्वारा दी जाती थी। सन् 1954 में हिसार में 'फतेह चन्द कालेज फॉर वोमैन'' की नींव रखी और पचीस हजार रूपये का दान स्वयं दिया व लोगों से काफी धन इकट्ठा किया। सन् 1957 में हिसार पब्लिक हाई स्कूल की स्थापना की।

समाज सुधारक :– हिसार में ''चूड़ामणि विष्णुदेवी मैटरनिटी अस्पताल'' को बनवाने में काफी परिश्रम किया। सन् 1938–40 में, बागड़ में अथार्त

पुराने हिसार जिले में अकाल पड़ा तो एक रिलीफ कमेटी बनायी गई जिसके आप उपाध्यक्ष थे। कमेटी ने अकाल पीड़ितो की भरपूर मदद की। अकाल पीड़ित लोगों व पशुओं की सेवा के लिए 10 भलाई केन्द्र खोले। हिसार में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने 3–2–1928 को हरिजनों की दयनीय हालात में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय विधानसभा में भाषण भी दिया।

हिसार में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। एजूकेशनल रिलीफ ट्रस्ट की भी स्थापना की जो कि जिले के गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता किया करता था। आपने संसद में भी प्राइमरी तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान :– 30–11–1938 के ट्रिब्यून ने लिखा है कि ''कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस ने 28 नवम्बर 1938 को हिसार का दौरा किया। 3 घण्टा लेट होने के बावजूद वे ठाकुरदास भार्गव के घर नाश्ते के लिए गए और तब वे एक पब्लिक मीटिंग को सम्बोधित करने के लिए गए। जहाँ उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल स्वराज ही भारत को बचा सकता है। ठाकुरदास जी कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के केस बगैर फीस लिए लड़ते थे। जब आईएनपी के समर्थकों को युद्ध कैदी घोषित किया गया तो आप उनकी सहायता के लिए आगे आए और प॰ नेहरू के साथ मिलकर आईएनपी फंड इक्ट्ठा किया। प. नेहरू, नेता जी, प. मालवीय व भुल्लाभाई देसाई से आपका सम्बन्ध था। लेकिन आप कभी जेल नहीं गए।

देहान्त :– अक्तूबर 1962 में आप स्वर्गवास सिधार गए।

सन्दर्भ

1. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
   लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
2. सिंह ज्ञान : संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह
   प्रकाशक : चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, (2011)
3. हुड्डा जगत सिंह : देहातरत्न चौधरी मातूराम आर्य जीवन वृत्त (1865–1942)
   प्रकाशक : अनिता हुड्डा, 655/5, न्यू प्रकाश नगर, तहसील टाऊन, पानीपत – 2009
4. Juneja M.M. : Places and Personalities of Hisar by Modern Book Co.,1273-Urban Estate, Hisar (Haryana)
5. मलिक शिवानन्द एवं बूरा : राजनीति के भूषण
   प्रकाशक : शिव लक्ष्मी विद्या धाम, 498/2, कृष्णा नगर, हिसार (हरयाणा), (2004)
6. Dr. Gopi Chand Dhargav Abhinandan Granth
   Published by Jagat Sarup Advocate, Gen. Secretary Dr. Gopi Chand Bhargav Memorial Trust (Regd.), Kaimari Road, Hisar (Haryana), (2005)
7. The Tribne, Chandigarh 22 Jan 2000

मास्टर नन्दलाल
(1887–1959)

मास्टर नन्दलाल
(1887–1959)

जन्म : नन्दलाल का जन्म सन् 1887 में गांव मघियाना (जिला झंग, पंजाब) अब पाकिस्तान में श्री कालाराम मागो के घर में व श्रीमती रमाबाई की कोख से हुआ। वे अपने माता–पिता के इकलौते पुत्र थे।

शिक्षा : के.सी. जी. हिन्दु हाई स्कूल (झंग) से 1904 में मैट्रिक पास की व डिप्टी कमीशनर लायलपुर के कार्यालय में लिपिक की नौकरी मिली। यहाँ आपके चाचा सदर कानूनगो लगे हुए थे। यहाँ का रिश्वतखोर व चापलूसी का माहौल आपको पसन्द नहीं आया और कुछ महीने बाद त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात, शाहपुर से अर्जीनवीस की परीक्षा पास की और कस्बा भलवाल में काम शुरू किया।

मास्टर जी का खिताब : बालक नन्दलाल ड्रामों व नौंटकियों में काम करते थे व निर्देशन भी करते थे इसलिए आपको सब 'मास्टर जी' कहते थे और आप मास्टर नन्दलाल के नाम से प्रसिद्ध हुए।

विवाह : आपका विवाह श्रीमति रामप्यारी के साथ हुआ जो 9 अप्रैल 1942 को स्वर्ग सिधार गई। मास्टर नन्दलाल के पांच सुपुत्र बालकिशन, स्वराजदत्त, राजेन्द्रपाल, कैलाश चन्द और शांतिलाल हुए।

स्वतन्त्रता आंदोलन में योगदान : शहीद–ए–आजम भगतसिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने1905 में 'पगडी सम्भाल ओ जट्टा' के नाम से जिस किसान आन्दोलन की शुरूआत की थी, उनको 1907 में

देश निकाला दे दिया गया और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक नेता विभिन्न हिस्से में कार्य कर रहे थे। इनमें 'झंग स्याल' अखबार के सम्पादक लाला बांकेलाल भी थे। इन्होंने 1909 में 'पगड़ी सम्भाल ओ जट्टा' के नारे से नौजवानों में जोश भर दिया। मास्टर जी ने बांकेलाल के सम्पर्क में आने के बाद 'सियासी ड्रामों' में भाग लेना शुरू कर दिया।

मार्च 1919 में हरद्वार गए हुए थे वहाँ पर एक महिला नेत्री कानबाली का पब्लिक जलसा था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में रोल्ट एक्ट के खिलाफ जोरदार भाषण अंग्रेजी में दिया। इस भाषण का मास्टर जी के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और फिर दिल्ली पहुँचने पर 10 अप्रैल, 1919 को पता चला कि गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका संदेश गांधी जी के निजि सचिव भोलाभाई देसाई ने यमुना नदी के तट पर पढ़कर सुनाया जो कि स्वामी श्रद्धानन्द को सम्बोधित था। मास्टर जी के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जडांवाला पहुँच कर अपने सब विदेशी वस्त्र बाजार के चौराहे पर अग्नि के हवाले किए और खादी पहनने का निर्णय किया।

20 अप्रैल, 1919 को उनकी पहली गिरफ्तारी जडांवाला में भड़काऊ भाषण देने के कारण हुई व डेढ़ साल की सजा हुई लेकिन 1 जनवरी, 1920 को ही रिहा कर दिया गया।

मास्टर जी ने 2 फरवरी, 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूना अधिवेशन में भाग लिया। वापिस आने पर जंडावाला कस्बे में कांग्रेस की स्थापना की। 18 वर्ष तक इसके जनरल सैक्रेट्ररी रहे। साथ–साथ 1921 में ही आपको लायलपुर जिला कांगेस कमेटी का संयुक्त सचिव बनाया गया। उसके बाद आप 5 साल तक जनरल सैक्रेट्रेरी व 3 वर्ष तक लायलपुर जिला कांग्रेस के प्रधान रहे। 1925 से 1957 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने रहे। आप जडांवाला नगरपालिका के सदस्य भी चुने गए। 3 फरवरी, 1928 को

साइमन कमीशन के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया आपके प्रयासों से यह जडांवाला में काफी सफल रही। अप्रैल, 1928 में श्री केदारनाथ सहगल द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा की एक शाखा जडांवाला में मास्टर नन्दलाल की अगुवाई में बनाई गयी। 25–09–1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पं. नेहरू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसमें आपने मझले पुत्र राजेन्द्रपाल को गोद में लेकर भाग लिया। मार्च, 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया। यह आन्दोलन 8 अप्रैल से 14 अप्रैल, 1930 के मध्य चलना था। लेकिन, जंडावाला में इसकी शुरूआत 8 मार्च 1930 को ही चक नं. 21 में मास्टर जी के नेतृत्व में मोर्चा लगाकर कर दी गई। नमक कानून तोड़ने के खिलाफ 150 कार्यकर्त्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियाँ दीं। आपके 12 वर्षीय पुत्र शांतिलाल भी गिरफ्तारी देने गए थे। लेकिन, बच्चा होने के कारण उनको छोड़ दिया गया। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में दो वर्ष की कैद हुई। आपके सुपुत्र स्वराजदत्त को भी सत्याग्रह का नारा लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया व डेढ़ वर्ष की सजा हुई।

8 अगस्त 1942 को मुम्बई में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें भारत छोड़ो आन्दोलन छेड़ा गया। मास्टर जी 13 अगस्त 1942 को जंडावाला से गिरफ्तार कर लिए गए और डिफ्रेंस आफ इंण्डिया एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया और आपके सुपुत्र स्वराज दत्त को भी आन्दोलन के नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 2 वर्ष की उनको सजा हुई। इस दौरान मास्टर जी चौ॰ रणबीर सिंह व केदारनाथ सहगल, फरीदाबाद के पहले विधायक के साथ मुल्तान जेल के बैरक नं. 14 में एक साथ रहे। 1945 में रिहा हुए। 1919 से 1945 तक 11 वर्ष जेल में रहे।

झंग से लायलपुर में बसे : सन् 1911 में जिला झंग के गांव भलवाल से जंडावाला में आबाद हुए जोकि एक नई आबादी पंजाब में बन रही

थी। लायलपुर जिले की तहसील मुख्यालय था जंडावाला यहीं पर मास्टर जी ने अर्जीनवीस का कार्य शुरू कर दिया।

भारत आगमन : 8 सितम्बर को जडांवाला कस्बे पर पाकिस्तान पुलिस व बलौच फौज की निगरानी में धावा बोला लगभग 20 हजार आदमी शहीद हुए। भारत सरकार ने भी फौज की टुकड़ी वहाँ भेजी। उसके बाद 17 सितम्बर 1947 को अपना परिवार तो भारत भेज दिया। लेकिन, स्वयं जडांवाला के आखिरी काफिले के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र बालकिशन के साथ 21 नवम्बर 1947 को पानीपत आकर आबाद हुए। यहाँ विस्थापितों को बसाने के लिए एक 'बसाऊ कमेटी' का गठन किया जिसका प्रधान मास्टर जी को बनाया गया।

संविधान सभा में चयन : उन्हीं दिनों में हिन्दू शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए आईनसाज असैम्बली में दो स्थान निश्चित किए गए। इसमें लाला अंचितराम व डा॰ सत्यपाल गुट के मास्टर नन्दलाल जी विजयी हुए। यह परिणाम 5 मार्च, 1948 को शिमला में घोषित किया गया। इस प्रकार मास्टर जी लगभग 2 वर्ष तक संविधान सभा के सदस्य रहे। मास्टर जी ने पहली बार संविधान सभा के सांतवे अधिवेशन में भाग लिया और ग्यारह में से कुल 5 अधिवेशनों में ही भाग ले पाए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ उसमें मास्टर जी के हस्ताक्षर है।

चुनावी राजनिति में योगदान : मास्टर जी 26 जनवरी, 1950 से अप्रैल 1952 की प्रथम लोकसभा के गठन से पूर्व अस्थाई संसद (प्रोविजनल प्रार्लियामेंट) के सदस्य रहे। 1952 में आपको लोकसभा टिकट तो नहीं दी, लेकिन विधानसभा की टिकट भी पानीपत की बजाए करनाल से दी गई। सन् 1952 में करनाल विधानसभा क्षेत्र से पंजाब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा व जनसंघ के डॉ॰ गोकलचन्द नांरग जैसे बड़े नेता को 3000 वोट से हराया। 1957

में टिकट नहीं मांगा। लेकिन, पानीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को 10000 वोटों से जितवाया।

जेल यात्रा : लायलपुर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, डेरा गाजीखां, स्यालकोट जेल में रहे। जिसमें फिरोजपुर को छोड़ कर सभी जेले पाकिस्तान में हैं।

देहान्त : 19 अप्रैल 1959 को 72 वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हुआ।

सन्दर्भ

1. The Tribne, Chandigarh 22 Jan 2000
2. 'अभी–अभी' दैनिक हिन्दी समाचार, रोहतक दिनांक 20 मई, 2009।
3. सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण)
   प्रकाशक : होप इंडिया पब्लिकेशंस 85, सेक्टर–23, गुड़गांव (हरयाणा), 2005
4. जनसत्ता, चण्डीगढ़, 7 मई, 1990, पृ. 5।
5. प्रस्ताव नं. 4, दिनांक 20.08.1992, नगरपालिका पानीपत।
6. साक्षात्कार : श्री राजेन्द्र पाल, सेवानिवृत एच.सी.एस. (न्यायिक) एवं विशेष मैजिस्ट्रेट, अम्बाला शहर (सुपुत्र मा. नन्दलाल) श्रीमति नीलम प्रदीप कासनी आई ए एस (सुपौत्री) श्री हीरानन्द शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार), हिन्द केसरी, जालन्धर, अम्बाला शहर श्री ओमप्रकाश मलिक, वरिष्ठ एडवोकेट, गांधीवादी नेता, ट्रिब्यून कालोनी, अम्बाला छावनी श्री रवि मगो सुपौत्र, पानीपत

लाला देशबन्धु गुप्ता

(1901–1951)

लाला देशबन्धु गुप्ता

(1901–1951)

जन्म : लाला रतिराम देशबन्धु का जन्म 14 जून 1901 को हरयाणा प्रान्त के ऐतिहासिक शहर पानीपत के बड़ी पहाड़ में लाला शादीराम गर्ग के घर में श्रीमती राजरानी जी की कोख से हुआ। लाला शादीराम जी पानीपत में अर्जीनवीस होने के साथ लेखक भी थे व आर्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित थे। कई वर्ष तक लाला शादीराम पानीपत आर्य समाज के प्रधान रहे। आपने उर्दू भाषा में ''आर्य मुसाफिर'' ''तेज'' ''इन्द्र'' आदि पत्र–पत्रिकाओं में लेख दिए।

शिक्षा : रतिराम देशबन्धु ने माध्यमिक तक की शिक्षा स्थानीय मदरसे से उर्दू–फारसी में प्राप्त की मैट्रिक आर्य हाई स्कूल अम्बाला शहर से 1916 में प्रथम श्रेणी से पास की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के विख्यात कालेज सैंट स्टीफन कालेज दिल्ली गए जिसके प्राचार्य महात्मा गांधी के परम मित्र श्री एस. के. रूद्र थे।

पारिवारिक पृष्ठभूमि : आपकी शादी पानीपत के श्री कन्हैया लाल की सुपुत्री श्रीमती सोनादेवी के साथ हुई। आप के परिवार में तीन बहनें व 3 भाई थे। आप तीनों भाईयों में मंझले थे। आपके चार पुत्र व 5 पुत्रियाँ हुई, जो इस प्रकार से है विश्वबन्धु, प्रेमबन्धु, रमेश बन्धु गुप्ता व सतीश बन्धु। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री विश्वबन्धु गुप्ता 1984 में दिल्ली राज्य से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद चुने गए व आल इंडिया न्यूज पेपर एडीटर्स कांफ्रेस के प्रधान व दैनिक 'तेज' के सम्पादक रहे व कई मीडिया सम्बन्धी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध है। आपकी पुत्रियों में विमला, निर्मला, उर्मिला व मंजू आदि है।

आर्य समाज का प्रभाव : लाला शादीराम गर्ग आर्य समाज पानीपत के प्रधान रहे। लाला रतिराम देशबन्धु का युवावस्था में ही लाला लाजपतराय स्वामी श्रद्धानन्द डॉ. रामजी लाल हुड्डा व चौ॰ मातूराम आर्य आदि महापुरूषों से सम्पर्क हुआ। लेकिन आप स्वामी श्रद्धानन्द (गुरूकुल सेक्सन) से ज्यादा प्रभावित थे। आप दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित आर्यसमाज के सक्रिय सभासद रहे और वहाँ रविवारीय सत्संग प्रवचन में नियमित रूप से उपस्थित रहते थे। स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में चले 'शुद्धि आन्दोलन' में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। पानीपत में आर्य समाज के उत्सवों में बढ़–चढ़कर भाग लेते थे। स्वामी श्रद्धानन्द के साथ रहकर अनेक व्यक्तियों की शुद्धि करके वेदामृत का पान कराया। आप 'तेज' समाचार के माध्यम से वैदिक प्रचार, शुद्धि आन्दोलन का प्रचार किया। पानीपत के महान समाजसेवी व कट्टर आर्य समाजी, श्री लाला खेम चन्द व आपसे साडू रामानन्द सिंगला भी कि आपके साथ मिलकर आर्य समाज को आगे ले जाने का आहव्ान करते थे।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान : सन् 1920 ई॰ में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आन्दोलन का बिगुल बजाया गया तो आप स्वयं गांधी जी के मित्र एवं आपके कालेज के प्राचार्य श्री एस. के. रूद्र के कार्यालय में गए व कालेज से त्यागपत्र का आवेदन दिया जो कि सहर्ष स्वीकार कर लिया गया।

लाला लाजपतराय जी से प्ररेणा पाकर दिल्ली में, ''तिलक स्कूल ऑफ पालिटिक्स'' में प्रवेश ले लिया। यह स्कूल तिलक जी की स्मृति में लाला लाजपतराय ने स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए चरित्रवान एवं अनुशासित कार्यकर्त्ताओं का दल तैयार करना।

लाला लाजपत राय ने आपकी प्रतिभा की पहचान कर उनके अपने पत्र 'वन्दे मातरम्' का लेखन व सम्पादन कार्य सौंप दिया।

कुछ समय बाद इग्लैण्ड के 'प्रिसं आफ वेल्स' मुम्बई पधारे। इस यात्रा के बहिष्कार के लिए शहरों में हड़ताल का आहवान किया गया। परन्तु पारसियों व एंग्लों इंडियन लोगों ने दुकानें खुली रखीं। पूरे तीन दिन गोलियां चलती रही। 53 व्यक्ति मारे गये। सरकार ने अवसर का लाभ उठाकर इस आन्दोलन को कुचलने की रणनीति बनायी। 24 नवम्बर को सर्वप्रथम लाला लाजपतराय जी की गिरफ्तारी हुई। 40000 लोगों ने जेलें भरीं। स्वामी श्रद्धानन्द ने आर्य समाज और हिन्दू महासभा को सक्रिय किया। गोरक्षिणी सभा के प्रधान के तौरपर उन्होंने प्रिंस के बहिष्कार की अपील निकाली। प्रिंस का स्वागत हड़तालों और काले झण्ड़ों से करें। स्वामी श्रद्धानन्द ने श्री रतिराम देशबन्धु गुप्ता, प्रो॰ इन्द्र, लाला शंकरलाल व अब्दुल रहमान जैसे कार्यकर्त्ता मैदान में उतार दिए और इन्हें बहिष्कार को सफल बनाने के लिए अलग अलग कार्य सौंप दिए। श्री रतिराम देशबन्धु गुप्ता जी ने दलितों में व्याप्त राजभक्ति निरस्त करने का बीड़ा उठाया और जाटवों की चौपालों में गए। वे उन दलितों के कार्यक्रम में गए, जहाँ कोई गैर दलित नहीं जा सकता था। उनको समझाया, महात्मा गांधी के भाषणों की जानकारी दी। आपने स्वयं भी भाषण दिये। इन कार्यक्रमों में देशबन्धु जी को अथाह लोकप्रियता मिली। आल्हादित स्वामी श्रद्धानन्द जी ने उन्हें 'देशबन्धु' की संज्ञा से अंलकृत किया। अभी तक तो वे रतिराम थे। इसके बाद देशबन्धु के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें प्रचार मंत्री नियुक्त किया।

जेल यात्रा : आपको 5 जनवरी, 1922 को एक साल की सजा सुनाई। वे पंजाब की कुख्यात मियांवाली जेल में रहे। 24 अक्तूबर को स्वामी श्रद्धानन्द को भी इस जेल में पहुँचा दिया गया। डांडी के नमक कानून के तहत आपने 9 अप्रैल को दिल्ली के सलिमपुर में नमक मोर्चा संभाला और सभास्थल से ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने

की सजा हुई। आपकी पत्नी श्रीमती सोना देवी भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में राष्ट्र सेविकाओं के जत्थे का नेतृत्व करने के कारण जेल गयीं। 24 अप्रैल, 1932 को आपके नेत्त्व में 38 सत्याग्रहियों का जत्था अनारगली से चांदनी चौंक पहुँचा तो पुलिस ने भीड़ को विसर्जित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाला जी को गिरफ्तार कर लिया व 1 वर्ष की सजा सुनाई गयी और पुनः जेल में बन्द कर दिया गया। इस बार मुल्तान जेल मिली। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी व गुजरात (अब पाकिस्तान) जेल में रहे।

भारत छोड़ो आन्दोलन के तहत जेल गए और 2 साल की सजा हुई। जून 1944 में रिहा हुए, मियांवाली, लाहौर और मुलतान की जेलों में रहे।

चौ॰ रणबीर सिंह व लाला देशबन्धु गुप्ता 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में काफी समय तक सेन्ट्रल जेल लाहौर जेल में बन्दी रहे। जेल के दीवानी घर में कैद रहे।

इस प्रकार लाला जी मियांवाली, दिल्ली, मुलतान गुजरात व सैन्ट्रल जेल व बोर्स्टल जेल लाहौर आदि जेलों में रहे। सन् 1921 से 1942 तक सात बार जेल गए।

संविधान सभा में योगदान : स्वतन्त्र भारतीय विधान परिषद में कुल 229 सदस्य व भारतीय स्टेटो के कुल 70 सदस्य थे। भारतीय प्रान्तों के जो 229 सदस्य चुने गए, उनमें से दिल्ली (देहली) से मात्र एक सदस्य चुना जाना था और यह गौरव प्राप्त हुआ। लाला देशबन्धु गुप्ता जी को जो कि संविधान सभा में दिल्ली के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इससे पूर्व श्री आसफ अली दिल्ली के संयुक्त संविधान सभा के प्रतिनिधि थे। इन्हीं सदस्यों को भारत के संविधान की संरचना करनी थी। 14 जुलाई 1947 को संसद भवन, दिल्ली में संविधान सभा का चौथा अधिवेशन बुलाया गया। लाला जी ने 14 जुलाई, 1947 को प्रतिज्ञा पत्र पर

हस्ताक्षर कर सदस्यता ग्रहण की। इन सदस्यों में मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, जोकि यू.पी., बिहार व मैसूर (कनार्टक) आदि प्रदेशों से चुनात जीतकर आए थे। ज्ञात रहे कि मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रो के सिद्धान्त पर चुनाव लड़ा था।

लाला जी ने 31 जुलाई, 1947 को पहली बार दिल्ली राज्य के स्वायत्तता देने वाले संविधान सभा के वाद–विवाद में भाग लिया, जोकि संविधान निर्माण तक निरन्तर जारी रहा। संविधान सभा में मुख्यतः राष्ट्रभाषा हिन्दी, गौरक्षा, नशाबन्दी और धर्मान्तरण पर प्रतिबन्ध आदि विषयों पर अपने मूल्यवान विचार रखे। इन्हीं विषयों पर श्री घनश्याम सिंह गुप्त, आचार्य रघुबीर, श्री धूलेकट, चौ॰ रणबीर सिंह, श्री गोकुल भाई भट्ट, श्री अलगूराम शास्त्री व श्री विश्वभंर त्रिपाठी आदि ने भी अपने मूल्यवानं विचार रखे।

दिल्ली को राज्य बनाने की वकालत :– संविधान सभा में 'सी' राज्यों की स्वायत्तता का प्रमुख मुद्दा था। प्रस्तावित हुआ कि ए. वी. सी. राज्यों में प्रशासनिक भिन्नता समाप्त करके समान अधिकारी के आधार पर भोपाल, अजमेर–मारवाड़, कुर्क, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली आदि राज्यों के नागरिकों की स्वायत्त शासन दिया जाए। लाला जी प्रस्ताव के पक्ष में जोरदार ढंग से बोले, तीव्र विरोध भी हुआ। वाद–विवाद के बाद राज्यों के प्रभारी मंत्री श्री एन. गोपालस्वामी आयगंर ने 'सी' राज्यों से सम्बन्धी विधेयक पेश किया। इसमें केन्द्र शासित राज्यों में स्वशासन हेतू विधायिकों तथा मंत्रीपरिषद का उपबन्ध तो कर दिया गया, किन्तू मुख्य आयुक्त की स्थिति ऐसी थी कि स्वायतता नाममात्र की ही रह गई। धारा–18 के अन्तर्गत उसे विधानसभा एवं मंत्रीपरिषद में उपस्थित रहकर कार्यवाही में भाग लेना था। लाला देशबन्धु जी ने 'सी' राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप यह उपबन्ध एक समिति को

सौंप दिया गया। इसके अध्यक्ष डॉ॰ पट्टाभि सीतारम्मैया नियुक्त किये गये। लाला देशबन्धु गुप्त व ठाकुरदास भार्गव सहित सात सदस्यीय समिति बनायी गयी। इस समिति ने दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग को लैफ्टीनैंट गवर्नर के प्रदेश बनाने की सिफारिश दिल्ली के लिए की। इसके नागरिकों को अन्य राज्यों के बराबर अधिकार देने की बात भी कही।

21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ॰ अम्बेडकर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें डॉ॰ पट्टाभि समिति की रिपोर्ट को दरकिनार करके दिल्ली को 'केन्द्र शासित' प्रदेश का ही दर्जा दिया गया। लाला देशबन्धु जी ने सदन के अन्दर और बाहर स्वायत्त दिल्ली का आन्दोलन छेड़ दिया। लाला जी के अथक प्रयासों से दिल्ली प्रदेश को 42 इकाईयों और 48 सदस्यों की विधानसभा दी गई। किन्तु विधेयक में असंख्य संशोधन किए गए, जिनसे कार्यपालिका की शक्तियाँ सिमित कर दी गई। इससे स्वायत्त राज्य अपंग बनकर रह गया।

केन्द्रीय संविधान सभा में उन्होंनें प्रत्येक ऐसे बिल का विरोध किया जिसमें प्रैस की आजादी पर आंच आती थी।

चुनावी राजनीति : पंजाब विधानसभा चुनाव 1937 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस को पूरे प्रांत में 10 प्रतिशत सीटें प्राप्त हुई थीं। देहात के लगभग सारे क्षेत्र पर यूनियनस्टि पार्टी ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस पूरे पंजाब की 75 में से 18 सीटों पर ही जीत पाई। ये भी अधिकतर शहरी सीटें थी। वर्तमान हरयाणा से सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस को मिली थीं, जिनमे ंसे पं॰ श्रीराम शर्मा – दक्षिणी पूर्वी शहरी हल्के (हिसार–रोहतक–गुड़गांव) व लाला देशबन्धु गुप्ता उत्तर पूर्वी शहरी हल्के (लुधियाना–अम्बाला शहरी हल्का जिसमें पानीपत–कैथल–करनाल– शाहबाद–अम्बाला व शिमला) का शहरी

क्षेत्र शामिल था। पं. मदनमोहन मालवीय नैशनलिस्ट पार्टी की उम्मीदवार महान समाजसेविका श्रीमती लेखवती जैन को हराकर विजयी हुए थे। तीसरे उम्मीदवार थे चौ॰ साहबराम सिंहाग (चौटाला), जोकि हिसार उत्तर पश्चिम देहाती (सिरसा–फतेहाबाद देहाती) क्षेत्र से यूनियनिस्ट पार्टी के चौ॰ नन्दराम माघो सिंघाना को 1308 वोटों के अन्तर से हराकर विजयी हुए थे।

दिल्ली के प्रथम सांसद : 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान सभा के सदस्यों को ही आम चुनाव होने तक अस्थायी संसद का दर्जा दे दिया व लाला देशबन्धु जी भी 26 जनवरी 1950 से 21 नवम्बर 1951 तक लगभग 22 माह तक रहे। इस प्रकार से दिल्ली के प्रथम सांसद होने का गौरव भी आपको प्राप्त है।
निधन : 50 वर्ष की अल्पायु में ही आपका निधन 21 नवम्बर, 1951 को एक विमान दुर्घटना में हुआ।

पत्रकारिता में योगदान : आप एक उच्च श्रेणी के पत्रकार थे। आपने ही 9–12–1932 में सर्वप्रथम मुलतान जेल से पृथक हरयाणा प्रदेश की मांग सम्बन्धी ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। भारत के समूचे इतिहास में अम्बाला मंडल कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा। 1947 के बाद संविधान सभा में भी चौ॰ रणबीर सिंह की तरह आपने भी हरयाणा पृथक राज्य के निर्माण पर जोर दिया।

पत्रकारिता के क्षेत्र में देशबन्धु गुप्ता ने निडर व निर्भीक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनायी। सन् 1923 में स्वामी श्रद्धानन्द ने आर्य समाज और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रचार के उद्देश्य से 'तेज' समाचार पत्र उर्दू भाषा में शुरू किया। लाला जी जीवन भर 3 रूपये के प्रबंध सम्पादक रहे। 23 दिसम्बर, 1926 को स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान के बाद 'तेज' का दायित्व आपके कंधों पर आ गया।

आपने पंजाब विधानसभा व संविधान सभा में प्रैस की स्वतन्त्रता पर आंच सम्बन्धी प्रत्येक बिल का विरोध किया। इस बात से प्रभावित होकर देशभर के पत्रकारों ने उन्हें अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक संघ का प्रधान निर्वाचित किया। आप इंडियन एण्ड इस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी, जिसे अब आई. एन.एस. के नाम से जाना जाता है, के भी संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे व आल इंडिया न्यूनपेपर्स एडीटर्स कांफ्रेस के भी अध्यक्ष थे।

पुरस्कार : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर 20 अगस्त 2008 को हरयाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरयाणा सरकार द्वारा हरयाणा के स्वतन्त्रता सेनानी पत्रकार एवं लेखक लाला देशबन्धु गुप्ता के नाम पर एक लाख रूपये की राशि का एक वार्षिक राज्यस्तरीय पुरस्कार शुरू किया गया।

स्मारक : हरयाणा में 2008 से पहले कोई स्मारक लाला देशबन्धु के नाम से नहीं था। लेकिन, अब हरयाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पानीपत के लघु सचिवालय के उद्घाटन के अवसर पर 2011 में लाला जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और पानीपत में देशबन्धु गुप्ता राजकीय महाविद्यालय भी शुरू किया गया।

दिल्ली के करोल बाग में देशबन्धु गुप्ता रोड़, देशबन्धु कालेज देशबन्धु वाटिका आदि अनेक स्मारक हैं।

सन्दर्भ

1. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
   लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
2. सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण)
   प्रकाशक : होप इंडिया पब्लिकेशंस 85, सेक्टर–23, गुड़गांव (हरयाणा), 2005
3. उपमन्यु कुमार नरेन्द्र : संस्मरण लाला देशबन्धु जी गुप्ता, 2008
4. मुदगल एस.एस. : 20वीं सदी के महानायक (सस्मरण),
   लता साहित्य सदन, उत्तरांचल कालोनी, लोनी बार्डर, गाजियाबाद–110093, 2009
5. उपमन्यु कुमार नरेन्द्र (प्रो.)– समाजसेवा स्मारिका, स्वतन्त्रता संग्राम के महानायक लाला श्री देशबन्धु गुप्ता जी, 2008

चौधरी निहाल सिंह तक्षक

(1911 – 2001)

चौधरी निहाल सिंह तक्षक
(1911 – 2001)

जन्म : आपका जन्म 1 मई, 1911 को तत्कालीन जींद रियासत के दादरी जिले में स्थित भागवी गांव में चौधरी अमर सिंह के घर में श्रीमती सिरिया देवी की कोख से हुआ।

शिक्षा : मिडल परीक्षा गांव बामला (जिला भिवानी), मैट्रिक जाट स्कूल–हिसार, एफ. ए. बिरला स्कूल पिलानी (राजस्थान) व ग्रेजुएशन सन् 1936 में रामजस कालेज–दिल्ली से पास की आप रामजस कालेज दिल्ली में छात्र यूनियन के प्रधानमंत्री (प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टूडेण्ट कांऊसिल) रहे व दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैरिट में द्वितीय स्थान पर रहकर रामजस कालेज का व अपना नाम रोशन किया।

नौकरी : आप 2 अक्तूबर, 1936 में बिरला एजूकेशन ट्रस्ट पिलानी में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हुए व 17 स्कूलों का संचालन किया। 31दिसम्बर, 1946 तक विधायक बनने तक इस पद पर कार्य किया व 10 साल की सेवा में 311 नए स्कूल खुलवाए।

पारिवारिक पृष्ठभूमि : स्वतन्त्रता सेनानी चौ॰ निहाल सिंह तक्षक की शादी अलवर के मेयर मेजर नानकचन्द जाखड ठेकेदार की सुपुत्री दुर्गावती के साथ हुई। आपके 3 पुत्र व दो पुत्रियाँ हुईं। सबसे बड़ी सुपुत्री सुशीला व सबसे छोटी ज्योत्सना हुई। तीनों सुपुत्रों में ज्येष्ठ बृजेन्द्र सिंह है जो अलवर (राजस्थान) में बस गए है। दूसरे सुपुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह तक्षक थे, जो रोहतक में एस. डी. एम. व आर.टी.ओ. रहे।

उनका सुपुत्र आदित्येन्द्र तक्षक हैं, जिसका अभी हरयाणा सरकार में एच.सी.एस. एण्ड एलाईड सर्विस में ई.टी.ओ. के पद पर चयन हुआ है। आपके कनिष्ट पुत्र चौ॰ विरेन्द्र सिंह तक्षक है जो चांदनी चौंक दिल्ली में व्यापार करते हैं। आपके भतीजे चौ॰ रत्नसिंह तक्षक का परिवार गांव में ही रहता है। जो गांव के लम्बरदार भी हैं।

लोहारू आर्य समाज के प्रधान : आप पक्के आर्य समाजी थे। आर्य समाज लोहारू के प्रधान रहे व आर्य समाज के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। 1975 में आपातकाल में दादरी जेल में रहे व दादरी में आर्य हिन्दी महाविद्यालय खुलवाया।

राजनीतिक जीवन की शुरूआत : सन् 1937 में जींद स्टेट में विधायक बने और सन् 1939 में जींद स्टेट प्रजामण्डल की स्थापना की व सन् 1948 में इसके कांग्रेस में विलय होने तक इसके प्रधान रहे।

मुख्यमंत्री का पद ठुकराया : जींद के महाराजा चौ॰ रणबीर सिंह सिद्धू ने आपको 6–12–1947 को जींद राज्य के मुख्यमंत्री पद की पेशकश की, जिसे ठुकराकर आपने इसको भारत में विलय करने की मांग की। सरदार पटेल के रियासतों (राज्यों) के विलयीकरण का समर्थन किया व इसके लिए आपने विशाल विलयकरण आन्दोलन (Merger Movement) का नेतृत्व किया।

समानान्तर सरकार का गठन : विलयकरण आन्दोलन का नेतृत्व करने के कारण जींद राज्य के महाराजा ने दिनांक 18–12–1948 को इस भारत माँ के सपूत को कैद करके जेल में डाल दिया। यहीं से इस देशभक्त ने समानान्तर सरकार बनाने की घोषणा कर दी। जींद स्टेट के भारत में विलय के पश्चात भारत सरकार ने आपको विलयीकरण आन्दोलन के नायक (Hero of Merger Movement) के सम्मान से सुशोभित किया गया।

जींद स्टेट कांग्रेस के प्रधान : जींद स्टेट प्रजामण्डल का 12 जुलाई, 1948 को कांग्रेस में विलय करवाया व जींद स्टेट के काग्रेंस प्रधान का पदभार 12–7–1948 को संभाला। जींद स्टेट के प्रथम कांग्रेस प्रधान बनने का गौरव प्राप्त किया।

जींद स्टेट के शिक्षा मंत्री बने : सन् 1946 में आप दादरी से विधायक चुने गए। 1946 में जींद के महाराजा चौधरी रणबीर सिहं सिद्धू ने आपको जींद स्टेट का शिक्षा मंत्री बनाया। सन् 1948 में 11 स्टेटों (रिसासतों) को मिलाकर पेप्सु बना, जिसको पटियाला एवं 'पूर्वीय पंजाब स्टेट यूनियन' का नाम दिया गया। कर्नल रणबीर सिंह की पेप्सु सरकार में आपको सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। आपने 19–01–1949 को मंत्री पद की शपथ ली।

आपने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए 400 बिरला स्कूलों का सरकारीकरण किया तथा 150 नए विद्यालय और खोले। 23–05–1951 को आपको पेप्सू का वित्तमंत्री बनाया गया। सन् 1952 में आप दादरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उस समय दादरी डबल हल्का होता था। दूसरे विधायक अनुसूचित जाति के श्री हरनाम सिंह चुने गए थे। सन् 1952 में आपको पुनः वित्तमंत्री बनाया गया। सन् 1955 तक इस पद पर रहे। सन् 1955 में पेप्सु में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके विरोध में आपने कांग्रेस छोड़ दी व अकाली दल में शामिल हो गए। सन् 1956 ई. में पेप्सू का पंजाब राज्य में विलय हो गया। 1957 का चुनाव आपने नहीं लड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में अकाली दल का प्रभाव नहीं था। पंजाब विधानसभा के चुनाव फरवरी 1962 में हुए इस बार आपने दादरी की बजाय लोहारू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। लेकिन, श्री जगन्नाथ जी से 160 मतों से चुनाव में पराजित हुए। अतः पंजाब की विधानसभा में आप विधायक बनने से रह गए।

संविधान सभा में चयन : आपको 10 जुलाई 1947 को पंजाब स्टेट ग्रुप–।।।, जिसमें 14 स्टेट होती थीं। जींद, नाभा, फरीदकोट, कपुरथला, मलेरकोटला, साकेत, मण्डी, चम्बा, सिरमौर व विलासपुर, कलसिया व टिहरी गढ़वाल आदि शामिल थी । बिलासपुर स्टेट के संयोजन में इन सबकी तरफ से 3 सदस्य संविधान सभा में चुने गए, जिसमें आप भी एक प्रमुख सदस्य थे। पटियाला रियासत की तरफ से 2 सदस्य चुने गए थे। अतः पेप्सू से 5 सदस्य चुने गए, जिसमें 2 पटियाला से व 3 पंजाब स्टेट ग्रुप–।।। से थे। वर्तमान में उन 14 में से सिर्फ जींद ही हरयाणा में है। इसी जींद स्टेट का प्रतिनिधत्व चौ॰ साहिब ने किया।

चौ॰ साहब संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशनों में से कुल तीन अधिवेशनों में भाग ले पाए। सर्वप्रथम पांचवे अधिवेशन 20 अगस्त 1947 को प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर सदस्यता ग्रहण की। चौ॰ साहब ने 26 अगस्त, 1947 को पहली बार वाद–विवाद में भाग लिया व अपने महत्वपूर्ण व मूल्यवान विचारों को प्रकट किया। लेकिन, आपका यह दुर्भाग्य रहा कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए मुकद्में में हारने के कारण आपको संविधान सभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। संविधान सभा द्वारा तैयार प्रारूप पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं।

स्वर्गवास : अन्त के दिनों में आप अपने सुपुत्र के साथ रोहतक में रहे, जहां दिनांक 8–10–2001 को निधन हो गया। आपकी यादों को ताजा रखने के लिए आपके पैतृक गांव – भागवी, तहसील दादरी, जिला भिवानी में आपकी प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन आपके साथ संविधान सभा में रहे चौ॰ रणबीर सिंह के सुपुत्र एवं हरयाणा के मुख्यमंत्री चौ॰ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा 7–1–2007 को किया गया।

सन्दर्भ

1. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण) लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
2. Lok Sabha Secretariet : Revised Addresses of Members of Constituent Assembly showing their Delhi addresses (22 August,1947)
3. Personal Documents of Ch. Nihal Singh Takshak (Unpublished)
4. व्यक्तिगत साक्षात्कार :
   चौ॰ आदितेन्द्र तक्षक ई.टी.ओ. (सुपौत्र)
   चौ॰ संजीव तक्षक एडवोकेट, (सुपौत्र)
   चौ॰ रमेश तक्षक गांव भागवी (सुपौत्र)

डॉ. गोपीचन्द भार्गव

(1889 – 1966)

डॉ. गोपीचन्द भार्गव
(1889 – 1966)

जन्म : आपका जन्म 8 मार्च, 1889 उच्चवर्गीय ब्राह्मण मुंशी बद्री प्रसाद के घर में हरयाणा के सिरसा शहर में हुआ। डॉ. भार्गव का सम्बन्ध मूल रूप से कैथल जिले के शिमला गांव से है। वहाँ से इनके पूर्वज रेवाड़ी गए थे, किन्हीं कारणों से इनके दादा पं. कन्हैया लाल सिरसा रहने लगे थे। लेकिन, गोपीचन्द के जन्म के बाद मूल रूप से हिसार में बस गये थे।

शिक्षा : आपने मैट्रिक हिसार से 1905 में पास की। 1907 में डी.ए.वी. कालेज लाहौर से इन्टर व किंग एडवर्ड कालेज से 1912 में एम.बी.बी. एस. की डिग्री ली। 1913 में लाहौर में ही डाक्टरी का अभ्यास शुरू कर दिया।

शादी : 1913 में सरस्वती देवी से शादी हुई व एक पुत्र फतेहचन्द व पुत्री रूकमणि देवी हुई। पहली पत्नी के निधन के बाद उसकी बहन दिलभर देवी से 1926 में दूसरी शादी हुई।

स्वतन्त्रता आंदोलन में भागीदारी : रोल्ट एक्ट के विरोध में असहयोग आन्दोलन में बढ़–चढ़ कर भाग लिया व 4 दिसम्बर, 1921 को लाला लाजपतराय व के॰ सन्थानम के साथ गिरफ्तार हुए। 1923 में पुनः लाला दुनीचन्द (लाहौर) के साथ गिरफ्तार हुए। 30 अक्तूबर, 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपतराय के साथ गिरफ्तार हुए। भगत सिंह भी लाहौर जेल में थे। डॉ. भार्गव लाहौर की दोनों जेलों में नेहरू के साथ रहे।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के तहत 1930 व 1933 में गिरफ्तार हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में अक्तूबर, 1940 में गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आन्दोलन के तहत अगस्त 1942 में गिरफ्तार हुए।

राजनीति में योगदान :– 1921 में लाहौर जिला कांग्रेस समिति के सैक्रेटरी रहे। 1922 में प्रधान बने। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वागत समिति के महासचिव थे। 1927 में पंजाब विधानसभा के सदस्य बने व 1929 तक रहे। पुनः 1937 में पजांब विधानसभा के लिए चुने गए व विपक्ष के नेता बने। 1946 में पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए व पंजाब विभाजन कमेटी के सदस्य बनाए गए।

संविधान सभा में चयन : बिट्रिश भारत की संविधान सभा में 1946 में आप चुने गए। पंजाब के कुल 28 सदस्यों में शामिल थे। हांलाकि आपने संविधान सभा के वाद विवादों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। देश की आजादी के बाद पूर्वी पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 1952 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और आचार्य कृपलानी द्वारा बनायी गई किसान मजदूर प्रजा पार्टी में रहे। लेकिन, 1957 में पं. नेहरू की अपील पर 1957 में कांग्रेस में शामिल हुए व कैरों सरकार में वित्त मंत्री बने।

खादी क्षेत्र में बहुत कार्य किया। गांधी निधि पंजाब व पंजाब हरिजन सेवक संघ के प्रधान रहे व अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। अखिल भारतीय किसान संघ व भूदान आन्दोलन से जुड़े रहे।

देहान्त : 26 दिसम्बर, 1966 को इनका चण्डीगढ़ में देहान्त हुआ।

सन्दर्भ

1. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
   लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
2. सिंह रणबीर चौधरी : स्वराज के स्वर (संस्मरण)
   प्रकाशक : होप इंडिया पब्लिकेशंस 85, सेक्टर–23, गुड़गांव (हरयाणा), 2005
3. मलिक शिवानन्द एवं बूरा : राजनीति के भूषण
   प्रकाशक : शिव लक्ष्मी विद्या धाम, 498/2, कृष्णा नगर, हिसार (हरयाणा), (2004)
4. Dr. Gopi Chand Dhargav Abhinandan Granth
   Published by Jagat Sarup Advocate, Gen. Secretary Dr. Gopi Chand Bhargav Memorial Trust (Regd.), Kaimari Road, Hisar (Haryana), (2005)
5. Juneja M.M. : Places and Personalities of Hisar by Modern Book Co.,1273-Urban Estate, Hisar (Haryana)

चौधरी सूरजमल
(1899 – 1983)

चौधरी सूरजमल
(1899 – 1983)

जन्म : आपका जन्म हरयाणा के प्रसिद्ध गांव खांडाखेडी (जिला हिसार) में सन् 1899 में चौधरी आदराम सिन्धु के घर में हुआ।

शिक्षा : प्राईमरी गांव में, उच्च शिक्षा राजकीय स्कूल हिसार, रोहतक व जाट स्कूल रोहतक में, 1916 में लाहौर से ग्रेजुऐशन व 1924 में एल. एल.बी. की। 1924 में हिसार में वकालत आरम्भ की व 5 वर्ष हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। सात वर्ष तक हिसार बार के निर्विरोध प्रधान रहे। 29 वर्ष की अल्पायु में सन् 1928 में जिला बोर्ड हिसार का चुनाव प्रथम बार लड़े और विजय प्राप्त की। वरिष्ठ उपप्रधान के पद पर काबिज हुए। जाट शिक्षण संस्थान, हिसार के प्रधान भी रहे। हरयाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार खुलवाने में विशेष योगदान दिया।

शादी: आपकी शादी 1913 में भुलन देवी से हुई। पांच सुपुत्र सर्वश्री बलवन्त, जगवन्त, जसवन्त, भगवन्त व कुलवन्त व 4 बेटी लीला, शंकुन्तला, सरला व राजबाला थी।

राजनैतिक जीवन : आपके ऊपर हरयाणा के महान समाज सुधारक डाक्टर रामजीलाल हुड्डा का प्रभाव था। उन दिनों डाक्टर रामजीलाल हुड्डा ने बहुत से जाटों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने व राजनीति में आने की प्रेरणा दी।

सन् 1937 में आप हिसार जिले के हांसी विधानसभा क्षेत्र से पंजाब विधान परिषद के लिए यूनियनिष्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े

व कांग्रेस के उम्मीदवार चौ॰ लाजपतराय गांव सिसाय, जिला हिसार को हराकर विजयी हुए। वर्ष 1945 में चौ. छोटूराम का देहान्त होने के बाद पार्टी की जिम्मेवारी आपने चौधरी टीकाराम दहिया, गांव मंडोरा, जिला सोनीपत व चौ॰ छोटूराम के भतीजे चौ॰ श्रीचन्द के साथ मिलकर संभाली। सन् 1946 के चुनाव में भी हांसी से यूनियनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौ॰ लाजपतराय गांव अलखपुरा को हराया। सन् 1946 में हरयाणा क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी के सिर्फ तीन विधायक जीते जिसमें आपके अतिरिक्त राव मोहर सिंह (अहीर), श्री प्रेमसिंह (हरिजन) थे।

संविधान सभा के सदस्य : सन् 1946 में भारत की सयुंक्त संविधान सभा के लिए पंजाब राज्य से यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से चुने गए और 30 अप्रैल 1947 का एडवाइजरी कमेटी के प्रस्तावों पर हुए वाद–विवाद में हिस्सा लिया। कृषि व कृषक हित पर भाषण दिया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ। आप नवगठित नारनौंद (जिला हिसार) विधानसभा से चुनाव लड़े। लेकिन, सफलता नहीं मिली। आप एम.एल.सी. बनने में कामयाब रहे व विपक्ष के नेता बने।

सन् 1956 में चौ॰ छोटूराम के भतीजे चौ॰ श्रीचन्द के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1957 में टोहाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने और चुनाव में विजय प्राप्त करके सरदार प्रताप सिंह कैरों ने मन्त्रीमण्डल में लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) व स्वास्थ्य विभाग संभाला। इस दौरान अनेक जन हितैषी कार्य किए। आप महाराजा बृजेन्द्र सिंह के समय में भरतपुर (राजस्थान) रियासत के प्रधानमंत्री रहे।

हरयाणा निर्माण के बाद आपके मझले सुपुत्र चौ॰ जसवन्त सिंह विधायक बने व हरयाणा सरकार में मंत्री रहे।

देहान्त : 25जनवरी, 1983 को इस संसार को छोड़ गए।

सन्दर्भ

1. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
   लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
2. Dr. Gopi Chand Dhargav Abhinandan Granth, Published by Jagat Sarup Advocate, Gen. Secretary Dr. Gopi Chand Bhargav Memorial Trust (Regd.), Kaimari Road, Hisar (Haryana), (2005)
3. Juneja M.M. : Places and Personalities of Hisar by Modern
   Book Co.,1273-Urban Estate, Hisar (Haryana)
4. व्यक्तिगत साक्षात्कार :
   चौ॰ प्रेम सिंह सिन्धु, (भतीजा) 153, प्रेम नगर, हिसार

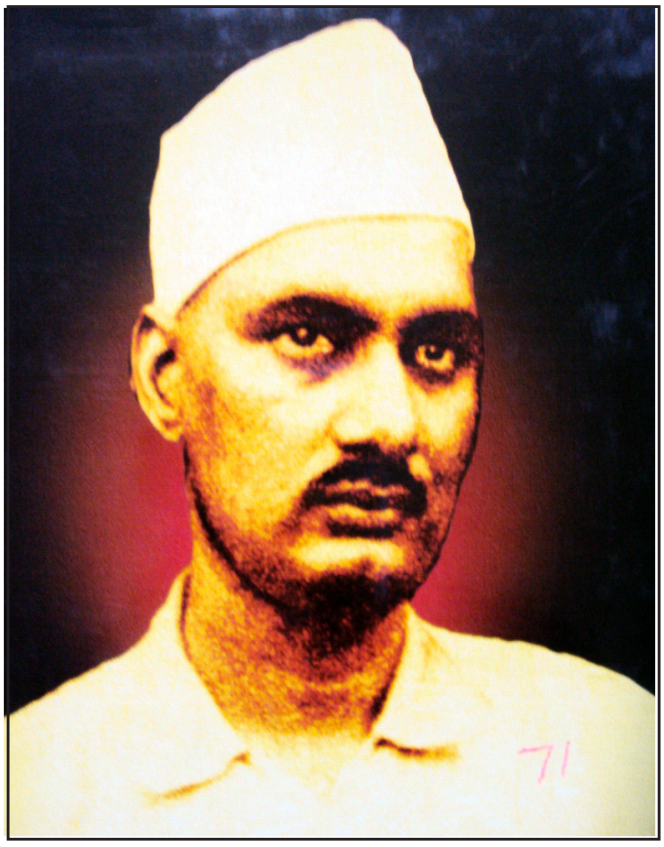

पं॰ श्रीराम शर्मा

(1899 – 1987)

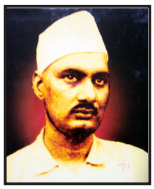

पं॰ श्रीराम शर्मा
(1899 – 1989)

जन्म : आपका जन्म 1 अक्तूबर 1899 में तत्कालीन रोहतक जिले के झज्जर में पं. बिशम्बर दयाल के घर में चांदबाई की कोख से हुआ। जोकि एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थी।

शिक्षा : आपने आठवीं तक की शिक्षा गांव से प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा दिल्ली के पास की। आपकी शादी खरक गांव की रूकमणि देवी के साथ हुई।

राजनीतिक जीवन : 32 वर्ष की आयु में आप स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े और 1921 में असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। इस आन्दोलन को पूरे जोर से चलाने के लिए प्रैस का सहारा भी लिया। 18 मार्च, 1923 को झज्जर से हरयाणा तिलक 'उर्दू साप्ताहिक अखबार शुरू किया। सन् 1926 में कांग्रेस का टिकट एम.एल.सी. के लिए आवेदन किया, जो नामंजूर हो गया। इसके बाद नवम्बर, 1929 में रोहतक में पंजाब प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष बने।

1932 में आप जेल गए। रोहतक व मुलतान जेल में रहे। 1936 में जिला रोहतक कांग्रेस के प्रधान बने। 1937 में जिला रोहतक कांग्रेस के पुनः प्रधान बने। जनवरी, 1937 में दक्षिण पूर्वी सामान्य शहरी सीट से जिसमें जिला रोहतक – हिसार–गुडगांव का क्षेत्र शामिल है, से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जयदेव को हराकर एम.एल.सी बने। ए. आई.सी. के मैम्बर भी बने। इसके बाद सरदार किशन सिंह (शहीद–ए–आजम भगत सिंह के पिता) की प्रधानता में रोहतक जिला

के मदीना गांव पंजाब प्रदेश की राजनीतिक कांफ्रेस में भाग लिया। 1938 में ही आसौदा सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभायी।

सन् 1940 में महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बतौर वालन्टियर भर्ती हुए और 1941 में जेल गए। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल गए। 26 जुलाई, 1945 को सियालकोट जेल से रिहा किए गए।

संविधान सभा में चयन : सन् 1946 में ही आप भारतीय संविधान सभा में चुने गए। लेकिन, आपने किसी वाद–विवाद में भाग नहीं लिया।

जनवरी 1946 में हुए पंजाब विधानसभा के चुनाव में आप दक्षिणी पूर्वी शहरी सामान्य हल्के (हिसार रोहतक गुडगांव) से पुनः पंजाब कौंसिल के सदस्य बने। हरयाणा सरवेन्ट सोसाइटी (1950) में प्रधान चुने गए। 1951 में तीसरी बार कांग्रेस कमेटी के प्रधान बने।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुए प्रथम चुनाव 1952 में आप कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत से विधायक बने और जुलाई, 1953 तक मंत्री रहे। 10 जनवरी, 1954 को आपको कांग्रेस से निकाल दिया गया। इसके बाद आपने 1 फरवरी, 1954 को गांधी जनता कांग्रेस पार्टी बनायी। 30 मई, 1954 में पंजाब यूनाईटिड फ्रंट कायम किया, जिसमें गांधी जनता कांग्रेस कम्युनिस्ट यूनियनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। इस फ्रट में चौ॰ माडू सिंह मलिक (जमींदार लीग), चौ॰ प्रताप सिंह दौलता (कम्यूनिस्ट), चौ॰ रणधीर सिंह (सोशलिस्ट) प्रमुख नेता थे। पुनः 1957 में कांग्रेस में शामिल होकर चौथी बार सोनीपत हल्के से विधायक चुने गए। आपको हिन्दी सत्याग्रह में बन्द करके फिरोजपुर जेल में डाल दिया गया। 1958–59 में आप पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1963 में हरयाणा फ्रंट पुनः कायम किया व सांपला हल्के से चुनाव

लड़े व हारे। 1965 में आपको हरयाणा निर्माण के लिए गठित हरयाणा विकास समिति का प्रधान बनाया गया।

देहान्त : 26–6–1975 को इन्दिरा सरकार ने आपको मीसा में बन्द किया व पहली जनवरी, 1977 में रिहा किया गया। सन् 1989 में आपका देहान्त हुआ।

सन्दर्भ

1. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण)
   लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा पुनमुद्रित–1994
2. Yadav K.C : The builders of our nation. Vol-II
   Pt. Shriram Sharma, Published : Haryana Historical Society, Kurukshetra.(1991)
3. सिंह रणजीत : प्रो. शेरसिंह –एक प्रेरक व्यक्तित्व,
   प्रकाशक : प्रो. शेरसिंह अभिनन्दन समारोह समिति, आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानन्द मठ, रोहतक, 1991
4. शर्मा श्री राम पं.: हरयाणा का इतिहास–IV, संस्करण 1998
   प्रकाशक : श्रीमति निर्मल शर्मा, हरयाणा सेवा आश्रम, वैश्य कालेज रोड़, रोहतक

निष्कर्ष

हरयाणा का अपना इतिहास है। हरयाणा का अस्तित्व आदिकाल से है। लेकिन, इसकी प्रशासकीय व्यवस्था बदलती रही है। यहां की जनता सीधी–सादी, सात्विक आहार वाली व हर राजनीतिक आन्दोलन में बढ़–चढ़कर भाग लेती आई है।

संविधान सभा में अविभाजित पंजाब, पूर्वी पंजाब (हरयाणा क्षेत्र सहित) के निर्वाचित सदस्यों की संविधान सभा में क्या जिम्मेदारियां थीं? उन्होंने जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे किया? इसका आकलन करने का प्रयास हुआ है। अविभाजित भारतीय विधान परिषद में हरयाणा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों में से चौधरी सूरजमल व चौधरी रणबीर सिंह ने किसानों की पीड़ा को समझा व अपने विचारों से सभा को अवगत कराया। वहीं कुछ सदस्यों ने किसी वाद–विवाद में भाग नहीं लिया।

स्वतन्त्र भारत की संविधान सभा में हरयाणा क्षेत्र के सदस्यों की औसत आयु बाकी देश के प्रतिनिधियों से कम थी। हरयाणा क्षेत्र के सभी सदस्य स्वतन्त्रता आन्दोलन व राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। चौ0 रणबीर सिंह को संविधान सभा का सबसे युवा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। पं0 ठाकुर दास भार्गव ने कानून निर्माण सम्बन्धी वाद–विवादों में बढ़ चढ कर भाग लिया। मास्टर नन्द लाल ने वाद–विवादों में नाममात्र भाग लिया। युवा सदस्य चौ0 रणबीर सिंह ने कृषक हित, वर्ग विहीन समाज, हरयाणा निर्माण आदि अनेक जनहित के मुद्दों को संविधान सभा में बड़े बेबाक ढंग से उठाया। लाला देशबन्धु गुप्ता ने दिल्ली राज्य के निर्माण पर जोर दिया।

हरयाणा प्रान्त के निर्माण का मुद्दा लाला देशबन्धु गुप्ता

व चौ0 रणबीर सिंह द्वारा संविधान सभा व अन्य मंचों पर उठाया जाता रहा। देश की स्वतन्त्रता के बाद प्रो0 शेरसिंह, चौ0 रणबीर सिंह, चौ0 बदलूराम, पं0जगदेव सिंह सिद्धांती, चौ0 सूरज मल, चौ0देवी लाल, प0 श्रीराम शर्मा, राव निहाल सिंह, राव गजराज सिंह व श्रीमती ओमप्रभा जैन आदि अनेक नेताओं द्वारा समय–2 पर आवाज उठायी जाती रही और आखिरकार सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब से हिन्दी भाषी क्षेत्र को निकालकर नए राज्य हरयाणाा का उदय हुआ।

भारत गणतन्त्र के 17वें राज्य के रूप में 1 नवम्बर, 1966 को हरयाणा राज्य भारत के मानचित्र पर स्थापित हुआ। इसकी गिनती अब भारत के प्रमुख विकसित राज्यों में है। इसकी साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश आदि भारत की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

हरयाणा क्षेत्र के सदस्य बाकि राज्यों के सदस्यों की अपेक्षा युवा थे व राष्ट्रीय आन्दोलन में भागीदार रहे थे। लेकिन, दूसरे प्रान्तों के कई सदस्य विदेशों में पढ़े हुए थे व अमीर घरानों से थे। जबकि, हरयाणा क्षेत्र के सदस्य साधारण घरों से थे। चौ॰ रणबीर सिंह, चौ॰ निहाल सिंह तक्षक व चौ॰ सूरजमल देहाती पृष्ठभूमि के थे। शेष, पूर्वी पंजाब के अन्य सदस्यों में भी अनेक अमीर घराने से थे। सरदार बलदेव सिंह के परिवार की औद्योगिक घराने में गिनती थी। सरदार हुक्म सिंह व बख्शी टेकचन्द जज के पद पर रह चुके थे व शहरी पृष्ठभूमि से थे। लेकिन कांग्रेस के दोनों सिक्ख सदस्य सरदार भूपेन्द्र सिंह मान व सरदार गुरूमुख सिंह मुसाफिर देहाती पृष्ठभूमि से सम्बन्धित थे। विक्रमलाल सोधी, जहां व्यापारी समुदाय से थे तो प्रो॰ यशवंत सिंह हरिजन समुदाय के प्रतिनिधि थे।

पूर्वी पंजाब में भी पश्चिमी पंजाब के सदस्यों का प्रभाव था।

सरदार बलदेव सिंह को छोड़कर तीनों सिक्ख पश्चिमी पंजाब से सम्बन्ध रखते थे।

देश की आजादी के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें हरयाणा क्षेत्र से 4 संविधान सभा के सदस्य भी थे दो बाहरी आदमी सांसद बने, लाला अंचितराम हिसार से व बख्शी टेकचन्द अम्बाला–शिमला से। करनाल जिले से सम्बन्धित दो सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, जिनमें से लाला देशबन्धु गुप्ता और मास्टर नन्दलाल थे। ठाकुरदास भार्गव का भी निर्वाचन क्षेत्र हिसार की बजाए गुड़गांव था। चौ॰ रणबीर सिंह अकेले सदस्य थे जिनको गृह क्षेत्र रोहतक से टिकट मिला। चौ॰ रणबीर सिंह उस समय हरयाणा क्षेत्र से अकेले जाट सांसद थे। 1957 में भी 5 में से 3 उम्मीदवार संविधानसभा के सदस्य थे। इनमें ठाकुरदास भार्गव हिसार से, चौ॰ रणबीर सिंह–रोहतक से व सीमा प्रान्त से संविधान सभा के सदस्य रहे मौलाना आजाद गुडगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार थे।

''संविधान सभा में हरयाणा'' भी महत्वपूर्ण थी और इस क्षेत्र के महापुरुषों की भी संविधान निर्माण में विशेष भूमिका थी। यहां के सभी सदस्य भारत में शिक्षित थे। विदेशी संस्कृति के नहीं थे। राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े हुए थे। इन द्वारा उठाए गए मुद्दे भारत की संस्कृति से मेल खाते थे और आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे थे।

हरयाणा उस समय पूर्वी पंजाब का भाग था और इस क्षेत्र के सदस्य संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से निर्वाचित थे। लेकिन, उनका जन्म स्थान हरयाणा क्षेत्र था। उन्होंने अपनी वाणी को 'संविधान सभा में आवाज' दी।

फोटो गैलरी

भारतीय संसद

भारत के मानचित्र में हरयाणा

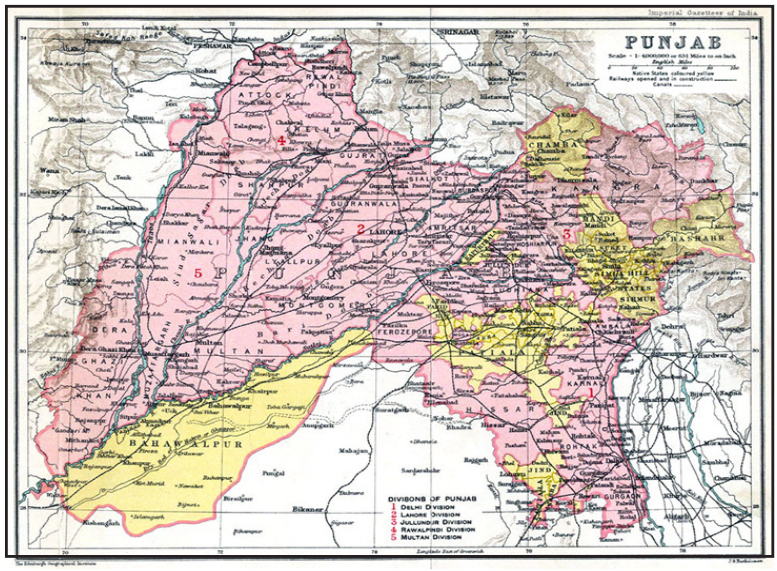

अविभाजित पंजाब (पंजाब की रियासतों सहित)

अविभाजित पंजाब में मुस्लिम आबादी

विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब

पंजाब का विभाजन

संसद का केन्द्रीय हाल, जहां संविधान का निर्माण हुआ

संविधान निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते प्रबुद्ध नेतागण

संविधान सभा की बैठक को संबोधित करते हुए पं. नेहरू

14–15 अगस्त की मध्यरात्रि को स्वतंत्रता की घोषणा

14–15 अगस्त की मध्यरात्रि को शपथ लेते हुए नेतागण

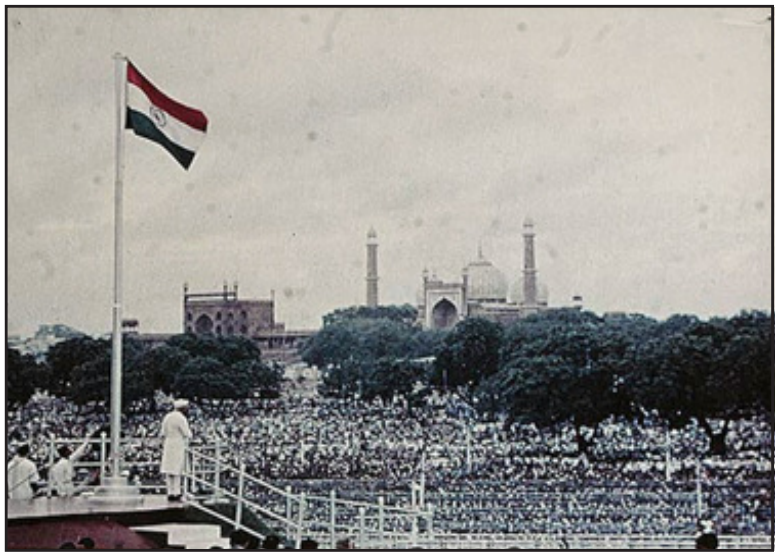

15 अगस्त, 1947 को लालकिले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हुए पं. नेहरू

संविधान सभा में विचार विमर्श करते हुए नेतागण

भारत का संविधान

भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण
प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को:
सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष
शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधि-
नियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

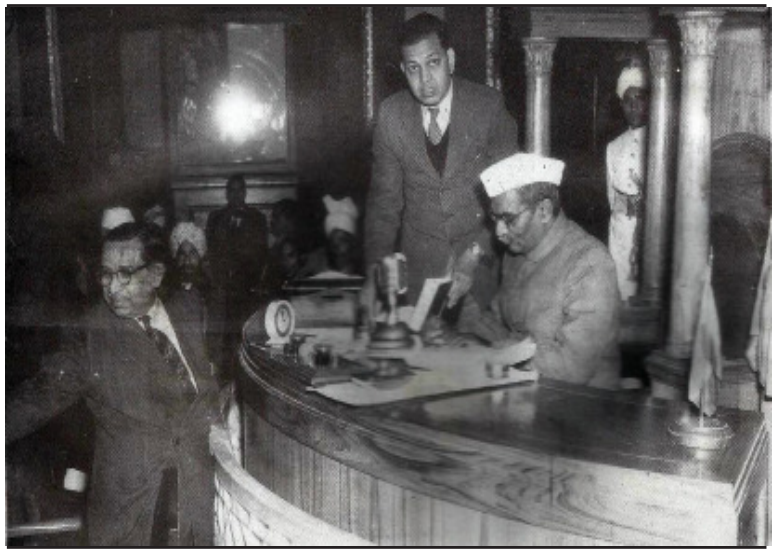

डा. राजेन्द्र प्रसाद संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करते हुए

पं. जवाहर लाल नेहरू संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करते हुए

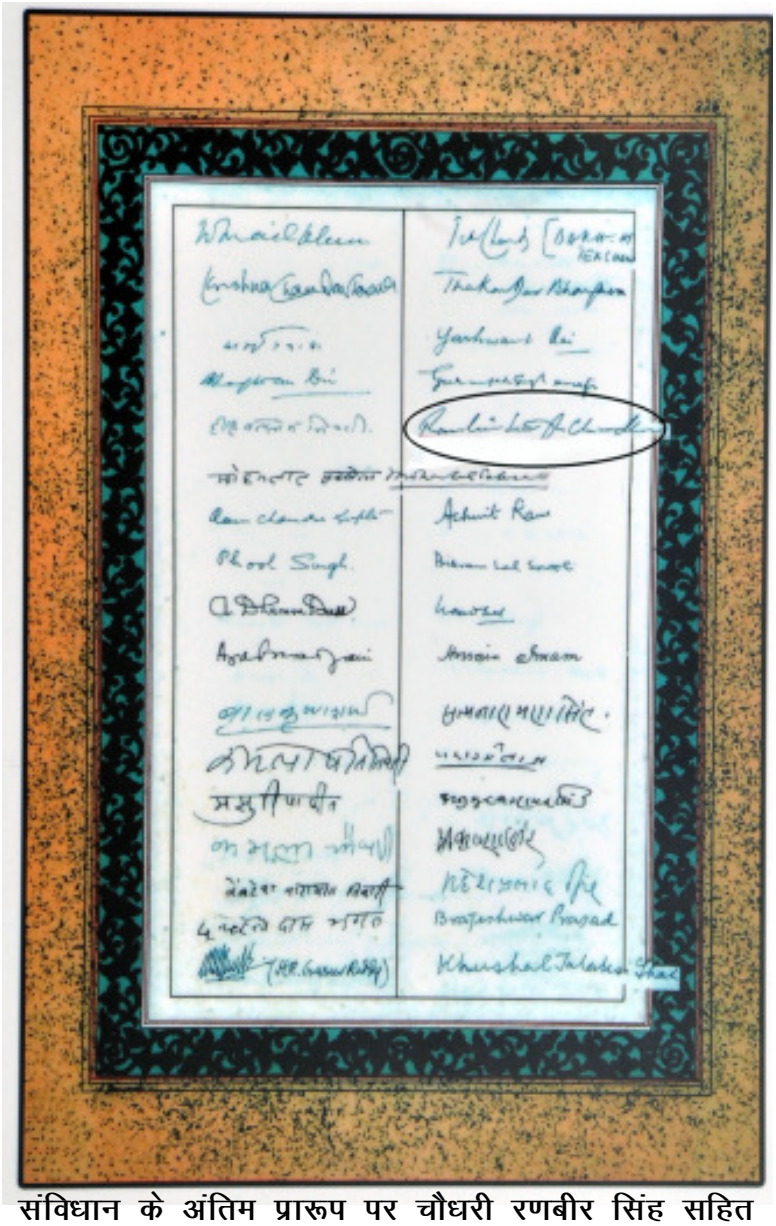

संविधान के अंतिम प्रारूप पर चौधरी रणबीर सिंह सहित अन्य नेताओं के हस्ताक्षर

डा. राजेन्द्र प्रसाद के साथ चौधरी रणबीर सिंह

बाबू जगजीवन राम के साथ चौधरी रणबीर सिंह

सरदार हुकम सिंह व सरदार गुरमुख मुसाफिर के साथ चौधरी रणबीर सिंह

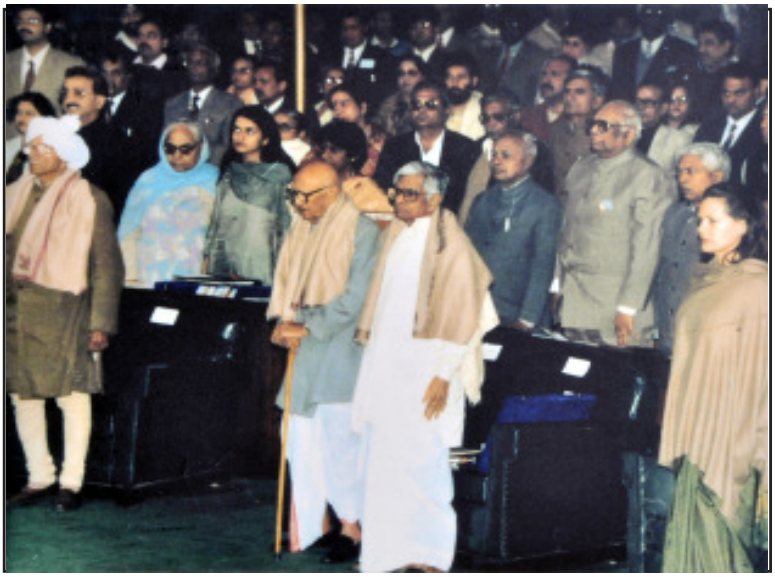

संविधान की स्वर्ण जयन्ति के अवसर पर चौधरी रणबीर सिंह व अन्य नेतागण

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक